खण्ड-308, अंक-2
बुधवार, 5 आषाढ़, शक संवत् 1896
(26 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 26 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—376

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)

कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर सिंह, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद महरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनादन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री

प्रियदर्शी जटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बनी प्रसाद, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह कन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती

राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्स सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन, दूबे श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्षमी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्षमी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)

शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाह उद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा श्री,

व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न अभी शुरू नहीं हुए व्यवस्था किस बात की ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

आप जरा सुन लें मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आप इस आदरणीय सदन के अन्दर नेता विरोधी दल को अपने कर्मों और विचारों में असंगति का प्रदर्शन करने की छूट दे सकते ह । कल जब कट-मोशन राम पाल सिंह शोशलिस्ट लीडर ने मूव किया था उसमें उन्होंने अनएकोनामिक होल्डिंग्स से लगान माफ किया जाय और जमीन का बंटवारा किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

समय के बाद माननीय काशीनाथ की बुद्धि जागी है । अगर कल कहते तो बात सुनी जाती ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार 26 जून, 1974

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला मुरादाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को दी गई चीनी में मिलावट

**** 1—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—**

क्या खाद्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि मुरादाबाद में 8 जून, 1974 को सरकारी राशन की दूकानों के कोटेदारों को जो चीनी सरकारी गोदामों से जारी की गई उसके बोरों में चीनी के बजाय बालू तथा खोही भरी हुई थी जिसकी सूचना कोटेदारों ने ए0 डी0 एम0 को दी ? यदि हां, तो कितने बोरे चीनी में मिलावट थी ? चीनी किस मिल की थी ? मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मुरादाबाद में 10 जून, 1974 को सरकारी सस्ते गल्ले की कुछ दूकानों ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से यह शिकायत की कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा 8 जून, 1974 को दिये गये 193 चीनी के बोरों में से 14 बोरों में बूरा, ब्राउन शुगर सुतली तथा गर्द आदि की मिलावट थी। उपरोक्त सूचना मिलने पर तुरन्त जांच की गयी और मिलावट वाली चीनी को वापस लकर स्वच्छ चीनी दे दी गयी। चीनी मेसर्स अयोध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर, बिलारी से प्राप्त हुई थी। भारतीय खाद्य निगम ने इस बात की रिपोर्ट अपने हेड आफिस को भेज दी है और इस मिल के विरुद्ध चीनी निदेशालय से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध करने के लिये संस्तुति की है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगी कि एफ0 सी0 आई0 के किस अधिकारी ने किस दिन यह डिलीवरी मिल स ली और क्या डिलीवरी लत हुए बरिफाई किया कि जो माल होना चाहिये वही माल है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

किस अधिकारी ने डिलीवरी नहीं लिया यह तो सूचना इसमें नहीं है लेकिन जब इसकी शिकायत की गई तो भारतीय खाद्य निगम के जो मैनेजर हैं उन्होंने इसकी जांच की। मिल वालों ने गलती मान ली और प्रश्नगत चीनी को वापस लेने के लिये सहमत हो गये और इसकी रिपोर्ट सीनियर रीजनल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ को कर दी गयी। उन्होंने अपने हेड आफिस को रिपोर्ट भेज दी है और मिल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये चीनी निगम को संस्तुति करने के लिये अनुरोध किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा तो यह चार्ज है डाइरेक्ट कि इनके सरकारी अधिकारी निगम से मिल कर सीमेंट हुई तो मिट्टी मिलाते हैं। चीनी हुई तो बूरा और भूसा मिलाते हैं। वह कौन सा अधिकारी था, मैं यह जानना चाहता हूं। जिस अधिकारी को वेरीफाई करना चाहिये था उसने वेरीफाई किया या नहीं, किया तो वह कौन सा अधिकारी था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मेरे पास नाम नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा वह बात अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। विभाग के अधिकारियों को इसे देखना चाहिये था। खाद्य की चीजों में अगर

मिलावट की जाती है तो उसके लिये दोषी व्यक्तियों को सजा अवश्य दी जायेगी। मिल मालिकों से अगर कोई मिल कर यह काम करता है तो दोनों ही दोषी हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह अधिकारी कौन है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं पता लूंगी कि वह कौन सा अधिकारी है। वैसे मैंने अभी बताया कि हेड आफिस को कार्यवाही करने के लिये हमने लिख दिया है।

श्री अवधेश कुमार—

ऐसी मिलावट जगह-जगह हो रही है और हर चीज में हो रही है और उसके दृष्टान्त जगह-जगह मिल रहे हैं। तो सरकार चीनी में मिलावट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आपने कहा कि चीनी के मिल मालिकों ने अपनी गलती स्वीकार की है, तो चीनी मिल मालिक के विरुद्ध भी आज तक कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चीनी मिल मालिक ने उस चीनी को रिप्लेस कर दिया है। आगे जो कार्यवाही करनी है वह जारी है, अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जांच आपने जिला अधिकारी के सुपुर्द की, उसने अपनी जांच रिपोर्ट क्या दे दी है ?, यदि नहीं तो क्या कोई अंतरिम रिपोर्ट दी है, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जांच हो गयी। रिपोर्ट यह है मुरादाबाद नगर में 8-6-74 को 193 बोरी चीनी 14 सस्ते गल्ले के बिक्रेताओं को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से दी गयी। 10-6-74 को कुछ सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों ने अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (प्रशासन) के पास आकर यह शिकायत की कि 8-6-74 को जो चीनी खाद्य निगम के गोदाम से दी गई है उसमें से कुछ बोरों में बूरा और क्रैशर की चीनी है, उसमें कुछ सुतली और गर्द मिली हुयी है इस चीनी का नमूना यह रिटेलर अपने साथ लाये थे उस समय मीटिंग में जिला मैनेजर भारतीय खाद्य निगम मौजूद थे और उनको तथा जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश दिये गये कि इस शिकायत की जांच जाकर तुरंत करें। इसके पश्चात् जिला पूर्ति अधिकारी तमाम सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार जिन्होंने शिकायत की कि साथ लेकर एफ० सी० आई० के गोदाम पर पहुंचे। शिकायत बिलकुल सही पायी गयी और कुछ चीनी के बोरों में ब्राउन चीनी, क्रेसर की चीनी और कुछ बोरों में सुतली के टुकड़े चीनी के साथ व गर्द थी। सस्ते गल्ले के दूकानदारों को तुरन्त आदेश दिये गये कि वह इस प्रकार की चीनी को न बेचें और इस चीनी को एफ० सी० आई० को वापस कर दें। 114 बोरे इस प्रकार की चीनी एफ० सी० आई० के गोदाम मिले जिसमें 24 बोरों में ब्राउन चीनी और 90 बोरे चीनी क्रेसर चीनी के हैं।

एफ0सी0आई0के जिला मैनेजर के अनुसार यह चीनी मेसर्स अयुध्या सुगर मिल्स राजा का सहसपुर, बिलारी से एफ0 सी0 आई0 द्वारा उठायी गयी। मामले की जांच के आदेश जिला मैनेजर, एफ0 सी0 आई0 को दिये गये थे तथा स्पटीकरण प्राप्त किया गया। जिला मैनेजर एफ0सी0आई0ने लिखित में उत्तर दिया है कि मिलने अपनी गल्ती स्वीकार कर ली है और उपरोक्त चीनी को वापस लेने को सहमत हैं और यह भी जिला मैनेजर एफ0सी0आई0 ने लिखित में रिपोर्ट सीनियर रीजनल मैनेजर, एफ0सी0 आई0 लखनऊ को की है। मिल तथा दो कर्मचारी एफ0सी0आई0 के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की है।

बोरों की संख्या 14 जिनमें खराब चीनी दुकानदारों द्वारा उठाई गई है। इन चौदह खराब चीनी के बोरों के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम से अच्छी चीनी के बोरे दिये गये हैं। तथा खराब चीनी के बोरे जब्त (सीज) तथा मोहर बंद किये गये और वे भारतीय खाद्य निगम को वापस कर दिये जायेंगे। दुकानदारों को यह चीनी उनके भविष्य के कोटे में एडजेस्ट (adjust) कर दी जायेगी।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी जांच हुई और रिपोर्ट इसकी की गयी लेकिन आज तक यह नहीं पता लगाया जा सका किसने मिल से डिलीवरी ली थी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य से मैं कोई बात छिपा नहीं रही हूं। आप लोग यह जो बार-बार कह रहे हैं, तो मेरे पास नाम नहीं है। एफ0सी0आई0के जनरल मैनेजर वहां मौजूद थे और जिलाधिकारी की नोटिस पर जांच भी हुयी। डी0एस0ओ0 ने चीजों को देखा। सरकार की तरफ से किसीभ्रष्टाचार के बढ़ने की बात नहीं की गयी। तुरन्त ऐक्शन लिया गया है। इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है। जो भी कर्मचारी इसमें आते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उनके हेड आफिस को शिकायत भेजी गयी है, तो सरकार किसी भी व्यक्ति को माफी नहीं दे रही है, जो कर्मचारी दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही करने का तुरन्त कदम उठाया गया है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या मंत्री जी बतायेंगी कि इस सारे कांड की जांच खाद्य विभाग के अतिरिक्त किन्हीं और अधिकारियों द्वारा करायेंगी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह कहा है कि मिल मालिकों ने अपनी गल्ती स्वीकार की है तो क्या मिल मालिकों ने लिखित रूप से कुछ दिया है, अगर दिया है तो क्या वह इसको पढ़कर सुनायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जहां तक जांच का सवाल है खाद्य विभाग के अधिकारी ने यह देखा और इसकी जांच की। इसमें हमारी खाद्य विभाग की गलती नहीं है। जैसे ही इत्तला मिली वैसे ही कार्यवाही की गई। मिल मालिकों ने अपनी गल्ती को स्वीकार किया है, परन्तु कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी है। यह बात साफ पहले ही हो जाती है कि मिल मालिकों की गल्ती थी और उन्होंने अपनी गल्ती को मान लिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बड़ी असंतोषजनक बात है। जिस विभाग ने गल्ती की उसी विभाग को जांच करने के लिये दी गई है। जिस विभाग के अधिकारी पर मेरा शक था, चार्ज था उनसे वैसी ही रिपोर्ट ले ली गयी है। क्या कारण है कि यह जांच उसी विभाग को सुपुर्द की गयी।

दूसरा यह कि गोदाम में 14 बोरे ऐसे निकले जिनमें खराब चीनी थी तो क्या और चीनी जो दूसरी एजेंसियों से ली गयी थी उसकी जांच करवायी गयी ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जांच तो की गयी । हमारे डी० एस० ओ०, एफ० सी० आई० के मैनेजर को साथ लेकर गये और जांच की । जितने बोरों में खराबियां पायी गयी हैं उनको एफ० सी० आई० को वापस कर दिया गया है, यह सब बातें जांच ही द्वारा पता चली हैं ।

जिला मेरठ की जनता को सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा गेहूं का न मिलना

**2---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ में जनता को सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं नहीं दिया जा रहा था और अब गत सप्ताह से गेहूं खुले बाजार में भी किंचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है तथा आस पास के गांवों से भी नहीं लाने दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार तुरन्त क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

केन्द्रीय पूल के आवंटन घट जाने के कारण अन्य सरप्लस जनपदों की भांति माह मई, 1974 से मेरठ जिला मुख्यालय को भी उपभोक्ताओं के लिये सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु गेहूं का आवंटन नहीं किया गया । केवल पुलिस, जेल, अस्पताल तथा छात्रावास के लिये तदर्थ आवंटन किया गया ।

2---आस पास के गांव से मेरठ की मंडी मे गेहूं लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और कोई उपभोक्ता किसी उत्पादक या व्यापारी से दो कुन्तल की संग्रह की सीमा तक गेहूं खरीद सकता है ।

3---कुछ दिनों पहले मेरठ की मंडी में गेहूं कम आने की सूचना मिली । इसको ध्यान में रखते हुए जून, 1974 के लिये द्वितीय पक्ष में सस्ते गल्ले की दूकानों से पाक्षिक 1 1/2 (डेढ़) किलो की दर से वितरण हेतु 305 टन गेहूं व 265 टन होलमील आटे का आवंटन 18-6-1974 को तार द्वारा कर दिया गया है और 21-6-1974 से गेहूं बंटना शुरू हो गया है ।

श्री मोहन लाल कपूर---

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि मेरठ क्षेत्र में पहले से उत्पादन कम हुआ है ? दूसरे यह कि 50 हजार क्विंटल गेहूं बुलन्दशहर से मेरठ जिले के लिये मांगा जा रहा है तो फिर मेरठ जिले को आपने सरप्लस एरिया कैसे निश्चित किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मेरठ डिवीजन पूरा सरप्लस एरिया माना जाता है । इस वर्ष उत्पादन में थोड़ी कमी जरूर हुई है लेकिन मेरठ कमी का जिला नहीं माना जा सकता । यह सिंचित एरिया है इसलिये पैदावार की दृष्टि से इसे सरप्लस एरिया माना जाता है । दूसरे कुछ जिले जो डिफिसिट के हैं उनकी अपेक्षा मेरठ कम नहीं माना जाता है । इसलिये मेरठ सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि वहां कितने एकड़ में गेहूं पैदा होता है और आबादी कितनी है ? उसे सरप्लस तब मानते थे जबकि आबादी कम थी परन्तु अब आबादी काफी तेजी से बढ़ी है और लगभग 34 लाख की आबादी हो गई है । लेकिन आज मेरठ सरप्लस का एरिया नहीं है । इस पर विचार होना चाहिये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यदि वह सरप्लस एरिया नहीं है तो इस पर विचार हो जायेगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मेरठ तथा बुलन्दशहर आदि जिलों में जो उपभोक्ता एक या दो क्विंटल गेहूं उत्पादकों तथा व्यापारियों से खरीद कर ले जाते हैं तो उनको पकड़ कर उनसे गेहूं छीन लिया जाता है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

छीन कर ले जाते हैं इस तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जहां कहीं भी एराइवल कम है तो हमने प्रबन्ध किया है कि वहां गेहूं एक या दो क्विंटल रिलीज कर दिया जाय जिससे छोटे-छोटे परचूनियों तथा व्यापारियों को मिल सके। हमने सरप्लस जिलों में 2 क्विंटल तक गेहूं उपभोक्ता सीधे किसानों से खरीदने में कोई रुकावट नहीं डाली है।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि मेरठ जिले में मई माह में जनता को सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं मिलना बन्द कर दिया था और जून माह में फिर डेढ़ किलो गेहूं प्रति यूनिट के हिसाब से बंटवाने के आदेश दिये जबकि पूर्वी जिलों के बड़े-बड़े नगरों में 4 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से अनाज दिया जा रहा है। तो वहां कम अनाज बंटवाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी वहां भी 4 किलो अनाज प्रति यूनिट के हिसाब से बंटवाने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कवाल टाउन्स और इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़कर सूबे में और सब जगहों पर जहां कन्ट्रोल की दूकानों स गहूं दिया जाता है वहां 3 किलों गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। चूंकि इस पखवाड़ से मेरठ म व्यवस्था की गई है इसलिये डेढ़ किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया है लकिन वह 3 किलो प्रति माह के हिसाब से है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मंत्री को जैसा मालूम है कि प्रदेश में 28 जिलों को सरप्लस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है और उन 28 जिलों में स मरठ एक जिला है। मेरठ में स्थिति यह है कि न तो राशन की दूकानों से गल्ला मिलता है और न बाजार में गहूं आ रहा है। जब इस सरप्लस डिस्ट्रिक्ट में यह हालत है तो बाकी 27 जिलों में भी इससे बदतर हालत है क्योंकि हैरेसमेंट हो रहा है, काश्तकार जो थोड़ा-थोड़ा करके गल्ला लाते थे वह ला नहीं रहे ह। तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगी कि बाकी 27 जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवायेंगी और जो हैरेसमेन्ट हो रहा है उसे रोकेंगी और परसुएशन स गल्ला वसूल करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जहां तक हैरेसमेन्ट न हो, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं और सदन को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि किसी भी प्रकार का हरेसमेन्ट किसी भी किसान का नहीं होगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

जो थोड़ा गल्ला लाते थे उनको लाने नहीं दिया जा रहा है। और रोक लिया जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर यह आश्वासन आ जाय कि बाकी 27 जिलों में राशन की दूकानें करेंगी। यह कोई आसान काम नहीं है। जनता को गल्ला नहीं मिल रहा और मार्केट में आता नहीं है और यहां मंत्री जी भाषण देकर बरी हो जायं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल है गेहूं का, सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी है कि जनता को गेहूं मिले और जहां कहीं भी इस तरह की दूकानें शहर के अन्दर सस्पेंड हो गई है वहां-वहां इस प्रकार का प्रबन्ध किया जायेगा जिससे कि गेहूं मिलने लगे। अभी तक जो प्राप्त सूचना है हमारे पास उसके हिसाब से.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आश्वासन चाहता हूं कि 27 जिलों में दूकानें खोलें....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिन जिलों में सरकारी दूकानों को बन्द कर दिया गया है वहां धीरे-धीरे विचार करेंगे और परिस्थितियों के अनुसार....

(व्यवधान) (शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर सरकार सस्ता गेहूं का प्रबन्ध नहीं कर सकती है गेहूं मार्केट में आ नहीं रहा है, दूकानें खोलना नहीं चाहतीं, इसलिये मेरा दल वाकआउट करता है।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

ग्राम गोवा मिर्जापुर थाना मोहम्मदपुर जिला बाराबंकी में दो व्यक्तियों का कत्ल

** 3--श्री रामसेवक यादव तथा श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद बाराबंकी थाना मुहम्मदपुर के अन्तर्गत ग्राम गोवा मिर्जापुर के कुछ लोगों ने ग्राम बल्लोपुर पर दिनांक 25-5-74 को हमलाकर 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी व अनेक लोगों को बुरी तरह घायल किया तथा मृत्तकों की लाश काटकर घाघरा नदी में फेंक दिया, जबकि उक्त घटना के पूर्व उसी दिन बल्लोपुर के लोगों ने थाना मोहम्मदपुर में इस आशय की रपट लिखाई थी कि उन्हें हमला एवं जानमाल का खतरा है? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और क्या थाने में अंकित कराई गई दोनों रपटों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)--

श्री ब्रम्हादीन, निवासी बल्लोपुर, जिला बाराबंकी ने 25-5-74 को 11 बजे पूर्वान्ह में थाना मोहम्मदपुर पर यह सूचना दी कि श्री कृष्णानन्द और उनके लड़के राकेश, निवासीगण ग्राम गोवा उसी दिन 8 बजे सुबह बैलगाड़ी मांगने आये तथा बैलगाड़ी देने से इन्कार करने पर लाठी लेकर मारने दौड़े और जानमाल की धमकी दी। इस सूचना पर एक हस्तक्षेपीय मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया। सूचना देने के बाद जैसे ही ब्रह्मादीन वापस जाने वाला था उसके भाई राजाराम ने 12-30 बजे थाने पर आकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि उपरोक्त कृष्णानन्द और राकेश तीन अन्य नामांकित एवं 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ शस्त्रास्त्र से लैस होकर पुनः 9 बजे आये और गाली गुप्ता देने लगे। मना करने पर उन्होंने गोलियां चलाईं और मार पीट की तथा गोली से घायल दो व्यक्तियों को लाठी में टांगकर उठा ले गये। रिपोर्ट में 7 अन्य

व्यक्तियों के घायल होने की सचना भी थी। इस सूचना पर थाने पर अपराध संख्या 81, अन्तर्गत धारा 147/148/307/342/504/149 भारतीय दंड विधान दर्ज किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के मध्य घायल अशरफी तथा काशीराम को कत्ल करके उनकी लाश को घाघरा नदी में डाल दिये जाने की बात मालूम हुई। अतः मुकदमें में धारा 302/201 भारतीय दंड विधान बढ़ा दी गई। नामांकित अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा 4 न्यायालय में आत्मसर्मपण कर चुके हैं।

2--इस प्रकार स्पष्ट होगा कि दूसरी घटना पहली रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने के पूर्व ही घट चुकी थी।

दोनों रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 214-215 पर।)

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो प्रथम सूचना है उसके बाद क्या कोई पुलिस अधिकारी घटना स्थल के लिये रवाना हुआ और यह जो दूसरी सूचना है उसके बाद गया तो कितनी देर बाद गया।

श्री अध्यक्ष--

यह एक ही दिन की रिपोर्ट्स हैं।

श्री राम सेवक यादव--

जी हां, 1 घंटे 2 घंटे के फर्क पर लिखाई गई हैं।

श्री राज मंगल पान्डेय--

पहली जो घटना थी वह नानकागनीजिबुल आफेन्स की थी इसलिये थाने से जाने का प्रश्न नहीं था। दूसरी घटना जो घटी उसकी रिपोर्ट 12.30 बजे हुई और जो मेरे पास पेपर्स हैं उनके मुताबिक रवानगी 3.15 पर हो गई।

श्री राम सेवक यादव--

माननीय मंत्री ने बतलाया कि नान कागनीजिबेल आफेन्स था। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दोनों रिपोर्ट्स को साथ मिलाकर पढ़ें। मंत्री जी और हम यहां किसी वकील की हैसियत से नहीं हैं। हम भी और वह भी चाहते हैं कि अपराध रुकें और इस काम में जो लोग लगे हुए वह भी ठीक से अपना कार्य करें। वे दोनों को मिला कर पढ़ें। जो पहली रिपोर्ट हैं उसमें यह भी नहीं लिखा गया कि संगीन वारदात होने वाली है। जब घटना हो गई तो दूसरी रिपोर्ट 12.30 बजे लिखाई गई मान लें तो 3.30 बजे थाने से लोग गये। इतनी देर क्यों हुई। यह जगह वहां से 8 मील दूर है और मैं जानता हूं कि साइकिल से वहां पहुंचने में एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। रवानगी में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 11 बजे जो रिपोर्ट हुई थी उसी प्रतिलिपि देखने का कष्ट नहीं किया। मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं, उससे साफ हो जायगा। "वादी मजाहिर हुआ कि मुल्जिमान वाला बाअसर आदमी है। हर समय बेगार से अपना कारबार कराना चाहते ह। आज मुझसे बैलगाड़ी मांगी। मने देने स इन्कार किया आज इसी बिना पर मुझको लाठियां लेकर मारने दौड़े और तमाम तरह की जानमाल की धमकी दते ह। इतला

को आया हूं।" दूसरी रिपोर्ट हुई। बीच में नदी नाले पड़ते हैं और रेतीली जगह है। रिपोर्ट लिखने में, रवानगी लिखने में कुछ देर लग ही जाती है। अगर सवा तीन बजे रवानगी हो गयी तो इतनी देर नहीं हुई कि जिस पर ऐतराज हो।

श्री राम सेवक यादव—

वह इलाका मेरा कई बार देखा हुआ है। नदी नाले पड़ते हैं लेकिन "यह जगह रेतीली नहीं है। एक घंटे से ज्यादा का रास्ता नहीं है। दूसरी रिपोर्ट को भी पढ़ लें। इसको 307 में माना। पहली रिपोर्ट तहरीरी नहीं है। बाद वाली रिपोर्ट को तहरीरी लिखा जाय जिससे वे फंसे नहीं।

तो साढ़े तीन घन्टे देर क्यों लगा दी। अगर देर न लगाते तो मुल्जिमान को कत्ल करने का मौका न मिलता। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे स्टेशन आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, जिसने पहली रिपोर्ट के बाद कोई आदमी नहीं भेजा और उसके बाद कोई तत्काल रवाना न हुआ? दूसरी चीज यह जानना चाहता हूं कि कितने लोग पकड़े गये, कितने की जमानत है और कितने की नहीं है?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सभी की जमानत है।

श्री रामसेवक यादव—

घटना के कितने दिनों पर जमानत हुई?

श्री राज मंगल पांडेय—

बैजनाथ और भगौती की जमानत 30-5-74 को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां श्री गंगाराम ने ली। राकेश राम की जमानत डिस्ट्रिक्ट जज, बाराबंकी ने मंजूर की।

श्री रामसेवक यादव—

मान्यवर, मेरा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव था। आपने कहा कि सूचना दे दो तो भेज देंगे। मैंने मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी और उसका विवरण दिया। उसमें मैंने लिखा है कि "25 मई, 1974 को थाना मोहम्मदपुर पर प्राप्त एक सूचना के अनुसार उस थाना के ग्राम गोवा मिर्जापुर के कृष्णानन्द व उनके लड़के राकेश तथा कुछ अन्य ने आतशी व अन्य असलहों से लैस हो पड़ोसी गांव बल्लोपुर के काशीराम व खुशीराम पर प्रातः 9 बजे हमला करके उनकी लोमहर्षक हत्या की और लाशों को घाघरा नदी में बहा दिया। पुलिस की तसाहुल के ही कारण लाशों को नदी में बहाया जा सका। कृष्णानन्द ने जिला अस्पताल में दाखला कराकर अपनी सफाई बनवाने की पहले कोशिश की लेकिन वहां सफल न होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरख, बाराबंकी, में घटना के एक दिन पहले की तारीख में अपना गलत दाखला बनवाया। पब्लिक प्रासीक्यूटर व उनके सहायकों तथा पेनल वकील की साजिश से सारे नामजद मुलजिमान अदालत मातहत व सेशन से जमानत पाने में भी कामयाब हो गये।" मान्यवर, यह मैंने 10 तारीख को मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा था।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जमानत ली। रह गयी उनके अधिकार की बात, तो हम न कोर्ट के सेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं और न उनके डिसीशन को।

श्री राम सेवक यादव--

302 और 201 में कब परिवर्तन हुआ ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, 26 तारीख को।

तारांकित प्रश्न

जनता जूनियर हाई स्कूल कहिजरी, जिला कानपुर को मान्यता

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--चौधरी रामपाल सिह यादव (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम कहिजरी म सरकारी तथा गैर-सरकारी अलग-अलग कितने जूनियर हाई स्कूल हैं और उनके नाम क्या हैं तथा उन स्कूलों को मान्यता दिए जाने के आधार क्या ह ? क्या कहिजरी जनता जूनियर हाई स्कूल जो इस वर्ष खोला गया है को अस्थायी मान्यता मार्च, 1974 में दे दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

1--कानपुर जिले के विकास खण्ड रसूलाबाद ग्राम कहिजरी में कोई भी सरकारी जूनियर हाई स्कूल नहीं है। इस ग्राम में निम्नलिखित चार गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूल हैं।

इनमें दो बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रण में है और दो व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरण द्वारा सचालित हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनः--

(1) जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूल कहिजरी (बालक)।

(2) जिला परिषद् बालिका जूनियर हाई स्कूल कहिजरी (बालिका)।

व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित।

(3) आर0 बी0 एस0 जूनियर हाई स्कूल, कहिजरी।

(4) जनता जूनियर हाई स्कूल, कहिजरी।

इन सभी चार जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने का आधार, क्षेत्रीय जनता की मांग और छात्रों की संख्या के आधार पर नवीन विद्यालयों की आवश्यकता है।

जनता जूनियर हाई स्कूल कहिजरी के प्रबन्धक द्वारा इसी वर्ष विद्यालय को मान्यता प्रदान किए जाने के लिये आवेदन पत्र दिया गया था। इस विद्यालय को अस्थायी मान्यता मार्च, 74 म प्रदान की गई है। विद्यालय को अस्थायी मान्यता दने का आधार छात्रों की संख्या है।

चौधरी रामपाल सिह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्तिगत प्रबन्ध में जूनियर हाई स्कूल संचालित होत है, उनको मान्यता दने का क्या नियम है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

नियम तो बहुत हैं इसमें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम सम्बन्धी सवाल नहीं किये जाते । उनको देख लिया जाता है । वैसे माननीय मन्त्री दो चार बतला दें ।

श्री राम जी लाल सहायक—

जो समिति है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए । 2,500 रुपये की धनराशि प्राभूत के रूप में होने चाहिए । 1 हजार रुपये की धनराशि सुरक्षा कोष में होनी चाहिए । इमारत में कमरों की संख्या कक्षाओं के अनुसार होनी चाहिए ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जूनियर हाई स्कूल, कहिजरी में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है, भवन बिलकुल है ही नहीं और जालसाजी करके मार्च, 74 में मान्यता प्राप्त कर ली गयी तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी के जरिये इसकी जांच सरकार करायेगी और इसकी मान्यता को समाप्त करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मेरी सूचना तो यह है कि 109 छात्र वहां हैं । भवन भी है और अब माननीय सदस्य लिखकर अगर दे तो मैं छानबीन करा लूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा ।

शिक्षा निदेशालय में संख्या सहायक के पद पर नियुक्ति

*2—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय में संख्या सहायक के पद पर वेतन-क्रम 350—700 में शासन द्वारा निर्धारित एम0 ए0, एम0 एस-सी0 गणित की योग्यतायें होते हुए भी हाई स्कूल उत्तीर्ण सहायकों की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कैबिनेट सब-कमेटी ने कोई निर्णय दिनांक 4 मार्च, 1968 ई0 को लिया था ? उन्हें लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, नितांत अस्थायी तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं । कैबिनेट सब कमेटी ने दिनांक 4—3—1968 को इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया था अतः उन्हें लागू न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अठई राम—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि शिक्षा निदेशालय में सांख्यिक के पद पर हाई स्कूल पास की नियुक्ति की गयी जब कि एम0 एस-सी0 तथा एम0 ए0 गणित की योग्यता होते हुए भी नियुक्ति नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मूल प्रश्न में था । इसका तो उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री राम सेवक यादव—

क्या नितांत अस्थायी का मतलब यह होता है कि स्वेच्छाचारिता से जिसको चाहो भरती कर लो और उसमें योग्यता के अनुसार प्राथमिकता का प्रश्न नहीं रहता है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसका अर्थ यह है कि आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ नियुक्ति कर ली गयी और जब योग्य व आवश्यक व्यक्ति मिल जायगा तो उसे हटा दिया जायगा।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रामसेवक यादव—

योग्यता के आधार पर जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होगा उसकी नियुक्ति होगी अथवा जैसा उत्तर में कहा गया कि नितांत अस्थायी है तो अयोग्य व्यक्ति बिठा दिया जायगा यह मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि जब सबसे योग्य आदमी अवेलेबिल था तो कम योग्यता का आदमी कैसे नियुक्त कर दिया गया ?

श्री ऊदल (जिला बाराणसी)—

मैं प्रोटेस्ट करता हूं। आपने मुझे बुलाया था और यादव जी बीच में खड़े होकर प्रश्न करने लगे और मुझे बैठना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। ऊदल जी प्रश्न करें।

श्री ऊदल—

इस भरती के लिये कितनी दरखवास्तें आई थीं और उनमें एम0ए0 तथा एम0 एस-सी0 कितने अभ्यर्थी थे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

असल में हुआ यह कि इसकी स्वीकृति मार्च में मिली और अगस्त तक की स्वीकृति उस समय थी। इतने थोड़े समय के लिये यदि आयोग को लिखा जाता, वह विज्ञापन देता, फिर टेस्ट होता तो इसमें पूरा वर्ष लग जाता। सर्वेक्षण कार्य जल्दी कराने के लिए कोई नई दरखवास्तें नहीं मांगी गयीं। विभाग में जो पहले से दो सांख्यिक काम कर रहे थे उन्हीं की नियुक्ति कर दी गई।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह बात समझ में नहीं आती है कि जब उस पद के लिये न्यूनतम योग्यता एम0ए0 और एम0एस-सी0 है तो हाईस्कूल वाले को क्यों अवसर दिया गया ? इम्प्लायमेंट इक्सचेंज से नाम मांगे जा सकते थे। क्या दूसरे विभागों में रिक्त होने वाले जगहों में एम0ए0 और एम0एस-सी0 की न्यूनतम योग्यता होते हुए भी हाईस्कूल वालों को काम करने का अवसर दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जिस पद पर नियुक्ति हुई है वह सांख्यिकीय काम है और शैक्षिक योग्यता उसके लिए एम0एस-सी0 और एम0ए0 है किन्तु उसी कार्य को 11–11 साल से वे लोग कर रहे थे तथा उस कार्य में उन्हें प्रशिक्षण भी प्राप्त था। अतः उनको उस पद पर नियुक्ति कर दी गई।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा प्रश्न था कि अगर योग्यतम व्यक्ति है तो उस योग्यता के रहते हुए चाहे थोड़े से थोड़े काल के लिए ही चुनाव क्यों न हो, उसी पर क्यों तरजीह दी गई।..... (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आपने मुझे कल भी बोलने का समय नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे हैं। मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं.....

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, आपकी दृष्टि पीछे बैठने वालों पर नहीं जाती है। क्या हम लोग आगे बैठें तभी आपकी दृष्टि जायेगी?

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य उठते और बैठते हैं उन्हीं में से मैं समय देता हूं।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नोत्तर नहीं मिला है तो आपको टेलीफोन करना चाहिए था नियमानुसार आपको दो दिन पहले मिल जाते ह।.....(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े हो गये।)

श्री मधु सूदन दास हायर सेकेन्डरी स्कूल जिला बांदा को स्कूल भवन के नक्शे के आधार पर मान्यता

*3—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि क्या श्री मधुसूदन दास हायर सेकेन्डरी स्कूल जसपुरा, जिला बांदा की मान्यता स्कूल भवन नक्शे के स्थान पर किसी दूसरे भवन के नक्शे को प्रेषित करके प्राप्त की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं।

श्री मधुसूदन दास हायर सेकेन्डरी स्कूल, जसपुरा ने हाई स्कूल की मान्यता अपने स्कूल भवन के नक्शे पर ही प्राप्त की थी। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि गलत नक्शे पर इस स्कूल को मान्यता दी गई, ऐसी जानकारी उन्हें है। क्या यह भी सही है कि प्रश्न की सूचना मिलने के बाद ही इस स्कूल के भवन का निरीक्षण कराया गया?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मान्यता दिए जाने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जाती है और उसने संस्तुति की कि इस स्कूल का अपना भवन है जिसमें कि 13 कमरे हैं। हाई स्कूल

की मान्यता देने के लिये भवन में 11 कमरों की आवश्यकता थी और उसमें 13 कमरे थे। उसमें उन्होंने भवन का नक्शा भी दिया है।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभी यह कहा कि उन्हें प्रश्नो का उत्तर नहीं मिला तो सही नहीं मालूम पड़ता है। प्रश्नोत्तर उनके पास गये और उसमें उनके हस्ताक्षर हैं।

अब बहस कीजिए तो बाहर कीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

श्रीमन्, मैं सच कहता हूं कि प्रश्नों से सम्बन्धित उत्तर मुझे नहीं मिला, उस पर मेरे दस्तखत नहीं हैं, यदि आप कहते हैं, तो वह फर्जी बनाए गये होंगे।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा नहीं कि यहां से प्रयास नहीं हुआ। यहां से भेज दिया गया। यदि माननीय सदस्य कह दें कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे तो वहीं पर भेज दिया करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

आप इसको अपनी रिकार्डस से जांच कर लें, वेरीफाई कर लें कि ये समय पर हम लोगों को नहीं मिलते हैं। इसके वजह से प्रायः हमें परेशानी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष---

कोई बताए कि कक्ष में उसको समय पर नहीं मिलता है तो उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता ह कि जो किताबें यदि दस्तखत करके दी जाती हैं, उसको नहीं देखते हैं और उनको भ्रम हो जाता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

इस विद्यालय में घोर अनियमितता व्याप्त है, इस विद्यालय के प्रबन्धक इस विद्यालय के धन से पी0 डब्ल्यू0 डी0 का ठेका लिए हुए हैं, जिसमें 4 हजार का घाटा हुआ। वह विद्यालय को अपनी आमदनी का जरिया बनाए हुए हैं, तो क्या मंत्री जी इन तमाम अनियमितताओं की जांच करा लेंगे, और यह भी कि इसका नक्शा भी गलत है?

श्री रामजीलाल सहायक---

माननीय सदस्य लिखकर दे दें तथ्यों को तो उसकी जांच करा लूंगा और वहां व्यवस्था करूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं और मुझे कोई विवरण नहीं देना है। ऐसे बहुत से मामलों में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इसकी जांच करा लूंगा।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया था या नहीं? और यदि स्वयं किया ह तो किन तारीखों में किया है?

श्री राम जी लाल सहायक---

स्वयं गये या नहीं गये, लेकिन जो आख्या उनकी है, उससे जाहिर है कि उस स्कूल का अपना भवन ही नहीं है बल्कि इस स्कूल को सन् 71 में इंटर की मान्यना मिली थी, उसमें भी भवन पर्याप्त मिला, विज्ञान की मान्यता मिली, तब भी भवन पर्याप्त मिला।

श्री राम सेवक यादव---

मंत्री जी ने बताया कि विद्यालय निरीक्षक ने उसका कोई नक्शा भेजा ह, तो प्रश्न उस नक्शे का नहीं, प्रश्न यह है कि जो उक्त नक्शा है वह दूसरे विद्यालय का ह और जहां पर यह स्कूल चलता है वहां पर नक्शे के अनुरूप कोई इमारत है ही नहीं, तो क्या इस धोखाधड़ी की जांच मंत्री जी जिला विद्यालय निरीक्षक से उच्च किसी अधिकारी से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे? और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे?

श्री रामजी लाल सहायक---

मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य इन सब तथ्यों को लिख कर मेरे पास दे दें, तो मैं उच्च से उच्च अधिकारी से इसकी जांच करा दूंगा।

उन्नाव जनपद में इण्टरमिडिएट बोर्ड की 1974 की परीक्षाओं के केन्द्रों पर बी० डी० टी० इण्टर कालेज के अध्यापकों को निरीक्षक नियुक्त न किया जाना

*4---श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद में इन्टरमीडिएट बोर्ड की 1974 की परीक्षाओं में केन्द्रों पर कितने निरीक्षकों की आवश्यकता थी और उनमें से कितने माध्यमिक जूनियर तथा प्राइमरी अध्यापकों में और कितने लिपिकों तथा प्रसार अध्यापको में से निरीक्षक नियुक्त किये गये? उन्नाव के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में से कितने ऐसे बाकी रह गये जिनको उक्त परीक्षाओं में निरीक्षक नियुक्त नहीं किया गया?

श्री रामजी लाल सहायक---

उन्नाव जनपद में इन्टरमीडिएट बोर्ड की 1974 की परीक्षाओं में 28 केन्द्रों पर कुल 1148 निरीक्षकों/निरीक्षिकाओं की आवश्यकता थी। इनमें से 849 माध्यमिक, 215 जूनियर तथा प्राइमरी अध्यापकों, 7 लिपिकों, 24 प्रसार अध्यापकों, 47 दीक्षा विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं एवं 6 प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को निरीक्षक नियुक्त किया गया था। इस जनपद के किसी भी माध्यमिक विद्यालय का कोई अध्यापक बाकी नहीं बचा था, जिसे निरीक्षण कार्य से वंचित किया गया हो।

*5---श्री भीखालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद में बी0 डी0 टी0 इन्टर कालेज, मियांगंज के छात्रों को संस्थागत मानते हुये 1974 की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित किया गया है लकिन उन छात्रों के अध्यापकों को निरीक्षक के कार्य में नहीं लगाया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री रामजी लाल सहायक---

बी0 डी0 टी0 इन्टर कालेज, मियांगंज की विवादास्पद स्थिति के कारण उक्त विद्यालय के छात्रों को सचिव, माध्यमिक जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा, 1974 में पूर्णतः अस्थायी रूप से सम्मिलित होने हेतु अनुमति दी गई थी। विद्यालय के उन सभी अध्यापकों को जो नियमित रूप से विद्यालय म उपस्थित होकर शिक्षण कार्य कर रहे थे और जिन्हें संस्थाधिकारी द्वारा अध्यापक के रूप में मान्यता थी, निरीक्षक नियक्त किया गया था।

श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 डी0 टी0 इंटर कालेज, मियांगंज में क्या विवाद ह और उसको हल कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इस स्कूल में जो हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे जब इसे इन्टरमीडियेट कालेज बनाया गया तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इनको प्रधानाचार्य बना दिया जाय। उनको प्रधानाचार्य नहीं बनाया बल्कि 19-4-73 को उनको निलम्बित कर दिया और कृपा शंकर को प्रधानाचार्य बना दिया गया। उन्होंने अपने को निलम्बित नहीं माना और न्यायालय में चले गये और न्यायालय से स्टे ले आये, न्यायालय ने फैसला दे दिया कि इनको प्रधानाचार्य माना जाय। दूसरे कृपा शंकर, जिनको मैनेजमेंट ने नियुक्त किया था उस वक्त, वह भी न्यायालय में चले गये। वह यह फैसला लाये कि यह भी प्रधानाचार्य बना रहे। दो प्रधानाचार्य हो गये। उनम आपस में पार्टीबन्दी हुई। कुछ छात्र उनके साथ थे, कुछ छात्र उनके साथ अलग-अलग स्कूल लगने लगा। विभाग ने कोशिश की वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कि आपस में तस्फिया हो जाय, कोई सूरत निकल आये, लेकिन कोई सूरत नहीं निकल पायी। तमाम छात्रों ने जो पहले प्रधानाचार्य के साथ थे उन्होंने कहा कि हम को शिक्षा दिलायी जाय और हमारी परीक्षा करायी जाय। इस बात को माध्यमिक शिक्षक परिषद् ने मंजूर किया, उन सभी छात्रों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में स्थायी रूप से सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान की।

श्री भीखालाल—

शिक्षा मंत्री बताएंगे, जैसा बताया हाईकोर्ट ने दोनों प्रिंसिपलों को स्वीकार किया और दोनों प्रिंसिपल अलग-अलग विद्यालयों के दो हिस्सों में छात्रों को शिक्षा देते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जब दोनों हिस्सों के लड़कों को परीक्षा में बैठने की मान्यता दी तो एक हिस्से के अध्यापकों को निरीक्षक नियुक्त किया और दूसरे हिस्से के अध्यापकों को निरीक्षक नियुक्त नहीं किया इसका क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने उत्तर में पूर्व निवेदन किया है कि विद्यालय के उन सभी अध्यापकों को जो नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षण काय कर रहे थे और जिन्हें संस्थाधिकारी द्वारा अध्यापक के रूप में मान्यता थी, निरीक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन जो अध्यापक हाजिर नहीं होते थे और जिनको संस्थाधिकारी की मान्यता नहीं प्राप्त थी उनको कैसे करते ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जहां तक मझे विदित है इंटरमीडिएट के प्रिंसिपल की जो नियुक्ति होती है उसका पुष्टिकरण विभाग द्वारा किया जाता है, या अगर किसी को निलम्बित किया जाता है तो विभाग द्वारा पुष्टिकरण किया जाता है, तो जो पहले थे—प्रिंसिपल और जिनको बाद में नियुक्त किया गया है क्या उनका पुष्टिकरण विभाग द्वारा किया गया था ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जो पहले प्रधानाचार्य थे उनको ऐप्रूवल जिला विद्यालय निरीक्षक ने दे दिया था।

ग्राम वसावनपुर, जिला गोरखपुर के प्राइमरी स्कूल का भवन-निर्माण

*6—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

14 सिम्बर, 1972 के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न 2 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस सम्बन्धित पत्र की प्रश्नकर्ता ने दिसम्बर, 72 में ही

दिया था और जिसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर एवं उप निदेशक, गोरखपुर को प्रेषित की थी, उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की (सहारनपुर) को शीघ्र भवन-निर्माण हेतु लिखा गया था। फलस्वरूप प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण-कार्य लगभग सम्पन्न हो चुका है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करगे कि प्राइमरी स्कूल जिस स्थान से सम्बन्धित है वह गांव राप्ती नदी के दाएं तट पर पड़ता है और क्या इसका निचला स्तर ऊंचा करके बनाया गया है या जमीन के बराबर ही उसकी सीढ़ी ह ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो साधिकार नियंत्रक का आपने प्रश्न कर किया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

ऐसा है अध्यक्ष जी कि जो रुड़की से भवन संबंधी योजना है, जहां स्कूल की बिल्डिंग बनी है वहां राप्ती नदी का निचला हिस्सा पड़ता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि....

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है। यह तो बता रहे हैं कि भवन-निर्माण हो गया है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जो जल स्तर है वह बाढ़ से बहुत नीचे पहुंच गया ह तो क्या उसकी जमीन से कुछ ऊंचा करके जुड़ाई शुरू हुई है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का प्रश्न है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्कूल के भवन पर कितना खर्चा हुआ है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, यह जो प्राइमरी पठशालायें इनकी देखरेख में बनाई गई हैं वह प्रति स्कूल 11,900 रुपया मंजूर किया गया था।

श्रीबुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रावस्ती, जिला बहराइच में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

*7—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के श्री बुद्ध उ0 मा0 विद्यालय, श्री वस्ती मे साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति का प्रकरण कब से चल रहा है ? क्या यह सत्य है कि माननीय शिक्षा मंत्री को इस सन्दर्भ में बहराइच के विधायकों द्वारा दिनांक 28 मार्च, 1974 को ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

कथित विद्यालय में साधिकार नियंत्रक या प्रकरण जनवरी, 1973 से चल रहा है।

इस सम्बन्ध में अपेक्षित संदर्भ विधायकों से प्राप्त हुये हैं। अधिकार नियंत्रक की नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐक्ट की धारा 16-डी, के अनुसार कार्यवाही तथा मामले का परीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने विद्यालयों में साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने का सरकार विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष---

इससे क्या मतलब है। एक विद्यालय के साधिकार नियंत्रक के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि धारा 16 (डी) के अनुसार मामले का परीक्षण किया जा रहा है तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, धारा 16 (डी) के अनुसार विद्यालय को नोटिस दिया जा चुका है कि कारण बतायें कि आपके यहां इन अनियमितताओं के कारण साधिकार नियंत्रक क्यों न बिठाया जाय। जब यह हो रहा था तो वे न्यायालय में चले गये। उसने यह खामी बताई है कि दो नोटिस दने चाहिये। इसलिये दूसरे नोटिस की कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच विद्यालय के मंत्री ने पत्र लिखा कि यहां की स्थिति अच्छी हो गई है। इसलिये साधिकार नियंत्रक न बिठाया जाय। कुछ विधायक ने भी कहा है। इसलिये दूसरा नोटिस शीघ्र दिया जा रहा है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

क्या दूसरा नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो रजिस्ट्री से दिया गया है या किस तरह से दिया गया है?

श्री रामजी लाल सहायक---

16(डी) वाला नोटिस दिया गया और दूसरा 16 (डी) (3) के अनुसार दिया जा रहा है कि हम साधिकार नियंत्रक बिठायेंगे। यह 4-6-74 को दिया जा चुका है।

ग्राम मुजेहरा, जिला मिर्जापुर के जूनियर हाई स्कूलों की बिल्डिंग का निर्माण

*8---श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर जनपद में मुजेहरा ग्राम में जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनान के लिये 18,000 रुपय की स्वीकृति 1971 में की गई थी और अभी तक विद्यालय नहीं बन सका, यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राम जी लाल सहायक---

जी हां, मुजेहरा ग्राम में जूनियर हाई स्कूल का भवन बनाने हेतु 15,000 रुपये तथा साज-सज्जा के क्यातार्थ 3,000 रुपये का अनुदान 1971 में दिया गया था। इंटों का क्रय किया जा चुका है तथा शष कार्यवाही सम्पन्न कराने हतु विचार किया जा रहा है।

कछवा-बड़ागांव, भोजूवीर-गड़खड़ा-सिधोरा सड़क वाराणसी का निर्माण एवं वरुणा नदी पर पुल का निर्माण

*9--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में बनने वाली कछवा-बड़ागांव सड़क उसमें पड़ने वाली वरुणा नदी में पुल तथा भोजूवीर से गड़ खड़ा सिधौरा की सड़क अब तक पूरी क्यों नहीं बन पाई है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)--

कछुवा-बड़ा गांव मार्ग में से प्राधा किलोमीटर जहां भूमि पर भौतिक अधिकार न मिलने के कारण तथा कपसेठी से अनई का भाग जो जिला परिषद् के अधीन हैं, को छोड़कर पूरी सड़क बन गई है।

वरुणा नदी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आशा की जाती है कि कार्य जून, 1975 तक पूरा हो जायगा।

भोजूवीर-गड़खड़ा-सिधौरा मार्ग के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण न हो सका। कार्य के मार्च, 1975 तक पूर्ण होने की आशा है।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के अधीन जो यह सड़क बन रही है और उस पर मिट्टी पड़ गयी वह पी0 डब्लू0 डी0 को ट्रांसफर हो गयी है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

श्रीमन्, उसके लेने का प्रश्न नहीं है। सड़क जब ट्रांसफर होती है तो जिला परिषद् प्रस्ताव करती है कि इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ले ले।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कछवा से बड़ागांव तक सड़क बन गयी है और बीच में रह गयी है तो क्या यदि जिला परिषद् प्रस्ताव करती है तो उसे बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जब प्रस्ताव करेंगे तब उस पर विचार किया जायेगा।

अकबरपुर व रेवना रूजबहा को कानपुर डिवीजन में मिलाने पर विचार

*10--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) तथा श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह जिला कानपुर के अन्तर्गत अकबरपुर रुचवहा और रेउना रुचवहा को इटावा डिवीजन से काटकर कानपुर डिवीजन में मिलाने पर विचार कर रहे हैं? क्या यह भी सच है कि इटावा डिवीजन से सम्बन्धित अकबरपुर, रुचवहा एवं रेउना रुचवहा को ठीक से पानी नहीं मिल रहा है और क्या उपरोक्त रुचबहों की देख भाल भी कतई नहीं होती है? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सिंचाई मन्त्री (श्री महमूद अली खां)—

अकबरपुर व रेवना राजवाहों को इटावा डिवीजन से कानपुर डिवीजन में मिलाने का विचार नहीं है। इन राजवाहों को ठीक से पानी मिल रहा है और देखभाल भी ठीक हो रही है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

औरा गांव, जिला बांदा में लिफ्ट सिंचाई योजना

*11—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा में बांगे नदी पर औरागांव में लिफ्ट सिंचाई योजना के लिये गत वर्ष सर्वेक्षण किया गया था? यदि हां, तो उस योजना को स्वीकार करके लागू किये जाने में क्या कठिनाई है? क्या उसको शीघ्र ही लागू किया जायगा?

श्री महमूद अली खां—

इस लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण सन् 1970–1971 में किया गया था। परियोजना का विस्तृत आगणन तैयार किया जा रहा है। यदि यह योजना शासन के सीमित साधनों को देखते हुए उपयुक्त पायी गयी तो इसको पंचम पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जायगा।

शाही टाउन एरिया, जिला बरेली को किच्छा नदी के कटाव से हुई हानि तथा उसे रोकने की योजना

*12—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली जिले के अन्तर्गत शाही टाउन एरिया कस्बे की बहुत सी आबादी के मकानात को किच्छा नदी काट चुकी है जिसके कारण पच्चीसों लाख पये की हानि हो चुकी है?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

पिछले दो वर्षों से 1.25 लाख रुपये की सम्पत्ति आदि की हानि का अनुमान है।

*13—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या यह देखते हुए कि वर्षा निकट है और किच्छा नदी की धारा बराबर आबादी की ओर कटाव कर रही है क्या सरकार तुरन्त नदी की धारा को मोड़ देने के लिये कार्यवाही करेगी जिससे शाही कस्बा कटने से बच सके?

श्री महमूद अली खां—

शाही कस्बे को किच्छा नदी के कटाव से बचाने हेतु योजना विचाराधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 5.64 लाख रुपया है। योजना की स्वीकृति तथा धनराशि प्राप्त होने पर ही प्रस्तावित निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

पिपरा पुल, जिला बलिया पर पथकर की वसूली

*14—श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया) तथा श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिलान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से टोंस नदी पर पीपरा पुल का निर्माण करीब 14 लाख रुपये से वर्ष 1966 में किया गया था जिसकी लागत खर्च अनुदान की धनराशि छोड़ कर पथ-कर के रूप में जनता से मार्च, 1974

तक वसूल हो चुकी है किन्तु इस वसूली के पश्चात् भी पथ-कर जनता से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की लागत अभी पथ-कर से नहीं वसूल हो पाई है । अतएव इस पुल पर पथ-कर वसूल किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

नहर गंगा साख इटावा, जिला कानपुर, गांव खमैला, झींझक व जुरिया पर छोटी पुलिया का निर्माण

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में नहरगंगा साख इटावा पर झींझक और जुरिया गांवों के बीच खमैला गांव के सामने नहर पर एक छोटी पुलिया बनाने की शासन की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुलिया निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा अथवा इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

*2—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि खमैला गांवों की किसानों की खेती नहर के उत्तर की ओर भी है, सामने पुल न होने से किसान तीन-तीन मील का चक्कर काटकर खेतों पर जाते हैं, जिससे समय और कृषि उत्पादन की हानि हो रही है? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महमूद अली खां—

यह सही है कि खमैला गांव के किसानों की खेती नहर के उत्तर की ओर भी है। इटावा ब्रांच पर ग्राम खमैला के पास एक पुल मील 94.00 के नजदीक व दूसरा मील 97.30 के निकट स्थित है। इन्हीं पुलों को पार कर काश्तकार अपने खेतों पर लगभग 2 1/2-3 मील चलकर जाते हैं ।

बिसवां से सांडा-सकरन-तमबीर, जिला सीतापुर की सड़क को पक्की करने का विचार

*3—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में बिसवां से सांडा-सकरन होते हुए जो सड़क तम्बीर गई है उसको पक्की बनवाने की कृपा करेंगे जिससे कि यातायात के साधन उपलब्ध होने पर क्षेत्र का विकास हो सके ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

*4—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मन्त्री जी उपरोक्त सड़क पर सांडा जो सकरन ब्लाक का मुख्य केन्द्र है केवानी नदी पर पुल निर्माण कराने की कृपा करेंगे जिससे कि बरसात में यातायात के रास्ते न बन्द हों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस पुल के निर्माण का भी इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तकनीकी शिक्षा परिषद् के उप-सचिव के पद पर नियुक्ति

*5—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तकनीकी शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में उप-सचिव का पद कब से रिक्त है और उस पर प्राविधिक व्यक्ति की नियुक्ति अभी तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

तकनीकी शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में उप सचिव का पद शासनादेश दिनांक 28-11-1961 से सृजित किया गया था । इस पद पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति पर की जानी है । आयोग द्वारा तीन बार पद विज्ञापित किया गया । पिछली दो बार कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ । तीसरी बार के विज्ञापन के आधार पर लोक सेवा आयोग ने जो संस्तुति भेजी है वह शासन के विचाराधीन है । अतः इस कारण से अभी नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

*6—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पद के लिये एक प्राविधिक व्यक्ति का चयन कर लिया गया है और शासन द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1974 को चुने गये अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र देने के आदेश भी जारी कर दिये गये लेकिन फिर भी अभी तक उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा हाल में उक्त पद के लिये एक प्राविधिक व्यक्ति का चयन कर लिया गया है । आयोग की संस्तुति विचाराधीन है । शासन द्वारा अभी किसी को नियुक्ति पत्र देने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

*7—श्री ऊदल—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*8—श्री ऊदल—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

प्रदेश के उर्दू अध्यापकों को हटाने का आदेश

*9—श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन चार हजार उर्दू अध्यापकों की नौकरी का क्या हो रहा है जो पिछले चुनाव के पहले नौकरी पर रखे गये थे? क्या सरकार ने उन्हें नौकरी से हटाये जाने के आदेश दे दिये हैं? यदि उन्हें अब हटाया जा रहा है तो किस वजह से?

श्री रामजी लाल सहायक—

शिक्षा सत्र 73–74 में 4574 उर्दू अध्यापक नियुक्त किये गये हैं और निर्धारित योग्यता रखने वाले किसी भी उर्दू अध्यापक को नौकरी से हटाये जाने के आदेश नहीं दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार के बीच सहारनपुर पुल पर टोल टैक्स के मामले पर विवाद

*10—श्री सत्यपाल मलिक—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में सहारनपुर पुल पर टोल टैक्स के मामले को लेकर कोई विवाद चल रहा है और टोल टैक्स की कुछ रकम हरियाना प्रदेश पर बकाया है ? यदि हां, तो उसे वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के गैर-सरकारी बालकों के माध्यमिक विद्यालयों के प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों का वतन

*11—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गैर-सरकारी बालकों के माध्यमिक विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों के समान संयुक्त खाते से वेतन दिलाने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण हेतु गठित समिति

*13—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई समिति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसने अब तक क्या विचार किया है तथा उसके कौन-कौन सदस्य हैं और कितने ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां । समिति ने अब तक माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के विभिन्न उपायों पर विचार किया है । समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 216 पर)

गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल, ददरौल (शाहजहांपुर) के अध्यापकों का वेतन व भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान

*14—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल, ददरौल (शाहजहांपुर) में कुछ अध्यापकों ने शिक्षा सत्र 1970–71 में इस्तीफा दिया? यदि हां, तो उनमें से किस-किस की वार्षिक वृद्धि एवं भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, केवल एक अध्यापक । उनकी वार्षिक वृद्धि एवं भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान यथा शीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

पी० डब्लू० डी० के कुछ डिवीजनों को तोड़ने का विचार

*15—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा राम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पी० डब्लू० डी० के कुछ डिवीजनों को तोड़ने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने डिवीजन कब से तोड़े जायेंगे ? इससे कितने कर्मचारी बेरोजगार होंगे तथा उनको नौकरी में रखने की दृष्टि से सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं । इस समय डिवीजनों को तोड़ने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*16—श्री काशीनाथ मिश्र—

[5वें गुरुवार के लिये तारांकित प्र० सं० 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17—श्री रणधीर सिंह—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

*18—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*19—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौ मास से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ के 21 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से केवल 1 कर्मचारी (श्री हरिश्याम) को दिनांक 1 अक्टूबर, 1973 से वेतन नहीं दिया जा रहा था । चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर आधारित अवकाश सम्बन्धी नियमों की औपचारिकायें पूरी करने के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ । अब यह वेतन दे दिया गया है ।

ग्राम तेजगढ़, जिला बस्ती के प्रधान को विद्यालय के भवन हेतु दिया गया तथा कथित अनुदान

*20—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खंड बांसी के ग्राम तेजगढ़ के प्रधान को विद्यालय भवन बनाने के लिये 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 और 1974-75 में माह अप्रैल, तक कितना अनुदान दिया गया? तथा अब तक भवन निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1971–72 से अप्रैल, 1974 तक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रधान ग्रामसभा तेजगढ़ को कोई धनराशि नहीं दी गई ।

संस्कृत महाविद्यालय, सकाहा, हरदोई के वर्गीकरण में अनियमितता

*21—श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

क्या यह सत्य है कि संस्कृत पाठशालाओं के वर्गीकरण के लिये कोई इस संख्या सी0 11/5673–11-35 (24)–1958, दिनांक 16 मार्च, 1974 की राजाज्ञा है? यदि हां, तो क्या उस राजाज्ञा में परीक्षाफल के प्रतिशत को आधार मानने का कोई प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि संस्कृत महाविद्यालय, सकाहा, हरदोई के वर्गीकरण के संबर्भ में घोर अनियमितताये चल रही हैं?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, संस्कृत पाठशालाओं के वर्गीकरण के लिये राजाज्ञा संख्या सी0 2/5673-15–35(24)–1958, दिनांक 16–3–64 जारी की गई थी । इस राजाज्ञा में परिक्षाफल के प्रतिशत को आधार मानने का उल्लेख नहीं है । संस्कृत महाविद्यालय, सकाहा, हरदोई के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

*22–23—श्री कल्याण सिंह—

[4थे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 32–33 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

*24—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[5वें शुक्रवार के लिए तारांकित प्र0 सं0 60 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

नलकूप चम्पापुर, जिला इलाहाबाद का बन्द होना

*25—श्री अठई राम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील का नलकूप नं0 122 एच चम्पापुर अर्सा 1 वर्ष से बन्द व खराब हालत में चल रहा है जिससे फसल रबी सन् 1381 में केवल 20 बीघे की सिंचाई हुई है और चालू फसल में भी वह बन्द है? यदि हां, तो सरकार इस पर कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

यह सही है कि जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया का नलकूप संख्या 122 एच चम्पापुर पिछले वर्ष विभिन्न खराबियों के कारण समय-समय पर बन्द रहा जिसके कारण सम्बन्धित पिछली रबी की फसल में लगभग 20 बीघा भूमि की सिंचाई हुई । नलकूप अधिक मात्रा में रेत बेने के कारण चालू फसल में बन्द है जिसे ठीक कराने का कार्य किया जा रहा है ।

*26—श्री शिव सम्पत्ति राम—

[5 वें मंगलवार के लिए तारांकित प्र0 सं0 38 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मोहम्मद रफी खां—

[5वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

2—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[3रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ड्रेनेज विभाग बस्ती, बानगंगा नहर पर टेस्ट वर्क के अन्तर्गत खर्च की गयी धनराशि

3—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज विभाग बस्ती के अन्तर्गत बानगंगा नहर में 1972, 1973 तथा 1974 सालों में टेस्ट वर्क के द्वारा कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री महमूद अली खां—

ड्रेनेज खन्ड, बस्ती के अन्तर्गत स्थित नहर एवम् उसकी शाखाओं पर टेस्ट वर्क के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1972–73 में कुल धन 1,72,501.25 रु0 तथा 1973–74 में कुल धन 88,791.25 रुपये व्यय हुए हैं ।

4—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बघैल ताल, जिला बहराइच पर लिफ्ट सिंचाई योजना

5—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में प्रयागपुर स्थित बघैल ताल पर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री महमूद अली खां—

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

6—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[2रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

वाराणसी जिले की सड़कों का निर्माण

7—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का तारीख 4 मई, 1954 का भेजा हुआ पत्र वाराणसी जिले की सड़कों के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर इस समय धनाभाव के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

शोहरतगढ़ नेपाल सीमान्त मार्ग एवं देवरुआ-शोहरतगढ़ मार्ग का निर्माण

8—श्री प्रभु दयाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में देवरुआ से शोहरतगढ़ सड़क राज नैपाल सीमा से बन रही है ? यदि हां, तो वह सड़क कब शुरू और कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

इस मार्ग का निर्माण कार्य निम्नलिखित दो भागों में स्वीकृत हुआ था:—

(क) शोहरतगढ़ नेपाल सीमान्त मार्ग—कार्य माह फरवरी, 1970 में प्रारम्भ हुआ था और माह अप्रैल, 1971 में पूर्ण हो गया ।

(ख) देवरुआ–शोहरतगढ़ मार्ग—कार्य माह अप्रैल 1963 में प्रारम्भ हुआ था और माह मार्च, 1975 तक पूर्ण होने की आशा है ।

नवाबगंज हौलिया मार्ग, जिला बहराइच के निर्माण की मांग

9—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिला के विकास खंड नवाबगंज में नवाबगंज से हौलिया तक जाने वाले मार्ग का निर्माण इस चालू पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का विचार है ? यदि हां तो कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग को अभी पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है तथा स्वीकृति नहीं है । अतः कार्य आरम्भ होने या पूरे होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिवनाथपुर-कंचनपुर एवं अहरौरा उप मार्ग, जिला मिर्जापुर का निर्माण

10—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद के सीखड़, नरायनपुर व जमालपुर ब्लाक में कौन-कौन सड़क पक्की बनने के लिये स्वीकृत है और इनका निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जनपद मिर्जापुर के सीखड़, नरायनपुर ब्लाकों में कोई सड़क पक्की बनाने के लिए स्वीकृत नहीं है । जमालपुर ब्लाक में दो निम्नलिखित सड़कें स्वीकृत हुई हैं:—

(1) जिवनाथपुर—कंचनपुर ।

(2) अहरौरा उप मार्ग ।

इन सड़कों पर कार्य प्रगति पर है ।

11—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[6 वें मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ड्रेनेज डिवीजन, गोरखपुर के सहायक अभियन्ता तथाकथित स्थानान्तरण

12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ड्रेनेज डिवीजन में कितने सहायक अभियन्ता तीन साल या तीन साल से अधिक समय से कार्यरत रहे हैं? इनमें से कितनों का स्थानान्तरण करके रोका गया है? और क्यों?

श्री महमूद अली खां—

(प्रथम भाग) ऐसा कोई नहीं है।

(द्वितीय भाग) प्रश्न नहीं उठता।

गौरीघाट, जिला गोरखपुर पर पुल के निर्माण की मांग

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार के स्थान गोरी घोट (गोरा नदी) से होकर जो मुख्य मार्ग गोरखपुर से झगहां, बरही, गोबडौर होते रुद्रपुर (देवरिया) को जाती है? क्या इस भू-भाग के विकास हेतु गौरी घाट पर सरकार पुल बनवाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार के स्थान गौरीघाट (गोरा नदी) पर पीपे के पुल के निर्माण हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ करेगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील डेरापुर, जिला कानपुर में नलकूपों का निर्माण

15—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में अब तक कितने राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है और वर्ष 1974–75 में डेरापुर तहसील के अन्तर्गत किन-किन विकस खंडों में अलग-अलग कितने नलकूपों का निर्माण होगा और किन-किन गांवों में यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा और स्वीकृत नलकूपों का निर्माण कब तक मुकम्मिल हो जायगा?

श्री महमूद अली खां—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में अब तक (मई 74) 2 नलकूपों का छिद्रण हो चुका है। 3 और नलकूप के छिद्रण हेतु स्थल निर्धारित कर दिया गया है। वर्ष 1974–75 में डेरापुर तहसील के किन-किन विकास खण्डों और किन किन गांवों में नलकूप बनाये जायेंगे इसका निर्णय जिला चयन समिति द्वारा नियमानुसार लिया जावेगा। यह निर्णय होने के बाद ही नलकूपों के निर्माण प्रोग्राम बनाया जा सकेगा।

खड्डा, जिला देवरिया के ट्यूबवेल के चालू होने में विलम्ब

16—श्री श्री नारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेगी कि देवरिया जिले के खड्डा सरकारी ट्यूबवेल को चालू करने के विलम्ब का क्या कारण है?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

17—श्री राम रेखा यादव—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

करछलिया घाट, जिला बस्ती पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

18—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में उस्का–मोहाने सड़क पर करछलिया घाट पर पक्का पुल बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायेगा?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19—श्री हरिकेवल—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

20—श्री राम सेवक यादव, श्री मधुकर दिघे तथा श्री पुरुषोत्तम शर्मा—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, जिला बस्ती के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन मान व मंहगाई भत्ता

21—श्री प्रभु दयाल—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को 1973–74 में बढ़ी हुई महंगाई दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं ।

बढ़ी हुई महंगाई उन्हीं पदाधिकारियों के वेतन के साथ देय है जिनके वेतनमान के बारे में पिछले वेतन आयोग ने अपनी संस्तुति दी थी । संयोगवश गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर-हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में आयोग ने कोई सस्तुति नहीं दी है ।

महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय, जोगिया, जिला बस्ती द्वारा मंहगाई भत्ते की धनराशि की मांग

22—श्री प्रभुदयाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध विद्यालय जोगिया, बस्ती ने 1972–73 में अपने बकाये महंगाई की मांग की थी ? यदि हां, तो यह महंगाई का बकाया धन आज तक स्कूल को न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां ।

वर्ष 1972-73 के लिये महंगाई भत्ते की धनराशि रु0 5296 विद्यालयों को स्वीकृत की गई । इसे कम बताते हुए अप्रैल 74 में विद्यालय ने 2076 032 पैसे की अतिरिक्त मांग की है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस मांग को 27-4-74 को सक्षम अधिकारी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को भेज दिया है ।

ब्लाक दानपुर तथा डिवाई, जिला बुलन्दशहर में सड़क व पुल के निर्माण का प्रस्ताव

23---श्री हिम्मत सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर तथा डिवाई में 1973-74 में कौन-कौन सी सड़कें तथा पुल बनने हेतु प्रस्तावित थे और अब तक इनमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 217-219 पर)

माइनर रजापुर, जिला कानपुर के करीब नाले की खोदाई

24---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में बहेरा नाला का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें रजापुर माइनर, के पार दक्खिन और प्राकृतिक नाला और खाली भूमि है, जिसमें इस नाले का पानी जा सकता है ? इसके बावजूद भी रजापुर माइनर के दक्खिन में उपजाऊ खेतों से उक्त नाला खोदा जा रहा है, जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि भी जा रही है? क्या इस स्थान का निरीक्षण शीघ्र करा कर उचित स्थान पर नाला रक्खा जायगा और कब तक इस कार्य के पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री महमूद अली खां---

जी नहीं । माइनर रजापुर के पार दक्षिण की ओर एक रास्ता है न कि प्राकृतिक नाला। उपरोक्त रास्ते के साथ ही अध्याप्त की गयी भूमि पर नाला खोदा गया है । रास्ते के साथ नाले का यही रेखांकन उपयुक्त है ।

नाले का कार्य मार्च, 1975 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

एक सदस्य---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---

सबसे बड़ी अव्यवस्था की बात है कि आप पर नजर नहीं पड़ी और आप बोलने लगे ।

नार्दन इंड़िया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974.

श्री सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की क्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि नार्दर्न इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 जिसे विधान सभा ने दिनांक 12 जून, 1974 को पारित किया उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 जिसे विधान सभा ने दिनांक 11 जून, 1974 को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफ़ारिश के दिनांक 25 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है।

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

श्री सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 जिसे विधान सभा ने दिनांक 12 जून, 1974 को पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है।

नेता विरोधी दल द्वारा विरोधाभासी भाषण तथा कार्य किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र आपको क्या आपत्ति है?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कल जो कट मोशन माननीय चौधरी रामपाल सिंह यादव ने मूव किया था उसका समर्थन करते हुए विरोधी दल के उप नेता श्री राम सेवक यादव ने सवा छ एकड़ तक लगान माफ करने की बात कही और जो पट्टे किये गये हैं उनको रद्द करने की बात कही। यह सब कट मोशन में है लेकिन चौधरी चरण सिंह का जो भाषण हुआ है वह इसके विरुद्ध हुआ है। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या उनको यह छूट है कि वे सदन में विरोधाभास का प्रदर्शन करें।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, ये किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

सुनने दीजिये। आपको मौका देंगे बाद में।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नेता विरोधी दल के ऐक्शन में इस तरह का विरोधाभास सदन की मर्यादा के विरुद्ध है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

कौन सी व्यवस्था के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल ठीक है, उसको आप लिखकर दें, क्या बात है यह।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। श्रीमन्, यह बिलकुल व्यवस्था का सवाल है।

(शोर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा, उन पर मैंने कहा कि वह अपनी सुलेखनी से उसको लिखकर भज दें और उसमें हम जांचेंगे कि उसमें क्या तथ्य है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मुझे तो कहना है कि व्यवस्था के नाम पर बहुत से माननीय सदस्य यहां पर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, उसमें हमको कहना है कि हम लोग खामोश बैठे और अव्यवस्था जो पैदा हो रही है वह शासक पक्ष की ओर से ही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

मोहम्मद असरार अहमद अपनी बात पर अमल करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जब हम को बात कहते हैं तो विरोधी पक्ष के लोग उसमें अव्यवस्था पैदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो सदस्य मेरी अनुमति से जो कुछ बोलते हैं, जो कोई माननीय सदस्य कोई सवाल करते हैं तो वह मेरी अनुमति से करते हैं। और अगर मेरी अनुमति से कोई माननीय सदस्य कुछ कहता है तो वह कुछ भी कह सकता है और उसने किसी अंश को काटने का मैं पक्षधर नहीं हूं। यदि कोई बिना इजाजत के और अपने ढंग से बोलने लगता है तो साफ है कि न मैं उनको बुला सकता हूं और न मेरे प्रतिवेदक जो यहां पर बैठे हैं वह सुन सकते हैं। जिसको मैंने इजाजत दे दिया है वही बोल सकता है।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की सूचना दी है कि दिनांक 20-6-74 के विधान सभा के उपवेशन में मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित

प्रश्न सं0 21 के उत्तर में माननीय मुख्यमन्त्री ने लिखित उत्तर में बताया कि दिसम्बर, 73 के अंतिम सप्ताह में मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, इलाहाबाद के पद पर किसी आई0 ए0एस0 अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है । दिनांक 25-6-74 के उपवेशन में मेरे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 11 के उत्तर में मुख्यमन्त्री ने लिखित उत्तर में बताया कि मुख्य नगर अधिकारी के पद पर एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्रीमन्, दोनों उत्तर एक ही विषय के सम्बन्ध में हैं किन्तु उत्तर भिन्न-भिन्न हैं, परस्पर विरोधी हैं, विरोधाभास है तथा अन्तर्विरोध भी । उक्त उत्तर दे करके मुख्यमन्त्री जी ने जो स्वायत्त शासन मन्त्री भी हैं, सदन को गुमराह किया है तथा दो में से एक उत्तर अवश्य ही गलत तथा असत्य है । इलाहाबाद नगर महापालिका में पिछले सात महीनों से वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी को मुख्य नगर अधिकारी के पद पर नियुक्ति न करके सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है । यही कारण है कि मुख्यमन्त्री ने दो परस्पर विरोधी उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है ।

20 जून के उत्तर में कहा गया है कि आई0ए0एस0 अधिकारी की नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है और 25 जून में कहा गया है कि मुख्य नगर अधिकारी के पद पर एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रयत्न किया जा रहा है । माननीय सदस्य का कहना है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, उनको गुमराह किया गया है । अब इस कार्यवाही का उपयुक्त अंश मैं पढ़ देता हूं ।

"दिसम्बर, 1973 के अंतिम सप्ताह से मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, इलाहाबाद के पद पर किसी आई0ए0एस0 अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।" यह 20 जून, 1974 का जवाब है, जो कार्यवाही का अंश है और दूसरा जो है वह 25 जून का है । उसमें कहा गया है "प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर इसी सत्र के दूसरे गुरुवार को दिया जा चुका है" जहां तक दूसरे अंश का सम्बन्ध है, श्री कटारा के जाने के बाद...." अब मैं प्रश्न भी पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है :—

> "क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका में दिसम्बर, 1973 में तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी श्री बी0 एस0 कटारा के स्थानान्तरण के पश्चात् से अभी तक कोई आई0ए0एस0 मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है और जिस एक अभियन्ता की नियुक्ति मुख्य नगर अधिकारी के पद पर की गई, उसके विरुद्ध राज्य सरकार को भ्रष्टाचार आरोप सम्बन्धी शिकायतें गत वर्ष प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्यों ?

इसका उत्तर माननीय मुख्यमन्त्री ने दिया कि "प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर इसी सत्र के दूसरे गुरुवार को दिया जा चुका है," जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया । "जहां तक दूसरे अंश का सम्बन्ध है श्री कटारा के जाने के बाद" अंतरिम तौर पर श्री व्यास, उप-नगर अधिकारी, मुख्य-नगर अधिकारी का कार्य करने लगे, लकिन व बीमार होकर अवकाश पर चले गये और उस बीच अर्थात् 5-2-74 से 31-3-74 तक श्री सुधीर मेहता, नगर अभियन्ता (विकास) को चार्ज दिला दिया गया । श्री मेहता के विरुद्ध फर्जी नाम से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो देखने से बेबुनियाद मालूम पड़ती थीं । मुख्य नगर अधिकारी के पद पर एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रयत्न किया जा रहा है" तो इसमें विरोधाभास कहां है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा जो पूर्व का प्रश्न है, वह यह है कि क्या दिसम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह से इलाहाबाद नगर महापालिका में किसी आई0ए0एस0 मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष---

आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। आप बतायें कि इसमें क्या विरोधाभास है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न था कि गत 7 महीने से इलाहाबाद नगर महापालिका में किसी आई० ए० एस० मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

दूसरा जो मेरा प्रश्न है, उसको भी यदि आप देखें, उसमें दिया हुआ है कि "क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका में दिसम्बर, 1973 में तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी श्री बी० एस० कटारा के स्थानांतरण के पश्चात् से अभी तक कोई आई० ए० एस० मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है और जिस एक अभियन्ता की नियुक्ति मुख्य नगर अधिकारी क पद पर की गई उसके विरुद्ध राज्य सरकार को भ्रष्टाचार आरोप सम्बन्धी शिकायतें गत वर्ष प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्यों? तो मेरा प्रश्न निश्चित है। दोनों प्रश्नों में आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने के सम्बन्ध में है। पहले प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है और दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जो अभी आपने पढ़ा है। इसमें सरकार ने कहा है कि मुख्य नगर अधिकारी के पद पर एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है और दूसरे में कहा है कि प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर इसी सत्र के दूसरे गुरुवार को दिया जा चुका है। जो 20 तारीख को आ चुका है। 25 तारीख के प्रश्न के दूसरे अंश के लिए कहा कि उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

नहीं श्रीमन्, वे क्या कहते हैं कि यह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह हैं...

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न नहीं है, यह सदन का प्रश्न है। इसकी व्याख्या किसी एक व्यक्ति पर नहीं छोड़ी जा सकता है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, लोक सभा में एक रूलिंग हो चुकी है कि प्रश्नों के उत्तरों में विरोधाभास से प्रिविलेज का सवाल नहीं बन सकता है। इसके लिए कभी भी सदन में शोधन वक्तव्य आ सकता है।

श्री अध्यक्ष---

मैं पहले यह देखना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई विरोधाभास है या नहीं। मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसमें सदन को गुमराह करने का प्रयत्न माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर मेरा यह निर्णय है कि जहां तक दोनों प्रश्नों के उत्तर का सवाल है, मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए मैं इस विशेषाधिकार की सूचना को अग्रह करता हूं।

श्रम मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरा चौधरी रामपाल सिंह ने श्री राजमंगल पाण्डेय के विरुद्ध दिया था। जिसके बारे में मैंने उस दिन कहा था। वह प्रश्न आज आया है। माननीय मंत्री जी आज हैं। चौधरी रामपाल सिंह का कहना यह है:—

"श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना की कोई योजना नहीं है, जब कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के बजट भाषण के चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विवरण पृष्ठ संख्या 17 में श्री नारायण दत्त तिवारी, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 32 एलोपैथिक चिकित्सालय, 51 आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय व 36 होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है।"

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

माननीय, अभी तक इस स्पष्टीकरण के लिए मेरे पास कोई कागज नहीं आया है। क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था तो जो मुझे आधार मिला था अधिकारियों से उसके आधार पर दिया था। अगर यह स्पष्टीकरण आ गया होता.....लेकिन मुझे मिला नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास भेज दिया है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी कापी भेज देता हूं।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

हम कल दे देंगे इस पर।

श्री अध्यक्ष—

अब इसको कल लेंगे।

6 जून, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

एक सदस्य—

मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न था?

श्री अध्यक्ष—

अभी हमने देखा भी नहीं है, आज आया होगा।

प्राविधिक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 6 जून, 1974 को श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी सहाय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि माननीय सूरजलाल गुप्त ने काफी दिनों से उतरौला (जिला गोंडा) में लड़कियों के स्कूल खोले जाने

[श्री रामजीलाल सहायक]

की मांग की है और यह जगह काफी दूर है इसलिए यहां पर जल्द से जल्द लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की कृपा करेंगे ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "हम सीधे स्कूल नहीं खोलते हैं, पब्लिक खोलती है। हम तो मान्यता और ग्रांट देते हैं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है--

"सरकार तो बहुत कम स्कूल खोल पाती है। पब्लिक स्कूलों को बनाती है, चलाती है। हम तो मान्यता दे देते हैं और ग्रांट दे देते हैं।"

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

एक प्रश्न कर दूं कि क्या आप उतरौला में कन्या विद्यालय खोलने पर विचार करेंगे, यह आश्वासन दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह शोधन वक्तव्य है। प्रश्न हमको भेज दें तो हम जवाब दिला दें। यह नयी परम्परा होगी।

श्री त्रिवेणी सहाय--

पता नहीं आप क्यों हम पर नाराज रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं अपने पर नाराज रहते हैं। जिस समय आपको वास्तव में कुछ कहना होता है तो किताबें और विधान पुस्तक लेकर खड़े हो जाते हैं और जिस समय आप अड़ंगेबाजी करना चाहते हैं उस समय किताब नहीं रहती है--तो मैं समझ जाता हूं कि आप मजाक करना चाहते हैं। हास्य की भी आवश्यकता होती ही है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आप मुझे अड़ंगा लगाने वाला बता रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो खाली एक आश्वासन चाहता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत दो सूचनाएं आयी हैं।

एक सदस्य--

एक प्रश्न मैंने दिया था विशेषाधिकार का, चीनी मिलों के संबंध में--बरेली एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री के....

अभी तो नहीं देखा मैंने।

हरदोई जिले के थाना टेड़ियावां में पुलिस ने इतना पीटा कि थाने के भीतर उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर अल्पसूचित प्रश्न आप करें।

दूसरा माननीय हिम्मत सिंह का है । वह हैं नहीं । तो ये दोनों अस्वीकार किये गये ।

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,31,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं इस उत्तर प्र ेश के श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग से प्रदेश में, जहां तक श्रमिकों का संबंध है, काफी शांति व्यवस्था रही । यह बड़ी खुशी की बात है कि और सालों के मुकाबले में "मैन डेज लास्ट" इस वर्ष कम रहे हैं । यह भी खुशी की बात है कि भले ही बिजली की कमी की वजह से या और परिस्थितियों के कारण भी जबकि इस प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था हमने, चाहे सूती मिल के मजदूर हों, चाहे चमड़ा में काम करने वाले हों, चाहे चीनी मिलों में काम करने वाले हों और चाहे श्रमिकों का वह वर्ग हो जो खेतिहर और गन्ना मजदूर के रूप में काम कर रहा हो, हर तरह से इस बात की कोशिश की कि जहां तक हो सके हम उनके लिये कुछ न कुछ करें और हमने कुछ किया भी ।

सदन को यह बताना भी उचित होगा कि आज हमारे प्रदेश की सूती मिलें अपने श्रमिकों को भारतवर्ष की सभी टेक्सटाइल मिलों से ज्यादा वेतन दे रही हैं । यहां तक कि एक माह पहले अहमदाबाद का वेतन जो सबसे ज्यादा था आज उससे भी ज्यादा हम दे रहे हैं । 325.13 रुपये फरवरी 1974 में निर्धारित किये गये थे और इसके साथ 254 अंक के ऊपर जब जब महंगाई का अंक बढ़ता चला जायेगा तो 1.23 रुपया फी अंक पर हम देते चले जायेंगे । यह तो रहा कानपुर के अन्दर वाली मिलों की बात । कानपुर के बाहर जो सूती मिलें हैं उनको हमने चार हिस्सों में बांटा और चार वेतन-क्रम निर्धारित किये । एक 165 रुपये से शुरू होगा, दूसरा 175 से शुरू होगा, तीसरा 190 से शुरू होगा और चौथा 206.60 से शुरू होगा । 1960 को जब बेस इयर मान कर 100 का अंक मानते हैं और 259 को आधार माना और जब भी अंक बढ़ा तो 1.23 रुपये के हिसाब से दिया । इसी तरह चीनी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को हमने 28.22 की बढ़ोत्तरी दी और 8.33 का रिटेनिंग एलाउन्स दिया जो भारतवर्ष में एक आध जगह को छोड़ कर सबसे ज्यादा है । टैनरी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को 27 रुपये की वेतन वृद्धि दी गयी और इंजीनियरिंग उद्योग में काम करने वालों को 30 से 40 रुपये तक की वृद्धि दी गयी । टेफकों में भी हमने एक निर्णय लिया और यह कह दिया कि 300 रुपये से नीचे वालों को 20 रुपया और 300 से ऊपर पाने वालों को 15 रुपये ज्यादा दिये जायं चूंकि पहले टैनरी वाले शामिल नहीं थे । इसी तरह से राज्य विद्युत परिषद् में काम करने वाले हर आदमी को हमने 30 रुपये अन्तरिम रिलीफ दिया । इस तरह से करीब-करीब 1 करोड़ रुपया पे पैकेट के साथ उनको अतिरिक्त मिल चुका है ।

इसके अलावा जो हमारे एवार्ड्स हुये हैं उनके अन्तर्गत भी करीब 27–28 करोड़ रुपया इन्सटालमेंट में देने की बात है, और वह भी मिल जायेगा, ऐसी संभावना है ।

[श्री राज मंगल पांडेय]

जो डिस्टलरीज में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिये भी बहुत कुछ किया गया है। वहां के श्रमिकों को भी हमने काफी दिया है। ऊनी मिल में काम करने वाले श्रमिकों के लिये भी काफी कुछ किया है। तेल मिल के श्रमिकों के लिये भी किया है, चाय-बागान, ग्लास उद्योग, तथा अन्य उद्योगों में भी काम, करने वाले मजदूरों के लिये काफी कुछ किया गया है।

खेतिहर मजदूरों के लिये भी इस बात की कोशिश की गयी है कि 20 एकड़ से कम वाले फार्मों पर कामदने वाले मजदूरों को 3 रुपये से लेकर 4.25 रुपये तक प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाय। 20 एकड़ से अधिक के फार्मों पर यह मजदूरी 3.20 से लेकर 4.50 रुपये प्रति दिन प्रति मजदूर हो।

कई श्रम कल्याणकारी योजनायें भी बनायी गयी हैं। उसके अन्तर्गत हमने कुछ कल्याण केंद्रों की स्थापना भी की है। उनके लिये पुस्तकालय खोले हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये भी सुविधायें प्रदान की हैं। कानपुर में जो टी0बी0 क्लीनिक्स हैं, उसमें भी 16–16 शय्याओं की क्षमता वाले 2 अतिरिक्त वार्डों का निर्माण किया है। यह निर्माण-कार्य हो चुका है। मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस श्रम कल्याण केंद्रों पर स्थित 29 ऐलोपेथिक, 22 आयुर्वेदिक, 23 होमियोपैथिक तथा यूनानी चिकित्सालयों में 13 लाख रोगियों की चिकित्सा हुई। राज्य के श्रम औद्योगिक नगरों में वर्ष 1973 में अन्त तक श्रमिकों के लिये 29,111 आवास गृहों का निर्माण हो चुका है। इनमें 6,500 लोग अनधिकृत रूप से रह रह थे। इन लोगों में से 5,000 के मामले रेगुलाराइज किये जा चुके हैं, बाकी पर हम विचार कर रहे हैं।

इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत हम 30 रुपये प्रति व्यक्ति देते हैं। 60 वर्ष से ऊपर की आय वालों को यह पेंशन सहायतार्थ दी जाती है। वर्ष 1973 में 3,700 लोगों को जो वृद्ध थे, पेंशन दी गयी। वर्ष 1973 के अन्त तक जीवित पेंशनरों की संख्या लगभग 19 हजार थी और गत वर्ष 56 लाख रुपया इनको दिया गया। इस वर्ष 1974–75 के लिये 67 लाख रुपया रखा गया है।

सीमित साधनों के अन्दर रहते हुए 2 अतिरिक्त श्रम न्यायालय भी खोलने का हमारा विचार है। कानपुर और मेरठ में जो पहले से काम कर रहे हैं उनके अतिरिक्त यह खोलने पर विचार कर रहे हैं। इस पर भी जल्दी ही निर्णय हो जायेगा। 3 इंडस्ट्रियल ट्रीबुनल-एक कानपुर, एक इलाहाबाद तथा एक लखनऊ में खोलने पर हम विचार कर रहे ह।

मान्यवर, जो भी हमारे आर्थिक साधन हैं, उन सीमित साधनों के अन्तर्गत अधिक से अधिक योजनायें श्रमिकों के हित के लिये हम बना रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप श्रमिकों की हालत में पर्याप्त सुधार हुआ है और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब श्रमिक अशांति बहुत कम देखने में आती है। परसों जो बटाला कांड हुआ, उसमें भी हमारे अधिकारियों ने तत्काल मौके पर जाकर कार्यवाही की। 2–2 हजार रुपया वहां तुरन्त दिया गया। हमारी कोशिश है कि 6–7 हजार रुपया और मिल जाय।

इसी तरह से श्रमिकों के लिये कुछ अन्य योजनायें भी बनायी हैं। कुक्कुट पालन आदि उनमें मुख्य है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, अब तक हमारे यहां 52 आई० टी० आई० तथा 14 जो० टी० आई० काम कर रहे हैं। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां यह नहीं हैं और हम इनकी स्थापना कर रहे हैं। उन्नाव के लिये हमने निर्णय किया कि इसकी स्थापना करें। लखनऊ के जी०टी०आई० को हम उन्नाव ट्रांसफर करना चाहते थे, मगर इसी बीच वहां के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया।

मान्यवर, इसी तरीके से बाराबंकी, बदायूं, बदायूं हमारे में नहीं हैं लेकिन हमारे विभाग का अपनी ही सरकार का एक हरिजन वेलफेयर सेंटर है। कोटद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हमीरपुर में मान्यवर आई०टी०आई० नहीं है। लेकिन चरखारी में आई०टी०आई० की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह अन्य कई जगहों से आई0टी0आई0 खोलने की मांगें आयीं हैं। मान्यवर हम उन पर विचार कर रहे हैं लेकिन जैसी हमारी आर्थिक परिस्थिति है, इसका विवरण मैं बाद में दूंगा। कुछ में सुधार करने के लिये और नये कारखानों की की भी मांगें थीं लेकिन उन मांगों में करीब-करीब 80 फीसदी जो हमारे प्लान के एमाउन्ट्स थे वह कट गये यह जाने के बाद भी कि हम कर सकेंगे या नहीं, इसमें कुछ शिकायतें हैं मान्यवर, इस सदन में मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा।

मान्यवर, आप देखें कि कुछ ऐसे भी ट्रेड हैं, जिनमें कि हमारे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं एडमीशन लेना नहीं चाहते हैं यह हैं कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर और मोल्डर। हमारी योजना है कि इनमें जो इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं उनको हटा करके, उनको ट्रेनिंग दे करके इनको प्रशिक्षित करें जिससे इनका उपयोग हो सके।

इलेक्ट्रोनिक्स, रेफरीजिरेशन को ट्रेनिंग देना हमने शुरू कर दिया है। इसमें हमारे लड़के काफी रुचि ले रहे हैं। और काफी एडमीशन हो रहे हैं।

मोटर मैकेनिक जिसमें लड़के काफी तादाद में रुचि ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कठिनाइयां हैं। हम उनको कहीं पर ट्रेक्टर दे रहे हैं। तो ट्रेक्टर पर जब यह सीख करके निकलेंगे तो हमारी मोटर गाड़ियों का संचालन करेंगे यह कहना पूरी तरह से मुनासिब नहीं है। हमने कहीं पर उनको एम्बेस्डर दिया है और कहीं पर जीप दी है। हम यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि जब हमारे विद्यार्थी ट्रेनिंग पूरी करके निकलें तो वह किसी किस्म की आटोमोबाइवल पर अपनी ट्रेनिंग के माध्यम र कार्य कर सकें और अपनी रोजी रोटी पैदा करें।

हमने पोस्ट आई०टी०आई० के इंस्टीट्यूशन्स भी खोले हैं, बनारस, मेरठ, कानपुर में ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं। हम यह पोस्ट आई0टी0आई0 ट्रेनिंग इसलिये दे रहे हैं कि मान्यवर, कुछ बाहर के इस्टेब्लिशमेंट यहां आये और उन्होंने हमारे आई०टी०आई० पास लड़कों के उपयोगी होने में संदेह किया। कभी-कभी यह भी शिकायतें रहीं हैं कि जो हमारे यहां के आई० टी०आई० पास लड़के निकल रहे हैं उनका स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं है जितना कि और जगह है। हमने इसमें सधार किया है और अब हमारे यहां से पास किये हुए लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। एयरो नाटिक में मान्यवर, आई० टी० आई० के छात्र और अन्य कई जगहों पर यह काम कर रहे हैं। इनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि यह सीख करके प्रोडक्शन में मदद करें।

मान्यवर, बड़ी शिकायतें रहतीं थीं इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आफिस के बारे में। इनमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायतें थीं। यह शिकायत अधिक थी कि जो बच्चे पहले पंजीकृत किये गये। और जो बाद में पंजीकृत किये गये उनके नाम किसी भी सेवा में जल्दी भेज दिय गये और पहले जो पंजीकृत किये गये थे उनके नाम बाद में भेजे गये। हमें खुशी होगी कि मान्यवर, 6–7 महीनों से ऐसी शिकायतें नहीं हैं। यह जरूरी नहीं है कि अब कभी उनमें ऐसी बात न हो मैं नहीं कह सकता पर स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस तरीके से जो हमारा बजट है, माननीय सदस्य सहयोग करेंगे कि सी० पी० आई० का सहयोग होगा, हमारी पार्टी का सहयोग होगा तो उचित होगा। अभी फसला जो चल रहा है उसमें जो रमेश सिन्हा व अन्य लोगों ने जो सहयोग दिया है, मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं कि उनका सहयोग मिला। मैं श्रमिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने सहयोग दिया है।

*श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अनुदान की संख्या 37 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी जो कहा वह मैंने सुना। मैं जानता हूं कि यह बात सत्य है कि कुछ ट्रेड्स में और कुछ इन्डस्ट्री में इन्होंने गवर्नर रिजीम के बाद वेतन बढ़ाये लेकिन मेरा यह कहना है कि बुनियादी तरीके से वर्किंग क्लास की दशा गिरी है, और मालिक के प्राफिट बढ़े हैं। मालिक के प्राफिट बढ़े हैं यही मैं मुख्यतः बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीति मजदूर पक्ष की नहीं है बल्कि पूंजीपति पक्ष की है मैं आपको कुछ पूंजीपतियों के प्राफिट के सिलसिले में बताना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में पूंजीपति घरानों की समृद्धि 2 से 20 गुनी संख्या में बढ़ी है। बिड़ला की 102 करोड़ से 575 करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ी है। टाटा की 223 से 584 करोड़ रु0, मुफतलाल की 11 करोड़ से 135 करोड़ रु0, थापर की 19 करोड़ से 103 करोड़, बालचन्द की 12 करोड़ से 86 करोड़ की पूंजी बढ़ी है। इसी तरीके से 15–20 जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनकी पूंजी इसी ढंग से बढ़ी है। अपने प्रदेश में भी कुछ ऐसे पूंजीपति हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं जैसे कि जे0 के0 वालों की 100 करोड़ से अधिक की पूंजी हो चुकी है। यही हालत जपुरिया तथा मेरठ के पास मोदी वालों की है। पिछले मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने मुझ से कहा था कि मोदी जब आये थे तो उनकी 10 हजार रु0 की पूंजी थी परन्तु आज हजारों रुपये की मजदूरी मजदूरों को दे रहे हैं। तो उनका ध्यान मजदूरी की तरफ था परन्तु मेरा ध्यान पूंजी की तरफ है जिससे कि मजदूरों की दशा गिरी है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मेरे माननीय सदस्य जो कहते हैं कि श्रमिकों की हालत गिरी है। मैं कहता हूं कि बाम्बे में 15 दिन की सी0 पी0 आई0 की हड़ताल के बाद भी जो मजदूरी वहां की उससे ऊंची मजदूरी बिना किसी हड़ताल के यहां की है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

पांडेय जी जरा सब्र रखिए। मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना है आप भी मेरी बात सुनें। इस तरह से मोदी की पूंजी 100 करोड़ बढ़ी है। मैं सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं कि यह पूंजीपतियों की पूंजी उनको मदद से बढ़ी है। सरकार ने उनको कन्सेशन्स दिये हैं। जैसे बिड़ला को सस्ती बिजली दी है, उत्पादन लागत से भी कम। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सस्ते बम्बू दिये हैं, कम कीमत पर दिये हैं। इसी तरह से रेलवे स्ट्राइक में बोनस का झगड़ा उठा तो लेबर लीडर्स ने कहा कि इन पूंजीपतियों को सस्ते दर पर फ्रेट चार्जेज हैं, यदि नार्मल कर दिया जाय तो बोनस तमाम इम्प्लाइज को मिल जाने के बाद भी बच जायेगा। तो इस तरह से सरकार ने पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने में मदद की है। दूसरी तरफ मजदूरों को लीजिए। जैसा पांडेय जी ने कहा, उस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने 60 प्रतिशत से डी0 एफ0 ए0 बढ़ाकर 85 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन किया जब कि बम्बई में 99 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन है। आपने यह बहुत दिनों के बाद ऐसा किया फिर भी आपने 15 प्रतिशत वेज फ्रीज कर दिया।

बाकी इन्डस्ट्री को लीजिए कहीं, 30% कहीं 40% और कहीं 50% है। छोटी इन्डस्ट्री में 40% डी0 एफ0 ए0 है और तनख्वाह के चेंज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जो महंगाई बढ़ रही है जिस हिसाब से उस हिसाब से वर्कर की कन्डीशन इम्प्रूव नहीं हुई है। उसी इन्डस्ट्री में जहां आपने दिया है उसमें बिजली की वजह से हफ्ते में 5 दिन चलती है और दो दिन हफ्ते में नहीं चलती। तीन शिफ्ट के बजाय एक शिफ्ट चलती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । कानपुर में टैक्सटाइल के वर्कर्स की जो हालत है वह कहीं नहीं जा सकती । जितनी मुसीबत आज उन पर है उतनी पिछले 40 वर्षों में नहीं हुई । आप एक ओर कहते हैं कि बेकारी को दूर करेंगे, बेकारों को रोजगार देंगे तो बेकारों को रोजगार देना तो दर-किनार रहा, इन्डस्ट्रियल वर्कर्स अनएम्प्लायड होंगे । लगभग 4 हजार के करीब टैक्सटाइल वर्कर जो मिल जाता है वह हाजिरी देने के बाद वापस आता है तो सरकार को "रिटर्निंग एलाउन्स" देना चाहिए । यह पिछला जो जी० ओ० निकला कि मिनीमम 45 दिन का साल में इनको ले आफ का पैसा मिलेगा । इम्प्लायर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है । वर्कर्स की हैसियत नहीं कि वे वहां पहुंच सकें इसलिए यह मामला खटाई में पड़ा हुआ है । हजारों आदमी भूखों मर रहे हैं और झगड़ा चल रहा है । स्वदेशी मिल में झगड़ा चल रहा है, एलगिन मिल में झगड़ा हुआ । इंडस्ट्रियल वर्कर्स को काम नहीं मिलता है । घर से हाजिरी देने जाते हैं और वापस लौट आते हैं । कायदे से यह होना चाहिये कि अगर परमानेन्ट आदमी छुट्टी पर जाय तो उसकी जगह सब्सीट्यूट को लगाना चाहिये लेकिन ऐसा न करके परमानेन्ट आदमी को रखते हैं जिससे कि ले आफ का पैसा न देना पड़े । जो महंगाई बढ़ी है उसके लिहाज से वर्कर की कंडीशन गिरी है । चीफ मिनिस्टर तो हैं नहीं, मैं उनसे दो बात करना चाहता था । श्रम मन्त्री पांडेय जी से कहना चाहता हूं कि असेन्शियल कमोडिटीज का कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन आपके हाथ में नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी । आप महंगाई बढ़ने पर थोड़ा सा भत्ता देंगे, और महंगाई बढ़ेगी और यह विसस सर्किल कभी नहीं टटेगा । सरकार भी एक इम्प्लायर है ।

सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं उनमें कोई सर्विस रूल्स नहीं हैं । पिछली बार मैंने झगड़ा कुछ तय कराया कि जो वर्क चार्ज हैं उनको तीन साल में परमानेन्ट किया जाय । लेकिन कई महकमों में वे अब भी परमानेन्ट नहीं होते । मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, मेरी रिपोर्ट ह कि रोडवेज में तीन-तीन साल तक लोग टेम्परेरी काम करते हैं और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया जाता है । उन्होंने इलाहाबाद में केस भी किया और फैसला हुआ कि इनको अनइम्प्लायमेंट रिलीफ मिलना चाहिये । प्राइवेट इंडस्ट्री में 240 दिन का आदमी परमामेन्ट हो जाता है । सरकार के यहां, जिसको कि आइडियल इम्प्लायर होना चाहिये, तीन-तीन साल तक वायदा करके उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाता । इसके अलावा कुल बुनियादी सवाल है । जिन-जिन इन्डस्ट्रीज में झगड़ा हुआ, पांडेय जी ने कुछ किया । लेकिन हमारी शिकायत है कि जो बुनियानी चीजें हैं उनको उन्होंने टेक अप नहीं किया ।

मंत्री जी को चाहिये कि तमाम ट्रेड यूनियन्स की मीटिंग बुलायें और डिस्कशन करके बेसिक चीजल को हर करने का रास्ता निकालें । एक बेसिक क्वैस्चन है रिगनीशन आफ ट्रेड यूनियन । यह कई साल से झगड़ा में पड़ा हुआ है । हमारे प्रभुनारायण सिंह जी हमारे साथी रहे हैं प्रभुनारायण जी मिनिस्टर थे । इनके जमाने में भी कानून बना । लेकिन रिकगनीशन आफ ट्रेड यूनियन होना चाहिये था, लेकिन नहीं हुआ । ट्रेड यूनियन में सरकार आफिसर लिबरली इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इसके लिये डिस्कशन होना चाहिये । हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा कम से कम जिन कारखानों को सरकार चलाती है, उनमें प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये । इसमें दो राय नहीं है । ज्वाइन्ट मैनेजमेंट हो । वर्कर्स को इन्थ्यूज करना चाहिये । मैनेजमेंट का पार्टीसिपेशन होना चाहिये । उसके लिये भी कोई सवालात नहीं है । बेसिक सवाल है कि जब तक सरकार हमारे मुख्य झगड़े को समाप्त नहीं करेगी, काम नहीं चलेगा । थोड़ा-बहुत पैसा देने से काम चल नहीं सकता ।

इसके अलावा सरकार सेक्टर में अली जहीर कमेटी को 3 साल हो गये । हालत यह है कि अभी तक जो एनामलीज थी, वे पूरी नहीं हुयी ।

मंत्री जी का कहना है कि हमारा लेबर के प्रति लिबरल अट्टीयूड है । दो-तीन मिसाल हैं कि इसी संबंध में देना चाहता हूं । पहली मिसाल है कि (जिसे

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

में सुनकर परेशान हो गया) यू० पी० में आज इम्प्लायर को वर्कर के खिलाफ डी० आई० आर० इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया। चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया या आपने दिया, लेकिन दिया। आपने डी० आई० आर० का अधिकार इम्प्लायर को दिया, हमको नहीं दिया, ट्रेड यूनियनको नहीं दिया, आई० एन० टी० यू० सी० के नेताओं को नहीं दिया। मालिक को बंद करने का अधिकार दे दिया। और फिर कहते हैं कि हमारी मजदूरों के प्रति बड़ी लिबरल नीति है। आप इसी तरह से क्या समाजवाद लाना चाहते हैं। अगर वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपकी लिबरल नीति मजदूरों के पक्ष में और पूंजीपतियों के खिलाक होनी चाहिये और जितना प्रोडक्शन है, वह समाज के हाथ में होना चाहिये। कल-कारखाने और जमीन सभी इधर आ जाने चाहिये। आपको इम्प्लायर को नहीं, वर्कर्स को ऊंचा उठाना चाहिये, वर्कर्स के संगठन को ऊंचा उठाना होगा तब आपको मालूम होगा कि समाजवाद की ओर आप बढ़ रहे हैं। अब तो आपका आउट लुट मालिक के साथ मालूम होता है। इसी तरह से रेलवे की स्ट्राइक लीजिये। 196 रुपये रेलवे के मजदूर को मिलते हैं। महंगाई बढ़ रही है। यह बात गलत है कि रेलवे स्ट्राइक में रेलवे के मजदूर तोड़-फोड़ की कार्यवाही करना चाहते थे। वास्तव में सारा झगड़ा पैदा किया रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, श्री बेरी ने।

श्री अध्यक्ष—

रेलवे से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है।

श्री राज मंगल पांडेय—

यही नहीं, श्रीमन्, जितने मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें नेशनल एवार्ड का सिलसिला है।

श्री संतसिंह युसूफ—

रेलवे के कर्मचारी बन्द किये गये, जेल में डाले गये—बीच के एजेन्ट्स ने हड़ताल कराई और सेटिलमेंट नहीं किया गया। मेरा कहने का परपज यह है कि भारत सरकार अथवा प्रदेशीय सरकारें 50 हजार रेलवे मजदूरों को जेल भेज सकती हैं लेकिन 5 हजार ब्लैक मार्केटियर्स तथा होर्डर्स को जेल नहीं भेज सकती। अगर सरकार ने 5 हजार होर्टर्स को जेल भेजा होता तो सरकार की फूडग्रेन टेक ओवर की स्कीम में पीछे न हटना पड़ता और आज जो हालत है वह नहीं हो पाती। इससे सिद्ध होता है कि सरकार की नीति पूंजीपतियों के पक्ष में है और मजदूरों के खिलाफ है।

मैं दो तीन चीजें लेबर डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। लेबर के क्वार्टर्स हैं। जो कायदे से मजदूर लाइन में लगे हुये हैं उन गरीबों को क्वार्टर्स नहीं मिल पाते जो उसके हकदार हैं और 50 परसेंट से ज्यादा वे आदमी जो हकदार नहीं हैं वे उन क्वार्टर्स में रह रहे हैं। एक आदमी खाली करके गया। उसने ढाई हजार में बेच दिया। 500 रुपये लेबर डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर को दिय और 500 रुपये पुलिस वाले को दिये। कब्जा हो गया। असली हकदार लाइन में खड़ा रह गया। कोई कायदा कानून नहीं है। मेरा सुझाव है कि इन क्वार्टर्स को बेंच डाला जाय और बेच कर नये क्वार्टर्स बनाये जायं और साल-साल में क्वार्टर का मालिक वर्कर ही बना दिया जाय। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत होने लगी। वह हरिद्वार से आ रहे थे। उनका कहना था कि 10 हजार रुपये में दो कमरे बन सकते हैं। आज हजारों क्वार्टर्स इस तरह बनाइये और 20 साल में 10 हजार रुपये को बाट दीजिये। वर्कर इस तरह से उनका मालिक बन जाय। दादा नहर कालोनी में 5 साल से लोग किराया नहीं दे रहे हैं और उनके नाम एलाटमेंट नहीं। ट्रेड यूनियन्स के रजिस्ट्रेशन का सवाल है। सबसे ज्यादा झगड़ा इसमें है। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक किस्सा बतलाऊं बिरला के एक कारखाने के रजिस्ट्रशन के लिये असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी

रजिस्ट्रार गये। कायदे से ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिये एक्जीक्यूटिव या वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, उसके मेम्बरों की लिस्ट और उसके कांस्टीट्यूशन की कापी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिये। इन्सपेक्टर ने कहा कि सब ठीक है लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उसे डांटा और कहा कि पूरे मेम्बरों की कापी हमको भेजो। जो कि कानूनन गलत है। उनको मांगने का अधिकार नहीं है लेकिन मेम्बर्स की लिस्ट आदि उन्होंने दी। उसको लेकर बिड़ला का जो रेनूकोट में कारखाना है, वहां पहुंची तो वहां के मैनेजर ने एक-एक वर्कर को बुलाकर पूछा कि तुम यूनियन के मेम्बर हो या नहीं आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

श्री राज मंगल पांडेय—

यह कब की बात है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

कोई 7–8 महीने हो गये होंगे जब गनेशदत्त जी बाजपेयी मंत्री थे।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, माननीय नेगी जी यहां पर मौजूद हैं। उनका भी देहरादून में चाय-बागान की यूनियन का रजिस्ट्रेशन का मामला था। जैसे ही उन्होंने कहा हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। माननीय सदस्य आज यह बात कह रहे हैं पहले कभी यह शिकायत उन्होंने नहीं की। उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो हैं बातल साहब वे भले आदमी है, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। चांबली का ही झगड़ा है। इलेक्शन के मामले में मैनेजर के खिलाफ लिखकर भेज दिया। तो मैं मिनिस्टर साहब से चाहता हूं कि वे इस बात को नोट करें। जब सेंट्रल के मिनिस्टर वहां सरकिट हाउस में आये तो कुछ मजदूर अपनी शिकायत लेकर उनके पास गये कि हमारी यूनियन मान्यता प्राप्त है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। वहां झगड़ा हो गया। एक सीनियर लेबर आफीसर ने कहा कि हमारे पास कुछ मजदूर आये थे कि हमारा पैसा कम कर दो, हमसे रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। मैंने कमिश्नर से यह बात कही और कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं कि इसको यहां से बदल दो। बाद में बदल भी दिया गया किन्तु फिर मालूम पड़ा कि कहीं फिर वहां गड़-बड़ कर दी।

मेरी पांडेय जी से प्रार्थना है कि अगर आप ऐसे मामले करते रहोगे तो सारा डिपार्टमेंट गड़बड़ हो जायगा और नीचे के जो आपके अफसर है उनके ऊपर आपका नियंत्रण और अनुशासन नहीं रहेगा। नीचे वाला अफसर कहता है कि मेरी तो मिनिस्टर साहब से रिश्तेदारी है या यारी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से सारे मामले अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। एक बात और मान्यवर, आखिर में मैं कहना चाहता हूं रिपोर्ट करूंगा कि मंत्री जी देखो जो इस वक्त हालत है, उसमें खाली यह पीसमील से काम नहीं चलेगा। इस वक्त देश की हालत बहुत खराब है, इसमें आप तीन चीज कीजिये। पहले, चीफ एशेंसियल कमोडिटी के उत्पादन को बढ़ाओ और उन पर कब्जा आप कीजिये। डालडा वाले स्ट्राईक करें तो तुम ढाई रुपये दाम बढ़ा दो, यह समाजवाद नहीं है। आप बिना डरे उनका टेकओवर करें। डालडा, शुगर, टैक्सटाइल और अन्य एशेंसियल कमोडिटी आपको टेकओवर करनी चाहिये और करके उनके डिस्ट्रीब्यूशन का इन्तजाम सही हाथों में देना चाहिये। नम्बर दो, वर्किंग क्लास को कांफिडेंस में लीजिये। कल यहां एक साहब ने सवाल उठाया जय प्रकाश का इलाहाबाद

[श्री सन्त सिंह यूसुफ]

के बारे में। वह बिहार में पिटने के बाद यहां आये हैं और यहां हरकत शुरू की है। तमाम रिएक्शनरीज पार्टीज को मिलाकर गवर्नमेंट को वह हटायेंगे। लड़ो, समाजवाद के लिये लड़ो, लेकिन समाजवाद के दुश्मनों के साथ मिलकर लड़ना कहां की होशियारी है। समाजवादी पार्टी तोड़ कर सर्वोदय में गये और जब वहां गाड़ी नहीं चली तो रिएक्शनरीज के साथ आ गये। वह फाईट करेंगे तो मैं मंत्री जी से और साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम वर्किंग क्लास, देहात के गरीब, नौजवान, जिन्होंने आपको वोट दिया है, वे सब मिल कर उसका डटकर विरोध करेंगे और आपके हाथों को मजबूत करेंगे।

गवर्नमेंट ने टेक्सटाईल मजदूरों का वेतन न बढ़ाया होता तो कानपुर में उसको 6 में 6 सीट मिल गई है, वह एक भी न मिली होती। किन्तु वह होशियार हैं, चालाक ह, इसलिये यह बहुत समझदारी का काम उन्होंने समय पर पूरा किया। आपने उनकी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाई, थोड़ा बढ़ाने का और इन्तजाम करो तो मजदूर आपके साथ पूरी तरह से खड़े होंगे वह कहते हैं कि तनख्वाह क्यों बढ़ा दी और फिर कहते हैं कि हमारे साथ मिल कर इनको हटाओ, तो यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। मैं तो पर्सनली बहुगुणा जी को हन्ड्रेड टाईम बेटर समझता हूं, वह एक होशियार लेबर लीडर हैं। रेलवे हड़ताल में हमारी अवश्य पिटाई हुई, उनका मौका था उन्होंने पिटाई कर ली, हमारा मौका आयेगा तो हम भी पिटाई कर देंगे। लेकिन इस पिटाई का फायदा हम किसी हालत में इधर नहीं जाने देंगे। यह हमारी पक्की राय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वह लेबर लीडर्स को बुलायें और बेसिक सवाल को थ्रेश-आउट करें तथा वह मजदूर यूनियनों को मोबाईज करें, जिससे कि वह उनके साथ मिलकर तमाम रिएक्शनरीज ताकतों के साथ जमकर मोर्चा ले सकें। बहुगुणा जी ने कहा कि यह नहीं किया, वह नहीं किया। तुम्हारे घर में घुसे आ रहे हैं, तुम उसको प्रेम करोगे? कैसे पालिटिकल आदमी हो तुम, उससे मोहब्बत करोगे? तुम कहते हो कि घर में नहीं था, चिट्ठी नहीं दूंगा। क्या करोगे? तुम्हारे घर में गड़बड़ कर रहा है, तुम प्रेम और मोहब्बत करोगे उसके साथ। मेरी समझ में नहीं आता है बिलकुल। इसलिये जो लड़ाई है तो लड़ाई लड़ाई के तरीक से होनी चाहिये। लड़ाई है तो चलेगी। यह पालिटिकल लड़ाई है, प्रिंसिपल की लड़ाई है कोई जाति की लड़ाई नहीं है। मैं एग्री करता हूं, सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिये। इनके खिलाफ लड़ाई होगी लड़ेंगे। आखिर में आशा करता हूं कि वह हमारी बातों पर ध्यान देंगे।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है। जो डिबेट चल रहा है, मैं जानकारी चाहता हूं कि हम विधायक लेवर क्लास में आते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

यह कौन सा व्यवस्था का सवाल है?

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का श्रम विभाग, मेरा ऐसा है विभाग है जो प्रदेश और देश में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इसका प्रमाण आपके सामने देता हूं। मेरा यह भी अनुमान है कि 4 करोड़ 31 लाख का जो बजट में है बहुत कम है इसलिये कि प्रदेश बहुत बड़ा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रदेश काफी पीछे है। मान्यवर, यह बात तो सच है कि प्रदेश के अन्दर चाहे मिनिमम वेज या मैक्सिमम वेज लागू करने का सवाल हो

चाहे प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल हो, चाहे मजदूरों की तनख्वाहों को बढ़ाने का सवाल हो हमारा प्रदेश सभी बातों में और प्रान्तों से पीछे है । मान्यवर, यह बात भी सच है कि इस प्रदेश के मौजूदा सरकार में, जब से बहुगुणा जी ने मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया है, सरकार तेजी से मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये आगे बढ़ रही है । बिजली की कम्पनियां जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थीं उनको नेशनलाइज किया । जैसा कि हमारे भाई मौलाना यूसुफ ने ठीक ही कहा कि मजदूरों की तनख्वाहें बहुगुणा जी ने बढ़ाईं । तनख्वाहें बढ़ाने का श्रेय और श्री सन्त सिंह यूसुफ को जिताने का श्रेय श्रम मंत्री पांडेय जी और बहुगणा जी को मिलना चाहिये क्योंकि सूती मिलों के मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने से संत सिंह को वोट ज्यादा मिले ।

(इस समय 1 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुहम्मद असरार अहमद पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, एक और बात है, आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये, जो ऊंची कीमतें, हैं, उनको देखते हुये और जो बिजली की कमी से कारखानों में काम की कमी हो गयी है उसको देखते हुये मैं यह कह सकता हूं कि प्रदेश में श्रम शांति रखने के लिय श्रम मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है । मजदूरों में आज इस महंगाई, बेकारी और बेचैनी होते हुये भी जो इंडस्ट्रियल पीस है इस प्रदेश के अन्दर है इसका श्रेय मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री को मिलना चाहिये । मैं मुख्य मंत्री से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि जो वेतन बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं चाहे चीनी मिल के मजदूर हों, सूती मिल के हों, ऊनी मिल के हों, या चमड़े के मजदूर हों, या लघु उद्योग में लगे हुये कर्मचारी हों, उन सबकी तनख्वाहों में, आज की बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुये और वृद्धि की आवश्यकता है । वृद्धि की आवश्यकता इन कारणों से कि अगर सरकार यह चाहती है कि देश और प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़े तो कारखानों की पैदावार गोदामों में माल रखने से नहीं होगी बल्कि मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा कर उनको खरीदने की शक्ति बढ़ानी होगी । यदि ऐसा किया जायगा तो प्रोडक्शन की खपत होगी और मजदूरों की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी और जिससे देश और प्रदेश का भला होगा । मैं चाहूंगा कि प्रदेशीय सरकार को थोड़ा और आगे बढ़ कर कदम उठाना चाहिये और मजदूरों का इन मनेजमेंट में साझादारी का हक दिया जाय । कई प्रदेशों में ऐसा हो रहा है । हमारे प्रदेश में भी जो सरकारी उद्योग हैं उनमें सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिये । मैं यह भी कहूंगा कि प्रदेशीय सरकार की ब्यूरोक्रेसी लालफीताशाही के बारे में लगातार नौकरशाही की शिकायत हो रही है उस पर भी थोड़ा विचार करना होगा क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र में कारखाने हैं, वहां भी नौकरशाही का बोलबाला है और इस बात को दूर करने के लिये श्रम विभाग को थोड़ा सक्रिय बनना होगा ।

कानपुर में जो लेबर कालोनी है वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। शास्त्रीनगर, बाबूपुरवा और जे० के० रेयन, कालोनी जहां मंत्री जी भी गये थे और उन्होंने स्वयं देखा था । मजदूरों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये उत्साहित करने की आवश्यकता है । उनकी सुविधा की चीजों का इंतजाम किया जाय । आई०टी०आई० से निकले बेकार लोगों के बारे में लोग काफी चिंतित हैं, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इसकी 9 करोड़ की आबादी है और काफी संख्या बेरोजगारों की है । बाहर से टैक्नीशियन चाहे सरकारी कारखाने हों या प्राइवेट कारखाने हों, काफी तादाद में आ रहे हैं । मुझे इसका विरोध नहीं है कि बाहर क प्रदेश क लोग यहां कोई आते हैं । लेकिन जो सेमी टैक्नीशियन या टैक्नीशियन ह और साधारणों मजदरों के पद हैं उनकी जगह पर बाहर के लोगों को रखने से पहले प्रदेश के लोगों को मौका मिलना चाहिये । आई० टी० आई० से जो लड़के निकल रहे हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । मैं तो निवेदन करूंगा कि इस असंतोष का निराकरण होना चाहिये ।

[राम नारायण पाठक]

इस प्रदेश में काफी कल कारखाने बन रहे हैं । इसके लिये लोगों की जमीन ली जा रही है । जिससे किसान लोग बेकार हो जाते हैं और उनसे सरकार वायदा करती है कि जिनकी जमीन ली जायगी उनको नौकरी दी जायेगी। लेकिन नौकरी नहीं मिलती है । कोई उन्हें पूछता नहीं है और वे मारे-मारे फिरते हैं। मुख्य मंत्री जी के सचिव को मैं एक हरिजन का प्रार्थना-पत्र दे आया हूं । उस हरिजन की जमीन ली गई । उसके एवज में उसको नौकरी पर लिया गया। लेकिन श्री गर्ग साहब, इंजीनियर, पनकी पावर हाउस ने उस हरिजन को निकाल दिया है । गर्ग साहब कानपुर पावर हाउस के बड़े इंजीनियर हैं। अब वह हरिजन नौकरी के लिये इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा है ।

आई० टी० आई० में जो मशीनें लगी हुई हैं उनका पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है । उनको ठीक करके इस्तेमाल किया जाय । उनके ऊपर उचित मात्रा में धन खर्च किया जाये और अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर जो वहां पर टैक्नीशियंस तैयार हों उनको प्रदेश के कारखानों में लगाया जाय, वरना बेकारी बढ़ती जायगी । मान्यवर, श्रम विभाग के स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह थोड़ा है । मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के ऊपर श्रम विभाग विशेष ध्यान दे । इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन की रकम को बढ़ाया जाये । यदि सरकार समाजवादी व्यवस्था की रचना करना चाहती है तो बेकारी को दूर करना होगा । इस सिलसिले में मेरा सुझाव यह है कि सरकार को बेकारी का भत्ता किसी न किसी रूप में देना शुरू कर देना चाहिये । प्रदेश में बहुत से केन्द्रीय संस्थान हैं जो खासतौर से डिफेन्स के हैं । इन कारखानों में जहां पर इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट लागू नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि उन कारखानों में जो कैन्टीन के कर्मचारी हैं उन पर कोई ऐक्ट लागू नहीं होता है । यह बात मैंने डिफेन्स के कारखाने में देखा है । इन कर्मचारियों के लिये न तो एम्बुलेन्स की व्यवस्था न और है कोई अन्य सुविधायें उनको मिल पाती हैं । वे न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न किसी प्राइवेट के कर्मचारी हैं । इस झगड़े में कैन्टीन के कर्मचारी पड़े हुये है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर कोई श्रम कानून लागू किया जाये चाहे जो भी परिस्थिति हो। उनको लावारिस न छोड़ा जाये । मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि खेती के काम करने वाले के लिये मकान की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री राम नारायण पाठक—

खेती के काम करने वाले मजदूर जो हैं उनके रहने के लिये मकान बनायें जायें । इससे जो खेतिहर मजदूर गांव को छोड़कर चले जाते हैं वह वहां रहने की आदत डालेंगे । तो यह जरूरी है कि उनके लिये मकान की व्यवस्था हो ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपनी जगह पर बैठें ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं इस बजट का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं... ।

श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आज यह श्रमिकों के सम्बन्ध में बजट चल रहा है । मैं कहता हूं कि यह बजट गलाघोटूं बजट है । वाराणसी जनपद की ज्ञानपुर तहसील में डेढ़ लाख कालीन बुनकर हैं

और 30 हजार साड़ी बुनकर हैं जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा मिलती है उनके स्थान के लिये बजट में कोई जिक्र नहीं है। आज भी वाराणसी में करीब 50 हजार कालीन के काम में लोग लगे हुये हैं। हमारे पांडेय जी क्यों घबड़ा रहे हैं ? हम लोग जब बोलने लगेंगे तो परेशान होंगे। तो उनके सम्बन्ध में आज भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है वे कीड़े-मकोड़े की तरह जिन्दगी बिता रहे हैं। खमरिहा, माधोसिंह, घोसिया, पयरीपुर, करघना, बरवा, गिर्द बड़गांव, ऊगापुर, ठटरा और बढ़ौरा में 80 प्रतिशत लोग ऐसे काम करने वाले हैं। 6 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वाले 50 हजार बच्चे इस रोजगार में लगे हुये हैं लेकिन उनकी शिक्षा और रहने का प्रबन्ध नहीं है। लोग मजदूरी करते हैं। उन्हें लगभग 18 घन्टे काम करना पड़ता है लेकिन 18 घन्टे के बावजूद भी उनको मजदूरी 3 रुपया या साढ़े तीन रुपया ही मजदूरी मिल पाती है। मंहगाई को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी महोदय विचार करेंगे कि उन मजदूरों के प्रति क्या न्याय हो रहा है ? उनके लिये न पेयजल की कोई व्यवस्था है, न राशन की कोई व्यवस्था है और न दवादारू की कोई व्यवस्था है। अभी-अभी हाल में माननीय वित्त मंत्री भदोई गये थे, वे सफेद गाल वालों की बातों को सुनकर और उन्हीं के यहां नास्ता आदि करके भदोई कस्बे को केवल देखा जबकि बहुत से लोग फटे हुये कपड़े जो कि पहने हुये लोग थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि जो बजट बनाया गया है यह बजट मजदूरों के हितों में नहीं है। इसमें संशोधन होना चाहिये।

सारे बुनकरों के बारे में पूरे जिले के 30 हजार लोग जो साड़ी बुनने का काम कर रहे हैं उनकी जिन्दगी खाद्य व्यवस्था के लिये दुष्कर हो गई है। वह एक टाइम भी भोजन नहीं कर पाते हैं। अगर इसका सर्वे कराया जाय तो अधिकतर लोग भूमिहीन हैं। वहां पर लोग कालीन और साड़ी बनाने के काम में लगे हुये हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन सबके बारे में मंत्री जी सर्वे करा कर उनकी दवा के लिये, उनके पेयजल के लिये, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। डेढ़ लाख लोग जो कीड़े की तरह जिन्दगी बिता रहे हैं उनके साथ और अन्याय हो रहा है।

मान्यवर, 10 वर्ष से फैक्ट्री ऐक्ट में जो मुकदमें चल रहे हैं वह अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पूंजीपति लोग तारीख डलवा कर केवल परेशान कर रहे हैं। बार-बार लिखापढ़ी की गई, श्रम मंत्री के यहां, मुख्य मंत्री के यहां लेकिन आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया और लगभग चार साढ़े चार हजार मजदूर भदोही में कालीन बुनकर बकार पड़े ह और वह लोग किराये के आदमी से काम चला रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। हंडिया तहसील का पूर्वी मिर्जापुर का, उत्तरी-वाराणसी पश्चिमी के मड़ियाहूं दक्षिणी इलाके के लोग पूरे-पूरे जो कालीन बुनकर हैं उनकी अनेकों समस्यायें हैं। बीच-बीच में पांडेय जी बोलते हैं लेकिन मैं तो कहूंगा कि उन मजदूरों की आह जो है कभी आपको क्षमा नहीं करेगी। उन मजदूरों की पुकार है कि "न हम ही रहेंगे, न तुम भी रहोगे, नये मानवाकार दानव रहेंगे।

मान्यवर, आपका बजट वही बजट है जैसे कि आह से पीड़ित होकर कहता है कि "हमी हैं जबह करते हो, हमीं से पूंछते हो यूं जरा जालिम बता देना, मेरी तलवार कसी है" मान्यवर, आपका बजट जो है गलाघोटू है। श्रमिकों का जान लेवा है, जनता का प्राण लेवा है। आपका बजट रक्त लेवा है। आप भी जो वाहवाही की खूबी लूट रहे हैं, वह खूबी टिकाऊ नहीं है बहुत दिन दूर नहीं है कि आप एकदम करीब पर हैं, सोच लीजियेगा वह इन्सान हैं। अपनी इन्सानियत को लेकर अपनी मांग को लेकर बोलने के लिये आपसे हर तरह से, हर प्रकार से, आपसे मोर्चा लेने के लिये तैयार हो जायेंगे। अगर आप न्याय नहीं करेंगे। अगर आप न्याय करेंगे तो आपको बे बार-बार धन्यवाद देंगे। जनपद, वाराणसी के बुनकर 4,500 महिलायें जहां पर रात दिन बैठकर अपनी खुखड़ी खोलती हैं। जिनकी मजदूरी डढ़ रुपया से अधिक नहीं है। उनके बारे में और कालीन उद्योग के बढ़ाव के बारें म ध्यान दें। आप बजट में एक

[श्री गिरिजा शंकर पाठक]

संशोधन लायें कि उन मजदूरों के बारे में क्या करना चाहिये ? साढ़े तीन रुपया एक मजदूर 18 घंटा काम करने के बाद पाता है तो वह अपने परिवार की परवरिश कैसे कर सकता है ? तो इन सारी बातों को निवेदन करते हुये मैं यह पुनः कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं । आपका बजट जो है वह ढकोसले है । ढकोसले को समाप्त करके सही रास्ते पर आने की कोशिश करें ।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने श्रम एवं सेवायोजन के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं । अभी मैं माननीय श्रम, सेवायोजन मंत्री, श्री पांडेय जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमेशा एक उधर से और एक इधर से बोलने को दिया जाता है । अबकी बार दो उधर से कैसे हो गया ?

श्री अधिष्ठाता—

जो तय कर दिया उसी के अनुसार कार्य हो रहा है ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मुझे आशा थी कि श्रम विभाग के संबंध में माननीय पांडेय जी द्वारा कुछ विशेष और नयी घोषणायें की जायेंगी जिससे उनके अन्दर ऐसी आशा पनपेगी और मैं भी मजदूरों के बीच में जाकर बड़ी खुशी से कहूंगा कि आज यह कांग्रेस सरकार जो उस ओर बठी है शायद यह पिछली सरकार से कुछ ज्यादा अच्छी है और उसने मजदूरों के बारे में जो निर्णय लिये हैं, अच्छे लिये हैं । लेकिन मुझे इस बात का दख है और घोर निराशा हुई है कि उन्होंने मजदूरों की समस्याओं के संबंध में जो बातें कही हैं वह कोरी बाते हैं और जैसे पिछले बजट के अवसरों पर कही जाती रहीं उन्हीं बातों को शायद दोहरा दिया है । इससे मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाजार में अपनी दवाई बेचने के लिये कोई व्यक्ति सांप दिखाकर दवा बेचने का उपक्रम करता है । डुगडुगी बजाकर भीड़ को इकट्ठा करता है और सांप दिखाता है, इसके बाद दवा दिखाता है और दवा की तारीफ करता है ।

मुझे आपका बजट भाषण ऐसा ही लगा जैसे कोई चौराहे पर खड़ा श्रमिक नेता भाषण कर रहा है या मिल गेट पर अपनी भाषण-कला का प्रदर्शन कर रहा है । मुझे तो ऐसा ही लगा संभव है मैं ऐसा समझूं कि पांडेय जी को शायद श्रमिकों की समस्याओं के बारे में अहसास न हो, लेकिन आपके सहयोगी, हमारे माननीय सदन के नेता, बहुगुणा जी तो बहुत दिनों तक श्रमिकों के बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं से जूझे हैं, उनके साथ लगातार काम किये हैं, शायद उनको तो अच्छा अहसास होगा और मजदूरों की समस्याओं के संबंध में उनके साथ मिल बैठकर बजट तैयार किये होंगे । लेकिन मुझे घोर निराशा हुई कि उसके संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

अभी आपने कहा कि वृद्धावस्था की पेंशन के लिये मैंने 30 रुपये रखे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने राज्यपाल की पेंशन के लिये जो धन निर्धारित किया है जरा उससे और 30 रुपये की धनराशि जो वृद्धावस्था के लिये निर्धारित की है दोनों का ताल-मेल बठायें तो आपकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाजवादी नीति का परदा फाश हो जायगा। 30 रुपया पेंशन पाने वाले लोग बृद्धावस्था में कैसे गुजारा कर पायेंगे। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है अपने भाषण में कि आई0टी0आई0 की ट्रेनिग के लिये हमारे पास जो आते हैं उनके लिये हम अभी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और ट्रेनिग करने के बाद वे रोजगार पा जायेंगे, इसके लिये आपक पास कोई गारन्टी नहीं है।

मजदूरों के जीवन के जो प्रमुख आवश यकतायें हैं, जैसे, उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनकी दवा, उनकी शिक्षा और उनकी सुरक्षा, जिनके आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है उनकी ओर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप कानपुर और लखनऊ की प्रमुख श्रमिक बस्तियों में जाकर देखें तो पायेंगे कि किस प्रकार का नारकीय जीवन वे बिताते हैं। श्रमिकों के आवास के जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वे बहुत ही अपर्याप्त हैं। आप कहते हैं कि प्रयास करेंगे। जब आप 27 वर्ष के अन्दर मजदूरों के आवास के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर पाये तो अब आप कैसे कहते हैं कि अब आप उसकी व्यवस्था करेंगे।

आज देखा जाता है कि जो श्रमिक सेवा मुक्त हो जाता है,उनकी भविष्य निधि बाकी रह जाती है और वर्षों तक उनको उसका पेमेंट नहीं हो पाता है। आप ने कहा कि हमने कई स्थानों पर प्रबन्ध किये हैं,कुछ नये स्थान खाली हैं लेकिन इन श्रमिकों को 6–7 वर्ष तक भी भविष्य निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। आपने घूसखोरी और भ्रष्टाचार पनपाया है। आपने इनको रोकने के लिये कोई घोषणा नहीं की है। आपने मजदूरों का जो वेतन मिल मालिकों के यहां या सरकारी संस्थानों में बकाया रहता है, उसको दिलाने की कोई घोषणा नहीं की है। आपने घोषणा की है कि मिल मालिकों से सवा 8 प्रतिशत बोनस मजदूरों को दिलाया जायगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पता लगायें तो पायेंगे कि हर साल मिल में चाहे वह टैक्स-टाइल का हो, गन्ने का हो, जूट का हो, सब में मजदूरों का बकाया पड़ा है। किसी भी मिल मालिक ने सवा 8 प्रतिशत बोनस अपने मजदुरों को अदा नहीं किया है।

आपके जो रोजगार दफ्तर हैं, उनके बारे में आपने कहा कि उनके द्वारा नियमानुसार सब को नौकरी के लिये भेजा जायगा लेकिन वहां पर जो व्यवस्था है, उसके आधार पर कोई भी आदमी 2–3 साल तक दौड़-धूप कर अपने ऊपर पैसे खर्च करके हताश होकर बैठ जाता है, लेकिन उसे नम्बर नहीं मिल पाता है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वह बराबर खर्च करता रहे लेकिन दफ्तर वाले सोच लेते हैं कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति को नौकरी मिल गयी होगी। हमारे श्रम मंत्री परिवहन मंत्री भी हैं, इसलिये मैं रोडवेज के बारे में भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। 27 जनवरी को रोजगार दफ्तर से रोडवेज में 1,000 परिचालकों के स्थान निकले थे। उसके बाद परीक्षा हुयी और परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। चुनाव का टाइम आ गया। आप देखें कि कितनी जल्दी 1 हजार कापियों की जांच की गयी कि रिजल्ट 13 फरवरी को आउट कर दिया गया। जब यह घोषणा हुई तो पता चला कि 13 फरवरी से पहले ही हमारे परिवहन और न्याय मंत्री ने अपने क्षेत्र कसिया के 78 लोगों को पहले ही ट्रेनिग के लिये भेज दिया। घोषणा बाद में हुई, परिणाम बाद में सुनाया गया और उन्होंने ट्रेनिग करने के लिये पहले ही भेज दिया। मेरे पास एक हजार लोगों की सूची है। परिवहन विभाग में सर्विस पाने की इस सूची के अन्दर जो नाम दिये हैं वह देखें। अगर किसी का नाम 9 पर है, उसे स्थान मिला है तो दूसरा नाम 36 पर आता है, बीच के लोगो का नाम गायब होगा। इस तरह एक हजार की सूची में 78 लोगों के नाम हैं और उसमें जो सिफारिश लिखी हुई है, उसके आगे लिखा है कि मालती पांडेय की सिफारिश पर नियुक्ति की गयी। यह मालती पांडेय कौन हैं? क्या यह मंत्री हैं या उस निगम की अध्यक्षा हैं? मैं तो जानता नहीं कि कौन हैं। मंत्री जी सदन में बतायें कि वह कौन हैं।

एक सदस्य—

जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है उनका कृपा कर नाम न लीजिये, यह परम्परा के विरुद्ध है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री राजमंगल पांडेय—

शायद माननीय सदस्य को इतनी भी जानकारी नहीं है, पहले देख तो लेते कि जितने बच्चों को नौकरी मिली है वह किन-किन तरीकों से मिली है । अगर किसी ने कोई एम० एल० ए० या एम० एल० सी० का पता दे दिया है तो गुनाह कहां होता है जो मुझसे पूछ रहे हैं ।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट सत्र में अपने विचार प्रगट करने का मौका दिया । यह बहुत आवश्यक है और उत्तम भी है कि हमारे दोनों पक्षों के लोग श्रमिकों की समस्याओं पर चिन्तित हैं और साथ ही उनके विचार सहानुभूतिपूर्ण भी हैं । लेकिन जो कुछ कहा जाता है उसे केवल इस संदर्भ में हम नहीं देख सकते कि यह होना चाहिये मैंने पहले भी एक बार बतलाया था कि हम राजनीतिक लोग अगर केवल भाषण और नारेबाजी की ओर ही ध्यान देंगे और यथार्थता की ओर ध्यान नहीं देंगे तो न तो जनता और न देश का ही इससे लाभ होगा ।

कोई भी राष्ट्र जो सदियों तक गुलाम रहता है उसको आजादी मिलने के बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । हमको यह याद रखना पड़ा कि आजादी के बाद हमें शरणार्थियों की समस्या, युद्ध की समस्या और बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ा और सिंचित भूमि का ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तान को गया और हमारे पास बहुत कम आया । एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि हमारे देश में पापुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है । पांच सेकेन्ड में चार बच्चे इस देश में जन्म लेते हैं ।

उत्तर प्रदेश की 1901 में 4 करोड़ 46 लाख आबादी थी जो 1971 में 8 करोड़ 83 लाख हो गयी, यानी दूनी हो गयी । ऐसी स्थिति में किसी भी अर्थशास्त्री की थ्योरी है कि कोई भी कुटुम्ब हो या देश हो अगर उसकी आबादी द्रुतगति से बढ़ती है तो उसके विकास को उस द्रुत गति से नहीं किया जा सकता चाहे वह रूस हो, चीन हो या जापान हो । हम यहां इंग्लैंड, रूस और चीन का उदाहरण देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उन राष्ट्रों ने अपने देश को प्रगति पर लाने के लिये कितनी तपस्या की । मालथस ने आज से एक सौ साल पहले कहा था कि अगर इंग्लैंड के लोग अपनी पापुलेशन को चेक नहीं करते हैं तो वह दुनियां की बड़ी पावर नहीं बन सकता । और इंग्लैंड के लोगो ने इस पर विचार किया, मालथस की बात को माना और इंग्लैंड एक समुन्नत राष्ट्र बना और सारे विश्व में उसका अधिपत्य हो गया । मैं विरोध पक्ष और सरकारी पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवदन करूंगा कि वे इस प्राब्लम को नेशनल प्राब्लम ट्रीट करें, पोलिटिकल प्राब्लम न बनायें । माननीय चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने भी इस विभाग के लिये काफी कार्य किया,इस विभाग को महत्व दिया, कुछ नियुक्तियां भी उन्होंने कीं, लेकिन जो आधारभूत परिवर्तन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ । वह अभी भी बाकी है ।

हमारे इस पिछड़े हुए प्रदेशों में प्रथम पंच वर्षीय योजना में 3.53 लाख लोगों को, दूसरी पंच-वर्षीय योजना में 2.41 लाख लोगों को, तीसरी पंच वर्षीय योजना में 4.54 लाख लोगों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में 3.72 लाख लोगों को रोजगार मिला। इस प्रकार हमारे प्रदेश में 9 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला, शेष लोग अभी भी बेकार हैं। सरकार को कोई ऐसी योजना बनाना चाहिये जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

हरिजनों को भूमि देने की जहां तक बात है जितनी भूमि होगी उसी में से बटवारा किया जायेगा। वन भी हमारे लिये बहुत आवश्यक हैं। यह नहीं हो सकता कि वनों की भूमि को, वन उजाड़ कर, बांट दिया जाय। हम वनों में लोगों को नहीं बसा सकते। वन कई दृष्टियों से हमारे लिये उपयोगी हैं। कितनी ही चीजों में लकड़ी का प्रयोग होता है। अगर सारे जंगल काट दिये जायेंगे तो देश का बड़ा अहित होगा। इसलिये जितनी भूमि है उसी को बांटा जा सकता है। यह दृष्टि में रखकर ही लोगों की क्रीटिसिज्म करना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। काफी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया, 12 हजार महिलाओं को 1972–73 में रोजगार दिया गया, 150 विकलांगों को रोजगार दिया गया, 600 स्वर्णकारों को रोजगार दिया गया, यह सब कार्य करके सरकार ने अच्छा काम किया ह। इसके लिये सरकार की सराहना करना ही चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि सरकार और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का प्रयास करे।

कुछ लोग कहते हैं कि,पूंजीपति लोग सरकार का साथ दे रहे हैं। मगर वे यह भूल जाते हैं कि इसी सरकार ने राजा महाराजाओं के प्रीवीपर्स को समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का काम किया और यह काम तब किया जबकि सरकार इतनी मजबूत भी नहीं थी। उन दिनों जब यह काम किया था, तब संसद में तो हाथ उठाते थे किन्तु मैं आलोचना करता हूं, मैं तो कहता हूं कि जो लोग समाजवाद के खिलाफ, साम्यवाद के खिलाफ काम करते हैं सबसे बड़े एक्सप्लाइटर हैं। यह लोग किसी भी पेशे का काम करते हैं तो 500 रुपये छोटी-छोटी चीजों के काम के लेते हैं और इस तरह से डाइरेक्ट एक्सप्लोटेशन करते हैं। नेशन को धोखा देते हैं। वही लोग जब विरोधी दल में शामिल होते हैं तो हमारे विरुद्ध हमारे दल के विरुद्ध और देश के विरुद्ध काम करते हैं। मैं किसी दल विशेष को बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारे दल में भी हैं और सभी दलों में हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, मैं 2 मिनट और लूंगा। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसे राजनीतिक लोग हैं उनको माफ नहीं किया जायेगा।

तो माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है वह आशा का द्योतक है, प्रगति का द्योतक है। मैं इसमें एक-दो सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला––

मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो खानें हैं, आपके जो कल कारखाने फैक्टरियां हैं और आपकी जो कताई-बुनाई की जो मिलें हैं और उनमें जो वेलफेयर सुपरवाइजर्स हैं उनको आदेश दें कि वह मजदूरों के लिय जो कल्याण के काम किय जाते हैं उनको देखें, उनकी देख-रेख करके उनकी रिपोर्ट पेश करें।

दूसरे जो आपके कंडक्टर्स हैं, ड्राईवर्स हैं उनकी तनख्वाहें मिलों के मजदूरों से भी कम हैं। यह लोग कितना रिस्क लकर मोटर-गाड़ियां चलाते हैं और उनको वतन कम मिलता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया आप अब बैठ जाइये।

(अधिष्ठाता महोदय द्वारा श्री रामरति विन्दु का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

एक सुझाव मेरा और है कि आपके विभाग में जो हाई स्कूल पास नहीं हैं उनको भी प्रमोशन दिया जाय और उनको भी प्रमोशन में हकदार बनाया जाय। उनको भी मेडिकल सुविधायें दी जायें और उनको ओवर टाइम दिया जाय। इतना कहते हुये मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री रामरति बिन्दु (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैंने बजट को देखा, इसमें जो मजदूर तबका है उसके बारे में, उसके कल्याण के बारे में कुछ नहीं है। जो हमारी विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं, जो कालीनें आदि बनाते हैं उनके लिये सिर्फ दो लाइनें लिखी हैं। उनके लिये लिखा है कि उनकी मिल कायम की जायगी। मजदूरों के कल्याण के लिये एक लफ्ज भी नहीं है। मेरे क्षेत्र में, भदेहा में, 4 लाख के करीब मजदूर फैले हुये हैं उनके कल्याण के लिये एक भी शब्द नहीं है। इस बजट में उनके लिये कुछ नहीं है। इस भदेहा क्षेत्र से करीब-करीब 15–16 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलती है, लेकिन इस विदेशी मुद्रा में से इस क्षेत्र में खर्च करने के लिये, इन मजदूरों के लिये जो गांवों में रहते हैं, जो पहाड़ी एरिया में है, उनकी बीमारी के लिये, दवा-दारू के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। मजदूर जो इस कालीनों आदि के काम में लगे हुए हैं, जो इस किस्म का काम करते हैं टी0 बी0 के पेसेंट हो जाते हैं। क्योंकि यह दिन भर, रात भर उनका काम करते हैं। लेकिन जब इनकी मजदूरी का सवाल आता है इनकी मजदूरी को हड़प लिया जाता है। एक पैसा नहीं दिया जाता है। कोई इन्तजाम नहीं है। इस क्षेत्र में 5 लाख मजदूर हैं जो कई तरह का काम करते हैं। कोई कालीन बनाता है कोई गुलतराशी करता है फिर भी इनकी मजदूरी का अलग-अलग प्रबन्ध नहीं है। इनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। मिल-मालिक कालीनें बनवाते हैं और कम मजदूरी देते हैं वे कालीनों की क्वालिटी में फर्क करते हैं। मजदूर के लिये यह निश्चित नहीं है कि उसको पैसा कब मिलेगा। तो आप इन्तजाम करें जिससे जो गरीब मजदूर हैं उसको समय से पैसा मिले।

दूसरी बात, अनेकों मजदूर फैक्टरियों में काम करते हैं उनके मालिक जब चाहते हैं उनको नौकरी से निकाल देते हैं। बहुत जगहों पर उनकी कोई यूनियन ही नहीं है। यदि मजदूर आन्दोलन करते हैं तो उनको कुचल दिया जाता है। मालिक उनको नौकरी से निकाल देते हैं। इस दशा में मजदूर कोर्ट जाता है। मुकदमे हाई कोर्ट में होते हैं और जब फैसला हो जाता है तो सरकार उन पर अलग से हस्तक्षेप करती है। इस तरीके से मालिक लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। हमारे यहां की एक फैक्टरी में कई लाख रुपये का घोटाला था। कोर्ट से फैसला हुआ कि मजदूर नियुक्त किये जायेंगे और उनका बाकी पैसा दिया जायेगा जोकि लगभग साढ़े तीन लाख रुपये होता था परन्तु मालिकों ने उनको पैसा नहीं दिया और इस तरीके से उनका नुकसान हो गया। इस तरह से सरकार मजदूरों के प्रति उदासीन रुख अपनाती है। सरकार को चाहिये कि वे अपनी ट्रिब्यूनल में मजदूरों के हक में फैसला करें।

दूसरी बहुत जरूरी चीज यह है कि सरकार मजदूरों को ट्रेनिंग में सिखाई का पैसा देती है। सरकार यह पैसा मजदूरों को सीधे नहीं देती है बल्कि फैक्टरी के मालिकों को देती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालिक फिर उस पैसे को मजदूर को देता है । इस तरह से अधिकतर मजदूरों का पैसा मालिक लोग हजम कर जाते हैं । सिखाई का मालिक लोग कोई हिसाब नहीं रखते हैं । हम लोगों ने शिकायत की कि जो पैसा सिखाई के लिये दिया जाता है उसको मालिक लोग खा जाते हैं । तो उस पैसे को मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा बंटवाना चाहिये । मालिक लोग पैसा खा जाते हैं परन्तु मजदूरों से दस्तखत करवा लेते हैं । मालिकों के एकाउन्ट का आडिट नहीं होता है जिससे बड़ी गड़बड़ी है ।

हमारे क्षेत्र में जहां कि मजदूर छोटे-छोटे घरों में रहते हैं उनकी दवा-दारू का कोई प्रबन्ध सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। अतः फैक्टरियों में दवा का उचित प्रबन्ध होना चाहिये इसके न होने से छोटी बीमारी बड़ी बीमारी के रूप में बदल जाती है जिससे काफी पैसा बीमारी पर खर्च हो जाता है । मजदूरों के घरों में लाइन का प्रबन्ध भी होना चाहिये जिससे वे पंखे आदि रख सकें । हमारे क्षेत्र में मजदूरों को धागा, रंग तथा अन्य सामान लाने ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वहां सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं है। सड़कों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये । भदोई तथा मिर्जापुर में सड़कों की बड़ी खराब दशा है । इसलिये वहां के मजदूरों की बड़ी दयनीय दशा है। मजदूरों की दशा दयनीय होती जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि श्रम मंत्री इस ओर जरा ध्यान दें और उस क्षेत्र की जो कि विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तरक्की करने पर ध्यान दें । मिर्जापुर, ज्ञानपुर भदोही के मजदूरों की दशा को अगर आप सुधारेंगे तो विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तथा प्रांत को लाभ होगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, सेवा योजन और श्रम के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव कामरेड यूसुफ ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये हुआ हूं और आपने जो समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना, मजदूरों की छंटनी बन्द की जाय, समान काम का समान वेतन दिया जाय, बेकारों को काम या बेकारी भत्ता दिया जाय तथा खेतिहर मजदूरों की वेतन निर्धारण तथा लोगों की 300 सौ रुपये माह से कम और 1,500 रुपए माह से अधिक वेतन सीमा बांधना है ।

श्रीमन् 4 बनियादी सवाल यह है कि हर सरकार कौन सी व्यवस्था करती है, किस पालिटिकल फिलोसफी पर उसका विश्वास है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका संबंध मजदूरों के प्रति कैसा होगा । जो लोग यह कहा करते हैं कि हम हड़ताल विरोधी हैं, हम वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते, हम किसी संघर्ष में विश्वास नहीं करते, उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन मान्यवर, आपकी सरकार आये दिन समाजवाद की बात करती है, आये दिन एक रेडीकल चेंज के विश्वास पर घोषणा करती है, और इसी नारे की बदौलत यहां पर आये, इसलिये खास तौर से मुझे यह अर्ज करना है कि आपकी जो सरकार है, उसको यह तय करना पड़ेगा....।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, माननीय सदस्य "आपकी सरकार" कह कर आपको संबोधित कर रहे हैं, जब कि कांग्रेस की सरकार कहना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को चेयर को एड्रेस करना चाहिये या 'अध्यक्ष महोदय' शब्द का प्रयोग करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा इशारा सरकार की तरफ है, उसकी नीति की तरफ है। मान्यवर, मेरी यह निश्चित धारणा है कि अगर सरकार को वर्ग संघर्ष में विश्वास होता तो मजदूरों का बुनियादी हक जो हड़ताल है उस पर पाबन्दी लगाने की बात नहीं करती । इंडस्ट्रियल डिस्पिलिन की बात नहीं करती । मैंने एक बार जिक्र किया था कि पुलिस और पी0ए0 सी0 ने जब आन्दोलन किया तो उसको दबाने के लिये इस सरकार ने क्या-क्या नहीं किया, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया, उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया और कहा कि वह लोग अपनी एसोसिएशन नहीं बना सकते । अभी भी यह सरकार उनको एसोसिएशन बनाने का आदेश नहीं दे रही है । समाजवाद का चोंगा पहनकर गरीबों का वोट खरीदने का यह सरकार काम करती रही है । आज जो मजदूरों पर मुसीबत आई है उस तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने अभी जो प्राइस इन्डेक्स है, जिस हिसाब से उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है, उसके अनुसार निर्धारण करने की बात नहीं की है । इसलिये मेरी मांग है कि कम से कम 300 रुपये प्रतिमास उनको वेतन देना चाहिये । हमारी यह भी मांग रही है कि या तो हमें काम दो या यदि काम नहीं है तो भत्ता दो । जो लाखों नवजवान बेकार पड़े हुए हैं । उनमें टेकनीकल हैंड्स भी हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं उनके लिये रोजगार देने के लिये क्या कोई योजना आपके पास है।

इसी तरह से जो दूसरे सवाल हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो लेबर डिसप्युट्स हैं, मजदूरों के परस्पर विवाद हैं उनमें हमेशा मजदूरों को परेशान करने की बात की जाती है । हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें मजदूरों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले । इसके साथ ही विक्टीमाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको खत्म करना चाहिये । जो अभी प्रोसेस है वह पूंजीवादी नीतियों का पोषक है, उसे खत्म किया जाना चाहिये । हम केवल फैक्टरी में काम करने वाले को ही मजदूर नहीं कहते, हम उसे भी मजदूर कहते हैं जो कलम से काम करता है या खेत में काम करता है । 54 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक डिसमल खेती नहीं है । उनके लिये आपने क्या किया । मंत्री जी के इलाके में देवरिया के पडरौना और हाटा तहसील में 50 पैसे पर आज भी मजदूर दिन भर काम करता है । दिनमान में निकला था कि सोनहू स्वीपर एक स्कूल में 30 पैसे पर काम करता है । आज इस वर्ग के लोगों की यह दशा है। इसके लिये हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे, मजदूरों का राज्य कायम करेंगे।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षक संघ की काल पर 65 हजार अध्यापकों ने हड़ताल की । मंत्री जी तो उनमें फर्क करते हैं लेकिन हम उनको भी मजदूर ही मानते हैं । हमारा अभिप्राय है कि जो आदमी श्रम करता है चाहे वह कलम से काम करता है, चाहे खेत में फावड़ से काम करता है या फैक्टरी में काम करता है वह श्रमिक है । इसी तरह से श्रम जीवी पत्रकारों का सवाल है । वह कितने दिन से परेशान हैं । लेकिन सरकार ने उस दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया । आप किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लें, जहां एक पक्ष म सरकार और दूसरे पक्ष में मिल मालिक है । कम से कम 75 फीसदी ऐसे केस हुए जिनमें मजदूर हारा और जो सुविधा मिली वह पूंजीपति को मिली । मैं और भी उदाहरण यहां देना चाहता हूं । बांदा का किस्सा है । वर्किंग जनरलिस्ट यूनियन के कार्यकर्ता भगवानदास हैं जो टाइम्स आफ इंडिया के करस्पोंडेन्ट हैं । उनके भाई की एक दुकान

थी । एक पुलिस अधिकारी सामान लेने गये और जब उसने मना किया कि सामान नहीं है तो उसे डी0आई0आर0 में बन्द कर दिया । जब भगवानदास पूछने गये तो उनको भी डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया । उसी दिन दूसरे पूंजीपति भाष्कर और सिंधी बन्द हुए थे वह छोड़ दिये गये लेकिन वे लोग आज भी सड़ रहे हैं । यह में इसलिये कह रहा हूं कि मजदूर आज भी प्रताड़ित और शोषित है और जो कानून है वह पूंजीपति के पक्ष में है ।

मैं चीनी मिल के संबंध में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा । चीनी इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद दूसरे नम्बर पर आती है । पिछली, नवम्बर, 73 में एक त्रिदलीय बैठक दिल्ली में हुई थी । हिन्द मजदूर सभा के सदस्य गिरी ने प्रस्ताव रखा था कि एडहाक डी0ए0 75 रुपया सारे देश में कर दें । पता नहीं कौन सी मुसीबत हुई । उत्तर प्रदेश में त्रिदलीय बैठक में जो सर्वसम्मत सुझाव था 75 रु0 डी0ए0 का वह 28 रु0 पर रह गया । इसी तरह से गुगली, रामकोला, खड्डा, सरदार नगर फैक्टरीज हैं । इनके मजदूरों के प्रावीडेंट फंड का मिस्यूज वहां के मिल मालिक कर रहे हैं । यह घोर अपराध है । लेकिन बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। मेरा यह भी निवेदन है कि पे-रिवीजन के लिये स्पेशल कमीशन बिठाया जाय, क्योंकि पिछला कमीशन बहुत पुराना हो चुका है और कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं । इसलिये वर्किंग क्लास के लिये एक नये पे कमीशन की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ माननीय युसुफ साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार अपनी नति में बुनियादी तब्दीली लाये जिससे मजदूर वर्ग को राहत मिल सके ।

श्री प्यारे लाल (मेरठ)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्रम मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या-37 श्रम एवं सेवायोजन पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बहुत से साथियों ने कहा कि इस सरकार की नीति समाजवाद विरोधी रही है और मजदूरों का शोषण हो रहा है । मजदूरों को सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं, सरमायेदारों को सहूलियतें दी जा रही हैं । मैं कहता हूं कि 1947 और 1955 की स्थिति को देख लें और आज की स्थिति को देख लें कि कितनी सहूलियतें मजदूरों को आज दी जा रही हैं । कितना वेतन बढ़ा है, कितने क्वार्टर बन गये हैं, कितने मुकदमें समाप्त हो गये । इन सभी बातों को जब हम देखते हैं, तो यही पाते हैं कि यह सरकार पूरी तरह से समाजवाद के रास्ते पर चल रही है । हमारे कुछ उधर के साथियों ने कहा कि यह बजट समाजवाद-विरोधी है । मैं कहता हूं कि वे समाजवाद का मतलब नहीं समझते और इसी कारण वे ऐसा कहते हैं । एक तरफ वेतन बढ़ाने की आलोचना करते हैं । और दूसरी तरफ हड़ताल करने के लिये भड़काते हैं । दुरंगी नीति आखिर कब तक चलेगी।

एक सदस्य––

गोली चलाना भी क्या समाजवाद है ?

श्री प्यारे लाल (मेरठ)––

वेतन बढ़ाना तो सरकार का फर्ज है और सदैव आवश्यकतानुसार बढ़ेगी भी । इसी के साथ-साथ, मान्यवर, मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ से निकली श्रम विभाग की वार्षिक समीक्षा, 1973, नाम पुस्तिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस किताब में पृष्ठ 6 पर जो कहा गया है कि राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष गिर रही है इसी के

[श्री प्यारे लाल---]

साथ प्रतिवर्ष काम करने वाले मनुष्यों का प्रतिशत प्रति वर्ष गिर रहा है। इस पर कृपया मंत्री जी ध्यान दें । इसी के साथ-साथ यूनियन का जो पंजीकरण रजिस्ट्रार की कलम से होता है, वह नहीं होना चाहिये । यह पंजीकरण गुप्त मत-दान के द्वारा बहुमत के आधार पर होना चाहिये । जर्नलिस्टों के बारे में वेजबोर्ड की संस्तुति आई थी, लेकिन वह लागू नहीं हुई है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा उसको शीघ्र लागू करना चाहिये । श्रम निरीक्षकों, डिप्टी लेबर कमिश्नर और लेबर कमिश्नर, जिन्होंने इस संस्तुति पर अमल नहीं कराया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । उनके खिलाफ मुकदमें चालू करने चाहिये । इसी के साथ-साथ इंजीनियरिंग वेजबोर्ड की संस्तुतियां बहुत से संस्थानों में लागू नहीं हुई हैं । इंजीनियरिंग संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों को जो मंहगाई दिसम्बर में 30 और 40 रुपये दिये गये थे, वह वह बहुत से संस्थानों में लागू नहीं है । उसे लागू करवाया जाय, और जहां-जहां ये लागू नहीं हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय जो सरकार की तरफ से उनको सहूलियतें दी जाती हैं वे बन्द हों और उन पर 15 प्रतिशत सूद लगाकर चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से सारी धनराशि मजदूरों को दिलवानी चाहिये । इसी के साथ-साथ, अदालतों में जो कार्यवाहियां होती हैं, वे बड़ी लम्बी चलती हैं जो बहुत ही खर्चीली व देरी वाली होती हैं । इससे मजदूरों को न्याय देर से और मंहगा मिलता है । जिससे मजदूरों का हौसला टूट जाता है और वे किसी न किसी रूप से समझौता कर बैठते हैं । निवेदन करूंगा कि ऐसे नियम बनाये जायं जिससे सस्ता तथा सुलभ न्याय मजदूरों को मिल सके ।

गाजियाबाद की कुछ समस्यायें मैं रखूंगा । गाजियाबाद एक औद्योगिक तथा श्रमिक नगर है जिसमें 60 से 70 हजार मजदूर गैर सरकारी संस्थान में काम करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से जो श्रमिक बस्ती है उसमें अभी तक 1440 क्वार्टर्स बन पाये हैं । जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। 10,15 हजार क्वार्टर्स और बनने चाहिये । मिलों का जो फैलाव है वहां पर उसे देखते हुए हिन्डन नदी के इस पार और उस पार दो लेबर कालोनीज बनाई जायं जिसमें 7-8 हजार क्वार्टर्स बनाये जायं और उनको हायर परचेज सिस्टम पर दिया जाय जैसा कि मौलाना यूसुफ साहब ने कहा । कम से कम 10 हजार सस्ते व सरल किस्तों पर प्लाट मजदूरों को दिये जायं जिससे आवास की जो असुविधा बनी हुई है वह समाप्त हो सके । कम से कम आज किराया गाजियाबाद में 70,80 रुपया है । जिन मजदूरों को 90 से लेकर 130 रुपये तनख्वाह मिलती है वे कैसे 70,80 रुपया किराया दे सकते हैं । यह श्रमिकों के साथ अन्याय है । जिन संस्थान पर वेज बोर्ड लागू नहीं होता है उनके लिए भी वेज बोर्ड बनाये जायं तथा उनकी संस्तुति शीघ्र मंगा कर लागू करें । आज प्रत्येक मजदूर का वेतन 300 रुपये से कम नहो, उससे कम वेतन म आज के इस महंगाई के युग में गुजारा होने वाला नहीं है।

जिन गैर सरकारी संस्थान में श्रमिक काम करते हैं चाहे वे मिल में काम करते हों, चाहे होटल अथवा दूकान में काम करते हों उनको वे सभी सहूलियतें मिलनी चाहिये जो सहूलियतें सरकारी संस्थानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को प्राप्त हैं । जैसे ई0 एस0 आई0, प्राविडेंट फन्ड तथा पेंशन आदि-आदि । ऐसा न होने पर जब 50,55 साल की उम्र में वे काम करने लायक ही नहीं रहते शक्ति हीन होते हैं । भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई रास्ता शेष नहीं रहता है । जो होटलों, दूकानों अथवा गैर सरकारी संस्थान में काम करने वाले मजदूर हैं उनको ये तमाम सुविधायें मिलनी चाहिये । गाजियाबाद चूंकि श्रमिक केंद्र इसलिये वहां पर एक रीजनल प्राविडेंट फंड आफिस खुलना चाहिये। कानपुर में जो है आफिस है वहां 20-30 लिखने पर भी प्राविडेंट फंड की धनराशि मिलना तो दूर रहा वहां से जवाब तक नहीं मिलता । यह कठिनाई प्रदेश के प्रत्येक अंचल में है । लिहाजा जहां

जहां श्रमिक बस्तियां हैं वह-वहां रीजनल प्राविडेंट फंड आफिस खुलने चाहिये ताकि प्राविडेंट फंड का पैसा उनको आसानी से मिल सके ।

गाजियाबाद में एक डिप्टी लेबर कमिश्नर का आफिस भी खुलना चाहिये ताकि जो समस्यायें पदा होती हैं वे प्रति दिन आसानी से सुलझ सकें । इसके साथ-साथ कानून को आसान, शीघ्र समझ में आने वाला सीधा और सक्रिय बनाया जाए ताकि मजदूरों को जल्दी लाभ व न्याय मिल सके । मजदूर जब शिकायत करता है श्रम कार्यालयों में तो जो फैक्टरी इंस्पेक्टर श्रम निरीक्षक इंक्वायरी के लिये जाता है लेकिन वह मजदूर से न मिल कर सीधे मिल मालिक से मिलता है और उल्टी सीधी रिपोर्ट दे देता है जो मजदूरों के हित में न हो कर फैक्टरी मालिक के हित में होती है । फैक्टरी इंस्पेक्टर्स को प्रशिक्षित किया जाय और कड़ी हिदायत दी जाय कि जब जांच के लिये वह फैक्ट्रियों में जायं तो मजदूरों से भी पूछें कि किस आधार पर उन्होंने शिकायत की है ताकि वह मजदूरों के हित की भी रिपोर्ट में लिखें और उसी आधार पर रिपोर्ट दे सके जिससे कि मजदूरों को लाभ भी मिल सके । (व्यवधान) मैं विरोध नहीं कर रहा हूं अनुदान का बल्कि सुझाव दे रहा हूं । मैं अनुदान के हक में बोल रहा हूं वह आपकी गलत फहमी है । जो ई0एस0 आई0 के कार्यालय हैं उनकी तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें । वहां बड़ा भ्रष्टाचार है । जब छुट्टी का पैसा मजदूर लेने जाता है तो उससे नजराना लिया जाता है । नहीं देता है तो कई-कई दिन तक घुमाया जाता है । इसी प्रकार काम चलाऊ दफ्तर से नाम नहीं भेजा जाता है । इस भ्रष्टाचार को सख्ती के साथ खत्म किया जाय जिससे मजदूर राहत की सांस ले और मजदूर यह समझ सके कि सरकार समाजवाद ला रही है उससे उसको लाभ मिलना शरू हो गया है और उसकी समाजवाद में आस्था जमे व समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास कर सके । इन शब्दों के साथ ही जो मांग माननीय मंत्री जी ने पेश की है उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन के अन्दर बार-बार कुछ लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि आज इस सरकार का कोई चरित्र नहीं रह गया है चाहे कोई समाजवादी सरकार हो या गैर-समाजवादी सरकार हो । मुझे कल यहां पर खुशी हुई जब मैंने यह देखा कि यहां पर अपने को समाजवादी कहलाने वाले मजदूरों के हितैषी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने सही रास्ते पर आ गये । यह इस बात का प्रमाण है कि इस सदन के कांग्रेस के लोग न तो समाजवादी हैं और न वे समाजवादी हो ही सकते हैं । मैं आपसे पूछता हूं कि मजदूरों पर गोली चलाने वाली यह सरकार, मजदूरों के ऊपर पुलिस का इस्तेमाल करने वाली यह सरकार, मजदूरों के ऊपर शासन का उपयोग करने वाली यह सरकार समाजवादी और मजदूरों की सरकार कभी नहीं हो सकती है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लखनऊ में स्थित एवरेडी कारखाने के अन्दर एक अधिकारी जाता है और वह श्रमिकों पर गोली चलवाता है उससे एक श्रमिक की मृत्यु हो जाती है ।

अधिष्ठाता महोदय, इनको छूट मिली हुई है कि जो चाहें वह कर सकते हैं । मैं मांग करता हूं कि सत्ता पार्टी के लोग जो अपने को मजदूरों के दोस्त कहते हैं क्यों नहीं उस अधिकारी को आज तक गिरफ्तार किया गया । आज हिन्डालको कारखाने को चलाने में बिरला और प्रधान मंत्री के बीच में सांठ-गांठ क्यों है । वहां पर आये दिन क्यों तालाबन्दी होती है ? क्यों वहां पर सरकार गोली चलवाती है जिससे कई मजदूर घायल होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं । आप मजदूरों के हिमायती बनते हैं और उसी पर गोली चलवाते हैं । आपने पूरे हिन्दुस्तान में हिन्डालको के मैनेजर श्री कोठारी को मजिस्ट्रेट की पावर दे दिया है कि वह किसी भी मजदूर को डी0आई0आर0 में बन्द कर दे । और गोली चलवा दे, उन पर दफा 144 का इस्तेमाल करते हैं और मजदूरों को बाहर निकाल देते हैं....

एक सदस्य—

कालागढ़ में किसने गोली चलवाई थी ?

श्री राम अधार—

आपने वहां पर उन्हें मजिस्ट्रेट की पावर दे दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार समाजवादी कहलाने वाली है ? कभी नहीं हो सकती। बी0 आर0 मोहन को ही ले लीजिये। उसके यहां सत्ता पार्टी के लोग जन्म दिवस पर दावतें खाने के लिये जाते हैं और दूसरी तरफ वे मजदूरों का खून चूसते हैं तो क्या हित आप मजदूरों के लिये कर सकगे ? गोल्ड ब्रंवरीज कारखाने के श्रमिकों को जो मजदूरी निर्धारित की गई थी उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। आज आप उनके लिये और हरिजनों के लिये छोटी-छोटी कोठरियां बनवाकर उनसे वोट लेना चाहते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े शर्म की बात है। आज भी गांवों के अन्दर लोग आम की गुठली और गोबर से अनाज निकाल कर अपना जीवन यापन करते हैं। आप उनको दो-तीन आने मजदूरी तक नहीं दे सकते हैं जब कि आप उनके हितों के रक्षक कहलाते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गोल्ड कन्ट्रोल ऐक्ट लागू किया। आज आपक प्रदेश के अन्दर सारे स्वर्णकार और कारीगर मजदूर बेकार बैठे हुये हैं। उनके लड़के पाकेट-मार, चोर, डकैत बन गये हैं। उनके लिये सरकार ने तत्काल कोई इन्तजाम नहीं किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके लिये तत्काल व्यवस्था होनी चाहिये। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे देश पर आपत्ति आ पड़ी थी और हमने शरणार्थियों को अपने यहां रखा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हमें आजादी मिले हुये 26 साल हो गये हैं जब भी श्रमिकों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, मजदूरों की बात आती है तो आप शरणार्थियों की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि देश पर एक आर्थिक संकट आ पड़ा था। एक दिन में उत्तर प्रदेश के गर्वनर 85 हजार रुपये खर्च करें, उन्हें कहां से अधिकार दिया गया है, बड़े-बड़े अधिकारी जैसे परिवहन विभाग के चरन साहब जैसे अधिकारी, जिनके लखनऊ के अन्दर 7–7 मकान हैं, वे कैसे बन गये ? आपके राज्य में भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ी है। आप बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, एयर कंडीशन्स लगाते हैं, लेकिन जब मजदूरों के हित की बात आती है तो आप कहते हैं कि देश में आर्थिक संकट है। आज श्रमिकों के नेता सदन में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि यूसुफ साहब से पुराना लेबर लीडर कोई नहीं होगा, जो यहां बैठा हो। सरकार कामरेड यूसुफ साहब से बात करें और मजदूरों के लिए कुछ कारगर उपाय करे।

आपके राज्य में छंटनी, तालाबन्दी और श्रमिक अशान्ति बढ़ी है। यदि आप कहते हैं कि सरकार समाजवादी है, तो आपके राज्य में किसी भी पूंजीपति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किसी भी मैनेजर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और किसी भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? और यह सरकार मजदूरों पर गोलियां क्यों चलवाती है। इसी लखनऊ में एवरेडी फ्लैश लाईट कम्पनी के कर्मचारियों पर वहां के अधिकारी ने अवैध तरीके से गोली चलवाई और वह हत्यारा अधिकारी अब भी स्वतंत्र घूम रहा है, उसके खिलाफ इस समाजवादी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस मृतक बेचारे के स्त्री बच्चे दर-दर की ठोकर खाते बाहर फिर रहे हैं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, बदकिस्मती से मुझे भी मौका मिला उस गोल के नेता के साथ काम करने का, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अभी तो मैंने एक अरबपति, जिसके तीन नौकर थे, तीनों को गिरफ्तार करक, हथकड़ी डलवा कर जेल भेज दिया, जिसकी कभी मिसाल नहीं मिलेगी।

एक सदस्य––

आपने अरबपति के नौकरों को बन्द कराया, स्वयं उसे बन्द किया होता तो मैं समझता, ऐसा करने का आपका साहस कभी नहीं हो सकता है। यह तो आपने और भी बेजा किया।

(व्यवधान)

श्री राम अधार––

यदि आपने कुछ किया है, तो उसके लिये आपको मुबारकबाद। बहुगुणा जी ने जब प्रदेश में मुख्य मंत्रित्व पद ग्रहण किया था तो उनका एक बयान निकला था कि कोई भी मंत्री किसी कारखाने वाले के यहां दावत में शामिल न हो। लेकिन उसका स्वयं समाजवादी मुख्य मंत्री ने पालन नहीं किया और जिन्होंने 25 अप्रैल, 74 को वी0 आर0 मोहन के यहां गोल्ड वाटर फैक्टरी में जन्म दिन की शानदार पार्टी उड़ाई। उसी का नतीजा यह है कि उस फक्टरी को जब कि केवल बियर का लाइसेंस मिला है। वह अवैध तरीके से दो-दो दरवाजे खोल कर दो प्रकार की शराब तैयार करके बाहर बेचता है और चोरी करवाता है। यह सारी बात आपकी जानकारी में है। फिर भी आप कहते हैं कि आपकी सरकार समाजवादी है, मैं कहता हूं कि वह समाजवादी नहीं मजदूरों की दुश्मन है। यदि आप वास्तव में मजदूरों के दोस्त हैं तो आप एवरेडी कारखाने में मजदूरों पर गोली चलवाने वाले अधिकारी को तुरन्त गिरफ्तार करें, विभिन्न कारखानों में होने वाली छंटनी और तालाबन्दी को रोकें और पूंजीपतियों के यहां दावत खाना भी बन्द करें। तो मैं समझूंगा कि आप सही में मजदूरों के दोस्त हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये जो इजाजत दी, उसके लिये धन्यवाद। अभी मंत्री महोदय की ओर से और उनके सदस्यों की ओर से यह बताया गया कि प्रान्त में इंडस्ट्रियल पीस (औद्योगिक शान्ति) और मजदूरों में बहुत अधिक सन्तोष है। लगता है सरकार शायद हड़तालों और आन्दोलनों से ही केवल श्रमिकों के शान्ति और अशान्ति को आंकती है। आज जितनी बड़ी श्रमिक अशान्ति है, देश के अन्दर और इस प्रान्त में जिसे आप कह सकते हैं "कायरत सत्याग्रह," "कार्यरत अराजकता," कार्यालयों में उद्योग में जो है, वह स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार की श्रम नीति कितनी असफल है। श्रमिक कितना अशांत है। इसका स्पष्ट उदाहरण है––राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले वर्ष लगभग 40 करोड़ के जो ओवर टाइम भत्ता दिया गया, जिसको बन्द कर दिया गया, आज सरकार की जो कार्य सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में नीति है उससे श्रमिक बिलकुल संतुष्ट नहीं है। इसीलिये श्रमिक कार्यरत रहते हुए भी मन लगा कर काम नहीं करता है।

दूसरी बात यह कही गयी कि समय-समय पर वेतन बढ़ाया गया। बढ़ाना बड़ी बात नहीं है। मजदूर वेतन बढ़वाना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि जो सामान मिल रहा है, उसके अनुसार, जीने योग्य आप वेतन दें। यही नीति स्वीकार करके कार्यान्वित करें तो यही सबसे बड़ी सफल श्रमिक नीति होगी। यह नीति सरकार ने लागू नहीं की और पूर्ण रूप से असफल रही। इसीलिये मैं कहता हूं कि सामानों के मूल्य और वेतन में समानता का सिद्धान्त लागू करें। सरकार जब तक इस सिद्धान्त को स्वीकार करके लागू नहीं करेगी तब तक इसकी नीति सफल नहीं हो पायेगी। कोई भी समस्या को सरकार उसका तात्कालिक हल निकालने की कोशिश करती है, उसका स्थायी हल नहीं सोचती। इसलिए आवश्यकता है कि सामानों के मूल्य और वेतन में समानता का सिद्धान्त स्वीकार करे और लागू करे।

तीसरी बात यह है, आज जो सबसे बड़ा असंतोष है वह यह कि समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं दिया जाता है। जितनी भी हड़तालें हुई हैं उनमें यह मांग रही है कि फलां कार्यालय में, उद्योग के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धान्त सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

है ? उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में मिनिमम वेज 184 रुपये है और दूसरे उद्योगों में 230 रुपये है। एक ही कार्य के लिये भिन्न-भिन्न वेतन क्यों ? यह सरकार की गलत नीति है। सरकार के सिद्धान्त के रूप में समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये ।

आज जो औद्योगिक अशान्ति है, उसके लिये सुझाव देना चाहता हूं जो यह सरकार कहीं भी नहीं स्वीकार कर रही है और कभी कभी यह कहा जाता है कि विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। विश्व में उदाहरण न हो, लेकिन अपने को प्रगतिशील कहने वाली सरकार यह उदाहरण प्रस्तुत करे। वह यह कि श्रमिकों को सभी निजी, सरकारी उद्योगों में साझेदारी दी जाय। यह उदाहरण परिवहन विभाग में रखा जाय। इस नीति को इस लिए अपनाना आवश्यक है कि जब कोई भी व्यक्ति यह समझता है कि मैं यहां का नौकर हूं तो उसकी कार्य करने की क्षमता, उसकी गति, उसकी लगन, भिन्न होती है अपेक्षा उस भाव से कि यह मेरी सम्पत्ति है। इसका उदाहरण स्पष्ट है। मैं इस विचार का हूं कि अगर परिवहन विभाग में जो कार्यरत श्रमिक हैं। उनकी साझेदारी बनाकर लाभ और हानि में हिस्सा देकर उनको महसूस कराया जाय कि यह तुम्हारी सम्पत्ति है। फिर देखिये कि हर ड्राइवर, हर क्लीनर समय पर आयेगा और समय पर जायेगा और कभी भी आन्दोलन नहीं करेगा क्यों कि मैनेजमेंट में उसकी साझेदारी है। वह जानता है कि यदि एक भी पहिये में पंचर होता है और बस रुक जाती है तो उसका स्वयं का नुकसान होता है। इसलिये मंत्री जी इस नीति को स्वीकार करके विश्व के सामने एक उदाहरण रखें। मेरा एक सुझाव है। मानव प्रवृति के सिद्धान्त की बात है कि वह अपनी सम्पत्ति और दूसरे की सम्पत्ति के साथ व्यवहार करने में अन्तर रखता है। पहले आप एक आध इंडस्ट्री में प्रयोग करके देखें। यदि वह प्रयोग सफल हो तो दूसरे अन्य उद्योगों में भी उसको लागू करें । यदि असफल रहता है तो इसको लागू न करें। यह औद्योगिक अशान्ति को दूर करने का एक उत्तम तरीका है ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं सरकार की गलत नीतियों की आलोचन करते हुये सुझाव देना चाहूंगा कि आज जो सरकारी श्रमिकों में अशान्ति पैदा हुई है यह समाप्त नहीं हो सकती है। उसको थोड़े दिनों के लिये भले ही डंडे के बल पर दबा दिया जाय। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार श्रमिक समस्याओं को सिद्धान्त रूप में सुलझाने का प्रयत्न नहीं करती है बल्कि उसे दबा देना चाहती है या फिर टाल देना चाहती है। सिद्धान्त के आधार पर उसको नहीं सुलझाया जाता है। अभी जो रेल हड़ताल हुई थी उसमें मूल प्रश्न यही था कि अन्य उद्योगों में बोनस दिया जा रहा है वही हमको दिया जाय। इस पर सरकार ने हां या नहीं कुछ नहीं क हा बल्कि इस प्रश्न को यह कह कर टाल दिया कि हम इसके लिये आर्थिक स्थिति में नहीं हैं। जो प्रश्न बोनस का था वह आज भी विद्यमान है। आज भी मजदूर बोनस मांगता है। यह उचित है या नहीं इसको नहीं देखा जाता है बल्कि यह कहा जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस प्रश्न को अधर में लटकता हुआ छोड़ दिया जाता है। इसलिये मेरा मत है कि श्रमिक समस्याओं को सिद्धान्त रूप में सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, मैं गैर शिक्षक कर्मचारियों के बारे में निवेदन करूंगा कि इनकी सेवा शर्तें नहीं बनी हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि जिस तरह से औद्योगिक श्रमिकों के बारे में विधिवत सेवा शर्तें बनाई गई हैं उसी तरह से इनकी भी सेवा शर्त बनाई जायं। सस्ता न्याय दिलाने के लिये इनके ऊपर भी औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू किया जाये। सामाजिक सुरक्षा के बीमा भविष्य निधि, ग्रेचुएटी और पेंशन योजना लागू की जाय। इसके साथ ही साथ जिस तरह से अन्य उद्योगों एवं शिक्षकों में महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा प्राप्त है उसी प्रकार से गैर शिक्षक कर्मचारी के रूप में जो महिलायें काम कर रही हैं उनको यह सुविधा प्रदान की जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः दोहराऊंगा

कि सरकार की जो श्रमिक नीति है वह असफल रही है। इसका उदाहरण यह है कि युवा शक्ति अपना योगदान देना चाहती है लेकिन उसका उपयोग करने में सरकार असफल रही है। इसके लिये न सरकार ने कोई रोजगार की ठोस योजना बनाई है और न सरकार इसके प्रति जागरूक ही है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं सदन में जो बजट पेश है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे अभी विरोधी दल के साथियों ने बजट के ऊपर अपनी तकरीर की। जहां तक इस बजट पर तकरीर की बात है और अपने सुझाव देने की बात है वह बहुत अच्छी है और बड़े मूल सुझाव दिये हैं, लेकिन किसी भी साथी ने हमारे इस बजट में कटौती की बात नहीं कही, बल्कि बढ़ोत्तरी के सुझाव दिये हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अस्पताल हों, स्कूल हों और न्यायालय हों और हर चीज की मांग करते हैं और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि अधिक रुपया बजट में न रखा जाये। अभी हमारे बी० के० डी० के साथियों ने कहा कि मजदूरों पर गोली चलायी गयी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और उन माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं क्या वे कालागढ़ काण्ड को भूल गये और मोदी नगर के अन्दर मजदूरों पर जो गोली चलायी गयी थी और उसमें 10 मजदूरों की जानें गयी थीं उसको भूल गये। चौधरी चरणसिंह जी ने मजदूरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के खिलाफ इसी सदन में भाषण दिया था। तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि वे मजदूरों के खिलाफ हैं। जब वे मजदूरों की तनख्वाहों के बढ़ाने के खिलाफ हैं तो उनके साथियों को उनसे परामर्श करके ही कोई बात यहां इस सम्बन्ध में कहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम होता है कि ये लोग पूंजीपतियों के शुभचिन्तक हैं, और उनकी रहनुमाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे एक-दोस्त भाषण दे रहे थे कि

(व्यवधान)

हमारे जनसंघ के साथी ने एक बात कही कि परिवहन मंत्री जी को चाहिये कि वे परिवहन विभाग के मजदूरों को उसमें साझीदार बनायें और विश्व के सामने एक मिसाल कायम करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह श्री राजमंगल पांडेय का विभाग नहीं है यह उत्तर प्रदेश की 9 करोड़ जनता का विभाग है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में परिवहन विभाग में मजदूरों की साझेदारी का सवाल उठाया लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जयपुरिया की मिल में मजदूरों को साझा देने की बात नहीं कही। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वह पब्लिक सेक्टर में साझेदारी चाहते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में साझेदारी नहीं चाहते हैं, वे प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मजदूरों की तरक्की और उनकी भलाई का सवाल है इस कांग्रेस सरकार ने सन् 1947 से आज तक बहुत सा काम किया। यह सही है कि उन कारखानों से मजदूरों का बहुत हित नहीं हो सका। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से बहुगुणा सरकार ने उत्तर प्रदेश में कदम रखा है आप देखिये कि दसों साल से मांगी जाने वाली मजदूरों की मांगों को, जो उद्योगों में काम कर रहे थे, इस सरकार ने पूरी की। उनकी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी इस सरकार ने की। मैं अपने श्रम मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि कानपुर के अन्दर विक्टोरिया मिल जो सरकार के ही संरक्षण में चल रही है, वहां के मजदूरों का 20

[श्री अब्दुल रहमान नश्तर]

माह 0 प्राविडेंट फण्ड, ग्रेचुएटी, ई 0 एस 0 आई 0 तथा छुट्टी के मदों का बकाया था, उसके प्रति मैं मा 0 राज मंगल पांडेय जी, श्रम मंत्री का ध्यान उनकी समस्याओं को हल करने के लिये दिलाना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि कि जिन मजदूरों का रुपया मिल के ऊपर बकाया है, उनका रुपया शीघ्र मिल जाना चाहिये। इस मिल के सैकड़ों मजदूरों की मृत्यु भी हो चुकी है, बहुत से मजदूर रिटायर भी हो चुके हैं। सरकार को उनके पैसे जल्द से जल्द दिलाने की व्यवस्था करना चाहिये।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम यह उठाना चाहिये कि एक व्यवसाय में एक यूनियन का फार्मूला लागू हो यह जो 10–10, 5–5 फर्जी यूनियनें रजिस्टर कराके पार्टियों के नाम पर चलाई जा रही हैं, उससे श्रमिकों का भला नहीं हो सकता है। श्रमिकों का भला इस बात से हो सकता है कि वह किसी भी जाति के हों या किसी भी वर्ग के हों परन्तु वह मिल में काम यदि करते हों, तो उनको यूनियन बनाने की इजाजत दी जाय। यदि मिल में काम करने वाले श्रमिक यूनियन में रहेंगे तो वे मिल के हित की बात करेंगे और उसके साथ-साथ अपने हित की भी बात करेंगे। इस प्रकार की यूनियन मजदूरों की भलाई और मिल की भलाई के लिये काम करेगी। उनका एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ डायरेक्टर भी होना चाहिये आज वहां पर यूनियन उन लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिनका मिल से कोई ताल्लुक नहीं होता और वे लोग उन मजदूरों से तथा उन मिल मालिकों से फायदा उठाने के लिये यूनियन बनाये हुये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। जहां पर बहुत-सी संस्थायें हैं, उसी के साथ-साथ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा कालेज कायम करें जहां पर प्रत्येक यूनियन के लोगों को ट्रेनिंग दी जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस महंगाई के जमाने में श्रमिकों को जो पैसा बढ़ाया गया है वह इतना काफी नहीं है कि वे अपनी रोजमर्रा की चीजें उन पैसों से खरीद सकें। अगर आप उसको डेकओवर नहीं कर सकते, नेशनलाइज नहीं कर सकते तो आप इतना कर दें कि उन मजदूरों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जरूरियात की चीजें हैं, उनको पूरा करने के लिये, जहां यह काम करते हैं। सरकारी समितियों या सरकारी दुकानों द्वारा वहीं पर मोहइया करा दी जायं ताकि वह उस दूकान से सरकारी भाव पर खरीद कर अपना और अपने बच्चों का पालनपोषण कर सकें। इसके साथ साथ मैं इस मौजूदा बजट का जो हमारे श्रम मंत्री जी की ओर से पेश किया गया है जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जो बजट मामूली सा पेश किया गया है, इसके अन्दर इससे भी ज्यादा इस विभाग को अनुदान मिलना चाहिए था। इन शब्दों के साथ इस सरकार ने जो श्रमिकों के लिए यह बजट रखा है, उसकी ताइद करता हूं और जो विरोध पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मैं तो मशकूर हूं अपने दोस्त राम अधार राय का और जनसंघ के नौजवान साथी का। आज मौलाना यूसुफ साहब ने भी अपनी जोरदार तकरीर मजदूरों के पक्ष में की है। उन्होंने हिन्दुस्तान की बदलती हुयी सियासत की तस्वीर पेश की। आज ये लोग उस सियासत की हिमायत नहीं करते हैं महज अपने मफाद के लिए मजदूरों की मांगों की हिमायत करते हैं लेकिन आपने 1971 में पब्लिक सेक्टर को मिटाने के लिये चुनाव लड़े थे। आप चाहते थे कि बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मजदूरों के साथ इन्साफ होना चाहिए। आप चाहते थे कि हिन्दुस्तान के रिश्ते सोवियत रूस से टूट जायं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अमेरिका के साथ मजबूत हों। मौलाना यूसुफ ने जिन्दगी भर उम्मेद रखी है कि हिन्दुस्तान में समाजवाद आयेगा लेकिन आज जब मजदूरों की जबरदस्त वकालत हो रही है तो उनके खलूस का अहसास इस बात से हो सकता है कि न तो सदन म हमारे चौधरी साहब मौजूद हैं और न जनसंघ के माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ही हैं। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम यह समझ लें कि मजदूरों की वकालत आज क्यों हो रही है ? सरमायेदारों के नुमाइन्दे इन्हीं के साथ होंगे।

शिकायत तो आज मुझे अपने उन कांग्रेसी दोस्तों से है जिन्होंने सन् 1947 से पहले एलान किया था कि हिन्दुस्तान में किसानों और मजदूरों का राज्य होगा। जब आजादी आयी, लोगों ने उनसे पूछा कि किसान मजदूरों के राज्य का क्या हुआ तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं बारदोली के किसानों का नुमाइन्दा हूं और गुलजारी नन्दा ने कि मैं अहमदाबाद के मजदूरों का नुमाइन्दा हूं और चूंकि हम दोनों सरकार में हैं इसलिए दोनों का राज्य हो गया। आज उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लूट कर बिड़ला साहब, राजस्थान से आकर, अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से बम्बई से आकर टाटा साहब इस प्रदेश के मजदूरों को लूट कर अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल इन लोगों के हाथ में है। आपने वक्त का मजाक किया। लेकिन चीली की सरकार का क्या हुआ। वहां पर भी एक समाजवादी सरकार थी जो वहां के मजदूरों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकी जिसको सरमाये दारों नें महंगाई बढ़ाकर, मजदूरों को मारकर तोड़ दिया।

चीली में ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स की जबरन हड़ताल करवायी। इन सरमायेदारों ने भेड़ की खाल पहन कर हड़तालों और स्ट्राइक्स के जरिए से वहां की सरकार को खत्म करवा दिया। आज इसीलिए इस देश की आजादी के दुश्मन इस देश के समाजवाद के दुश्मन मजदूरों की मांगों की। हमदर्दी कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश के दुश्मन को पहचान लिया जाय।

आज चौधरी साहब इस कटौती की हिमायत करते हैं लेकिन मैं उनको याद दिलाता हूं कि जिस दिन यह सदन गठित हुआ, उस दिन चौधरी साहब ने बहुगुणा साहब पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और इस सरकार का दिवाला निकाल दिया है, इसलिए वे सरकार में रहने लायक नहीं हैं और आज वे इस कटौती का समर्थन करते हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि आप मजदूरों के दोस्त हैं या दुश्मन हैं---दोस्त दुश्मन की तमीज जरूरी है। उसके किये बगैर इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज नहीं है और हम समझते हैं कि इस देश के दुश्मन जो कल 1942 के हीरो थे, आज इस देश की आजादी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आगाह हैं तो सोचना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण जो इलाहाबाद में साजिश करते हैं विद्यार्थियों के नेताओं से मिलकर, सन् 47 को आज सन् 74 में उलटकर दोहराया जा रहा है। आज अमरीकी साम्राज्यवाद के दोस्त, जिनको गवारा नहीं है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा रहे, जो नहीं चाहते कि बंगला देश आजाद रहे और इजराइल के सामने अरबी मुल्क कह सकें कि तेल हमारा है, आज वह हिन्दुस्तान को बेचने की साजिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी थी कि इलाहाबाद में कितनी जबरदस्त साजिश की गयी है। जयप्रकाश जी की तकरीर इस सदन के कुछ सदस्यों के सामने हुए और इंटेलीजेंस के पास उसकी रिपोर्ट होगी। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मेरा खर्चा अमरीका के पैसे से चल रहा है। मेरा खर्चा तो साफ है जहां से किया जा रहा है गांधी जी भी तो सरमाये-दार से पैसा लेकर चलते थे। मुझे भी जहां से पैसा मिलता है उसका हिसाब रखता हूं। गफूर साहब ने आर्डर्स जारी किये हैं कि जबतक उनसे संबंधित संस्थाओं के मुताल्लिक इंटेलीजेंस से रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक उनको कोई पैसा नहीं दिया जायगा। आज इस मुल्क की आजादी को तोड़ने के लिए ये लीडर खर्चा कर रहे हैं। कहां से यह रुपया आता है ? कहां से हथियार आते हैं ?

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

कहां से हमारे नौजवान कालेजों से निकल कर, होस्टलों से निकर कर घरों पर, सड़कों पर आ जाते हैं मुल्क की आजादी को तोड़ने के लिए और हमारी सरकार की आंखें नहीं खुलतीं ?

आज इनको इतना अहसास होता है कि हम कुछ ट्रेनिंग बढ़ा देंगे, हम कुछ आपको मराआत दे देंगे, लेकिन मजदूर तहरीक का कुछ पता नहीं है । यह मालूम होना चाहिए कि अगर मजदूर तहरीक बचेगी नहीं तो इस मुल्क की आजादी, इस मुल्क की जम्हूरियत महफूज नहीं है। आज आपको ताज्जुब होता है कि मौलाना यूसुफ कहते हैं कि सरमायदारों से हुकूमत छीनकर आई०एन०टी०यू०सी० के मजदूरों को दे दो ताकि ब्लैक मार्केटीयर्स से देश को बचाया जा सके । आपको याद होना चाहिये कि जब गांधी जी ने कहा था कि इस देश की राज सत्ता एक हरिजन लड़की के हाथ में होगी तो वह सच्ची आजादी होगी । तो एतराज किया जाता था कि हरिजनों के पास तो तालीम भी नहीं है और आप उनकी हुकूमत चाहते हैं । आज जब मजदूर तहरीक मांग करती है कि डी०आई०आर० के अख्तियारात मजदूर नेताओं को दे दो तो आप मुस्कराकर चुप हो जाते हैं । आज हमारी मांग यह है कि हुकूमत मजदूरों के हाथ में दीजिये, यह मजदूरों का फर्ज होगा कि . . . . (व्यवधान) आप तशरीफ रखिये । मैं यह कह रहा था कि सवाल यह नहीं है कि महंगाई कितनी मिलेगी, पैसा कितना बढ़ेगा, सवाल यह है कि सत्ता मजदूरों के हाथ में आयेगी या नहीं ? और अगर आयेगी तो मजदूर किस बुनियाद पर . . . . आप तो देश को दूसरों के हाथों मे बेच चुके । आप तो यही चहते हैं . . . . आप सुनने की हिम्मत रखिये ।

आज जरूरत इस बात की है कि देश की आजादी कैसे कायम रहेगी ? उसकी हिफाजत कैसे होगी । देश में समाजवाद आयेगा, लेकिन तबतक नहीं आयेगा जब तक कि तमाम समाजवादी ताकतों के रिश्ते मजबूत नहीं होंगे । अगर आप इसको सही मानते हैं तो आपको फर्क करना होगा समाजवादी दोस्त और समाजवादी दुश्मन ताकतों में । . . . ये लोग (कांग्रेस बेंचों की ओर इशारा करते हुए) आपके दोस्त नहीं हैं, समाजवाद के दोस्त नहीं हैं । (हंसी) आज ये हमारे साथ मिलकर देश की आजादी को साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप साम्राज्यवाद के हाथ देश को गिरवी रखना चाहते हैं और देश की आजादी को बेच रहे हैं । इनके बारे में कोई सुबहा नहीं होना चाहिए । आप इस देश की आजादी को बेचना चाहते हैं। आपके साथ वही बरताव होना चाहिये जो मीर जाफर के साथ होना चाहिये था । आज आप मजदूरों का भत्ता बढ़ा कर यह समझते हैं कि उन पर एहसान कर रहे हैं । ये वह लोग हैं जो आपकी सरकार को और इस मुल्क की आजादी को बचायेंगे । इस प्रदेश और देश का मजदूर, चाहे वह आई०एम०टी०यू०सी० का हो, चाहे ए०आई०टी०यू०सी० का हो या किसी और यूनियन का हो वह आपको ऐसी ताकत जरूर देगा जो इस मुल्क को बचा सकेंगे ।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है । आज इस युग में श्रम का बड़ा महत्व है और हिन्दुस्तान ऐसे देश में जो दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है सब से बड़ी शक्ति मैन पावर है और मैन पावर में श्रम शक्ति का बड़ा महत्व है । हम लोग यहां पर श्रम और श्रमिकों के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं । श्रमिकों का कल्याण होना चाहिये । भारतीय संविधान की हम लोगों ने शपथ खायी है जिसमें यह साफ लिखा है कि यहां पर सबके साथ न्याय किया जायगा । आज श्रमिक वर्ग हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है लेकिन आज उसके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है । जब तक श्रमिकों के कल्याण की बात नहीं की जायगी, उनका उत्साह नहीं बढ़ाया जायगा तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं होने वाला है ।

जो हमारे सामने वर्तमान कानून है उसमें तमाम खामियां पायी जाती हैं जिसका परिणाम यह है कि आज श्रमिकों की उन्नति नहीं हो रही है । आज पूंजीपतियों की इन्हीं श्रमिकों के काम में दिन दूनी रात चौगुनी आमदनी बढ़ती जा रही है लेकिन क्या कारण है कि आज उन श्रमिकों

के साथ न्याय नहीं होता है, उनकी उचित मजदूरी नहीं दी जाती है । जिस परिश्रम के साथ वह उत्पादन करते हैं आज उनको क्षमता और कार्य के अनुसार उनको वेतन और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है । इसलिये हम चाहते हैं कि मौजूदा कानून में इसप्रकार के संशोधन लाये जायें जिससे उनको उनके श्रम के मुताबिक पारिश्रमिक दिया जाय ।

आज मजदूरों के कल्याण की दृष्टि से मजदूर यूनियनों की व्यवस्था की गयी है लेकिन मिल मालिक उन यूनियनों को बनने देने में बाधक हो रहे हैं । मिल मालिक अपने मन की यूनियनें बनवाना चाहते हैं ताकि मनमाने ढंग से मजदूरों का शोषण कर सकें । इसलिये वह मिल मालिक क्या करता है कि चन्द मजदूरों को तोड़ कर एक फर्जी उनकी यूनियन तैयार करवाता है । फिर उसे रजिस्ट्रेशन के लिये भेज देता है उसके प्रयास से रजिस्ट्रेशन हो जाता है । जो असली यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है इसका परिणाम यह होता है कि मिल मालिक अपनी मन चाही यूनियन से मिल कर मन माने ढंग से काम करता है और श्रमिकों का शोषण करता है । जो मजदूर मिल मालिक की इच्छा अनुसार काम नहीं करता उसके खिलाफ वह डायरेक्ट ऐक्शन लेता है यद्यपि कानून में उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है । कानून के अन्तर्गत उसे पहले आरोप पत्र देना चाहिये उससे यदि वह संतुष्ट न हों तब कोई कार्यवाही करना चाहिये । मगर वे बिना आरोप पत्र दिये हुए ही डायरेक्ट कार्यवाही करने लगते हैं । इस तरह का अन्याय मजदूरों के प्रति दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । फिर कानून में यह है कि मुकदमा यदि दायर करना हो तो 6 महीने के अन्दर हो जाना चाहिये । यह मिल मालिक इस तरह की लिखा-पढ़ी करते हैं कि उसमें 6 माह से ज्यादा का समय निकल जाता है । उसके बाद जब मजदूर लेबर कोर्ट में जाता है तो एडमीशन में ही उसे बड़ी परेशानी होती है उसका मुकदमा एडमिट ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है । फिर मुकदमें जल्दी फैसले भी नहीं होते । मेरे जिले में मसौधा शुगर मिल है जहां पर 40 मुकदमें श्रमिकों के चल रहे हैं और 4–4, 6–6 साल से एक एक मुकदमा चल रहा है । हम चाहते हैं कि शासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो ताकि मजदूरों के मुकदमों का फैसला जल्दी हो और यह मिल मालिक मन माने ढंग से श्रमिकों को परेशान न कर पायें ।

कम्पेन्शेसन देने में भी बड़ी देर लगती है । यदि किसी का हाथ कट जाता है तो उसे कम्पेन्सेशन बड़ी देर से और बहुत परेशानियों के बाद मिल पाता है । इसकी भी व्यवस्था होना चाहिये कि वह शीघ्र मिला करें ।

हरिजनों और अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ी जातियों के लिये कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर्स खोले जाने चाहिये । उनके लिये रोजगार की सुविधायें दी जानी चाहिये । जिसमें पिछड़े जाति के लोगों को भरती करके ऐसी ट्रेनिंग दी जाये जिससे वे अपना काम कर सकें । खेतिहर मजदूरों की संख्या भी प्रदेश में बहुत ज्यादा है । उनके भी कल्याण की बात होना चाहिये और उन्हें उचित मजदूरी मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर इस सदन में आज मजदूरों की आवाज बुलंद हो रही है । हर व्यक्ति यह सुझाव दे रहा है कि मजदूरों की खुशहाली होनी चाहिये और सभी आज उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं । इस वर्ग में यह सत्य है कि समय समय पर कुछ महात्मा पैदा होते रहे हैं और आज तक भी उनकी पूजा की जाती रही है । इस विषय पर मेरे मिनिस्टर साहब ने जो डिमांड

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

रखीं और जो मुझे यहां बोलने का मौका दिया गया तो मैं सदन के सामने अपने विचार रख रहा हूं ।

पिछले 26 सालों से जो इस वर्ग की तरक्की हुयी है प्रगति हुयी है आज उसकी रोशनी भारतवर्ष में और हमारे प्रदेश में हो रही है । हुकूमत ने काफी कोशिशें की हैं इस वर्ग की तरक्की के लिये । यह वही वर्ग है जिसने हमारे किसान को बनवास को दौलतमंद को जो आज यहां बातें कर रहे हैं और बाहर हैं, खुशहाल बनाया है । इसके पहले और भी सरकारें रही हैं लेकिन यह वही कांग्रेसी सरकार है जिसने जब जब कानून पेश किया है इस वर्ग की तरक्की हुयी है । यह वर्ग ऊंचा उठा है । उसके लिये न्यायालय बनाये गये हैं ताकि वह अच्छी तरह से उनमें जाकर के वाद-विवाद करे और उसको फैसला मिल सके । इसी के साथ-साथ उनके लिये केन्द्र खोले गये हैं जिनमें बैठ कर वह गाने बजाने की सुविधायें प्राप्त करते हैं । अपने दुख सुख का वर्णन करते हैं । इन्हीं केन्द्रों के द्वारा, उनके इस्तेमाल करने के कारण आज उनको स्वास्थ्य के बारे में और कई अन्य बातों की जानकारी मिला करती है ।

इसके साथ ही हुकूमत ने उनके वेतन में बढ़ोत्तरी की है । 1972 में आकर यह बढ़ोत्तरी और भी बढ़ गयी है । वेतन और बोनस के लिहाज से भी उनको जो दिया जा सकता था दिया गया है । यह जो बढ़ोत्तरी की गयी है इसमें 120 रु0 तक की बढ़ोत्तरी वेतन में की गयी है । यह जो बढ़ोत्तरी की गयी है यह अभी भी थोड़ी है । इस ओर हुकूमत को और अभी कुछ करना पड़ेगा ।

एक बात मैं और कहता हूं कि उन बेचारों की दशा अभी भी अच्छी नहीं है उसके लिये हुकूमत को सोचना चाहिये । इन लोगों को अभी दोनों वक्त केवल भोजन ही शायद मिल पाता है । जिन चीजों की सहूलियतें हम लोगों को मिलती हैं वह इनको मयस्सर नहीं होती ह । इसलिये यह बेचारे केवल अनाज पर जीवित रहते हैं । इनमें जो शहरों में मजदूर ह इनको जितना अनाज राशन की दूकानों से मिलता है वह बहुत कम है, वह बहुत ही कम है । इसके अलावा जब बाजार से खरीदते हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है । तो अगर इस ओर मिनिस्टर साहब ध्यान दे सकें तो बड़ी अच्छा काम होगा ।

इस वर्ग में अनेक कुरीतियां हैं कमजोरियां हैं । इनको दूर करने के लिये कोशिशें होनी चाहिये । इनकी यूनियनें बनानी चाहिये । सियासतदानों आपको चाहिये कि किस तरह से इनमें जो शराब की आदतें हैं, जुये की आदतें हैं, खत्म किया जाये । किस तरह से इनकी तंदुरुस्ती बढ़े । इनमें जो कुरीतियां हैं, जो शादी ब्याह की कुरीतियां है उनको खत्म करें । हमारा फर्ज है कि हम इस वर्ग को सही रास्ता दिखलायें । ये वर्ग बहुत दुखी हैं । इनके अन्दर कोई शांति की चीज नहीं है । ये अनेकों दुखों में घिरे हैं । ऐसा कोई नियम जो यूनियन बनाये यदि उनमें कोई ऐसा प्रबन्ध हो जिससे उनके दुखों का निदान हो तो उसको सियासत देखे । उनकी यूनियन ऐसा कार्य यदि कर सके जिससे कि मजदूरों का उत्थान हो, उनकी तरक्की हो तो उसको यह मिनिस्ट्री जरूर देखे । इसके अलावा इस समाज के प्रति इस सदन में हर तरफ से आवाज है और वह आवाज यह है कि इस समाज को उठाया जाय । यह बिल्कुल रोशन आवाज है । लेकिन दोस्तों कोई इसको उठा सकता है । किताबों में पढ़ लेने से इस समाज को नहीं उठाया जा सकता है । गांव की औरतें घड़े में दूध जमाती हैं । उसको सूरज के सामने रखती हैं जिससे कि उसमें कोई ऐसी बात न रह जाय जिससे कि दूध फट जाय । इसी प्रकार पटेल साहब पहले किसानों के लीडर बनें और उसके बाद में देश के लीडर बने । इसीलिये दोस्तों कृपा करके इस समाज के उत्थान के लिये कृपा करो जिससे दिन दूनी रात चौगुनी ये वर्ग तरक्की कर सके । यह लहलहाते हुए खेत उनके पसीने का नतीजा है । दूसरे उन्होंने उद्योग धंधों में तथा व्यापार

में जो चारों तरफ उत्तर प्रदेश लहलहा रहा है उसमें उसके पसीने का नतीजा है। इसके साथ ही साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी के डिमान्ड का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि मुझे आपने इस कटौती के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। प्रथम इसके कि मैं अन्य श्रमिकों की बात करूं मैं मुख्य रूप से खेतिहर मजदूरों की बात करना चाहता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी भी देहात क्षेत्र से ही आये हुए हैं और इसलिये उनको किसानों के बारे में जानकारी होगी। जहां तक आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 3 रु0 रखी है तो मैं देहात की जो असलियत है उसको रखना चाहता हूं। खेती पर मजदूर हर वक्त नहीं रहता है। अधिकांश वक्त उसका दूसरे की मजदूरी में भी जाता है जहां कि उसे 3 रु0 से अधिक मजदूरी मिलती तथा कुछ ऐसी भी जगहें है जहां भी उसे 3 रु0 से अधिक मजदूरी मिलती है। इसलिये आपने महज एक तरह से स्लोगन करने के लिये बात रखी है कि हम 3 रु0 पूर्वी जिलों में खेतिहर मजदूरों को मजदूरी देंगे। ऐसा लगता है कि आप खेतिहर मजदूरों के बड़े हमदर्द हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में खेती के दो तीन सीजन होते हैं। वहां मजदूरों को मजदूरी गल्ले के रूप में दी जाती है। हमारे गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती में जो मजदूरी मजदूरों को मिलती है उसको देने के दो तरीके हैं। एक जो तरीका है वह 'सेई' का है जो कुछ हिस्सों में चलता है और कुछ में 'रजिया' चलता है। जहां के मंत्री जी रहने वाले हैं उस इलाके में रजिया द्वारा मजदूरों की मजदूरी दी जाती है। जो गल्ला उनको मजदूरी में मिलता है उसकी कीमत 3 रुपये से अधिक ही होती है। लेकिन जहां तक मजदूरी कम मिलती है उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की। खेतिहर मजदूर दो तरह से काम करता है--एक सहकारी बेसिस पर और एक व्यक्तिगत बेसिस पर। व्यक्तिगत मजदूर जहां मिलते हैं वहां हो सकता है कि कम मजदूरी मिल जाती हो लेकिन अधिकतर देहातों में एक बराबर किसान हैं वहां अधिक काम करनेवाले लोग हैं वह आपस में कटिया करते हैं और साथ ही साथ जो मजदूरी मिलती है वह 3 रुपये से ज्यादा होती है।

यदि आपको हमदर्दी थी खेतिहार मजदूरों से तो आपको यह प्रतिबन्ध रखना चाहिये था कि जब उनका खेती का समय नहीं रहता जब वह बेकार रहते हैं तो उनके परिश्रम का बड़े-बड़े ठेकेदार शोषण करते हैं जैसे जंगल को काटने, ईंट पाथने, मिट्टी काटने आदि के लिये जब वह ठेकेदार ले जाते हैं तो उनको कम मजदूरी मिलती है। मेरा सुझाव यह कि विशेष चिन्ता आपको उन मजदूरों की करनी चाहिये जो इन कामों में लगे हैं। सरकार ठेके पर सड़क और पुल बनाती है। कहने को सरकार कहती है कि वह 3 रुपये मजदूरी देती है लेकिन उनको दो रुपया या ढाई रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाता। जितने भी डेस्ट वर्क के काम हुये हैं उसमें भी तीन रुपया मजदूरी नहीं दी जाती है। उस वक्त आपने कोई ध्यान नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि जो पैसा बचा वह अफसर लोग खा गये।

सबसे मुख्य बात यह है कि गांधी आश्रम में काम करने वाले मजदूरों को डेढ़ और दो रुपया से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। यह लोग दिन भर पुंजी करने, कपड़ा धोने, गांठ ढोने का काम करते हैं बैल की तरह जुटे रहते हैं उन मजदूरों के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि उनको कम से कम कितनी मजदूरी देनी चाहिये थी। यह लोग बड़ी सत्य और निष्ठा से काम करते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह लोग सुबह 7 बजे आते और शाम को 6 बजे छुट्टी मिलती है। करीब 11-12 घण्टे काम करते हैं लेकिन उन बेचारों को 2 रु0 या ढाई रुपये से अधिक मजदूरी नहीं मिलती। अगर आपको यकीन न हो तो आप चल कर देख लें।

उसके बाद मिल मजदूरों का प्रश्न है। एक मिल है महावीर जूट मिल। 25 साल पहले सरकार और मिल मालिकों ने साजिश करके 800 मजदूरों को निकाल बाहर किया

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

उसमें से आधे बेचारे तो मर गये और जब वह मुकदमा लड़ने गये तो सरकार ने हाई कोर्ट और तमाम जगह पर पूंजीपतियों के बचाव में काम किया। आज तक वह मुकदमा लटका हुआ है। मिल मालिक ने एक और चालाकी की है कि उसने अपने यहां बहुत लोगों को टेम्पोरेरी रखा है। आधे से अधिक मजदूर ऐसे हैं जिनको एक हफ्ता या दो हफ्ता महीने में काम दिया जाता है। ये लोग दस-दस साल से टेम्पोरेरी हैं और इसलिए रखे गये हैं कि जब कभी अपनी मांग को लेकर मिल मालिक के पास जायं या सख्ती करें या हड़ताल करें तो उनकी बात न सुनें। उन्होंने जितने मजदूरों की आवश्यकता है उससे दुगुने तिगुने मजदूर रखे हैं जो ट्रेंड भी हैं। अगर कभी हड़ताल हो तो वह इनसे काम चला सकें इस लिए उनको रखा है। इस तरह से वह शासन की कतई परवाह नहीं करता।

इसी तरह से जो लेबर आफिसर है जिसका कुछ सम्बन्ध सरकार से भी है वह भी मिल मालिक के अपने आदमी हैं। न तो वहां कोई पार्क है, न कोई स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए। जो मजदूरी दी जाती है वह तो कम है ही। आपने दो प्रशिक्षण केन्द्र का जिक्र किया। एक तो आई0टी0आई0 और दूसरा पोस्ट०आई0टी0आई का। आपने स्वयं माना है कि इन दोनों में फर्क है। मैं चाहता हूं कि इस फर्क को समाप्त करके इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाय जिससे दोनों में कोई फर्क न रह जाय और दूसरे प्रदेशों के बराबर माना जाय। इसके अलावा जो वहां ट्रेंड लोग हैं उनके लिए कोई गारन्टी नहीं कि उनको सर्विस मिलेगी। इस पर भी विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक प्रार्थना है कि आपने दलों के लिए नियत किया है कि कौन कितना बोले। क्या औरतों को भी एक दल बनाना पड़ेगा कि हमें भी बोलने का कोटा मिले? अगर विरोधी दल से कोई बोलने वाला नहीं है तो वह समय भी हमें मिल जाय।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत आभारी हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। पेश्तर इसके कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूं मैं सदन को एक गम्भीर सूचना देना आवश्यक समझता हूं। सदन के सभी सदस्य चाहे विरोध पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों इस पर सरकार का समर्थन करेंगे।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

और सरकार भी अपने कर्त्तव्य का पालन करेगी जिससे कि अपने सूबे की रक्षा हो और यहां की आमदनी बढ़े। कल मेरे पास जो दो आदमी आये उन्होंने मुझे सूचना दी कि यू0 पी0 और हरियाणा सीमा के सिलसिले में जो विवाद भारत सरकार के गृह मंत्री के सुपुर्द है, दोनों मुख्य मन्त्रियों ने बैठ कर आज से एक मास पूर्व यह तय किया है कि जमुना पर बांध लगाकर श्री बंशीलाल जी जमुना रोक रहे हैं वह कार्य उस तरफ से नहीं होगा। हमारे एक डिप्टी कलेक्टर उधर बैठे हैं और उनके एक डिप्टी कलेक्टर हमारी तरफ कैम्प लगाकर बैठे हैं। लेकिन अफसोस है कि उस तारीख में आज तक वह बांध का कार्य बन्द नहीं हुआ है। उस पर बिजली जल रही है, बराबर रोशनी में कार्य हो रहा है। मुझे यह सूचना मिली है। मैं जब कटौती का प्रस्ताव आया था, तो बीच में भी इसके बारे में न कहा था, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला, आज जमुना को खोदकर बांध को लेकर बंशीलाल जी ने यू0 पी0 की तरफ जमुना को बहा दिया है और सूखी जमुना में पानी बहना शुरू हो गया है। इस तरह से अगर पानी बहा तो वह 17 गांव जो हरियाना के मिलने जा रहे हैं,

वे नहीं मिलेंगे और 4 गांवों की जमीन जिसे जमुना ने हमें दे दी थी, वह हमसे निकल जायगी मुजफ्फरनगर में 6 गांव, अलीगढ़ में 2 गांव और बुलन्दशहर में 9 गांव वह ले चुके हैं और रेवेन्यू भी वसूल करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, अब मैं आपके कटौती के प्रस्ताव पर आता हूं और आशा करता हूं आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और देश में फैली हुई बेकारी और गरीबी का मुकाबिला करेंगे। यदि आप सन्तुष्ट हैं कि आप मजदूरों को पूरी मजदूरी दे रहे हैं, और मजदूरी देकर अपने बराबर में ला चुके हैं या बराबर से थोड़ा नीचे भी ला चुके हैं, तो मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस भी ले सकता हूं। मान्यवर, 25 वर्ष आजादी मिले हो गए, लेकिन मजदूरों की हालत क्या है? इस देश और प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है, जो घुम्मकड़ हैं और एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं जैसे गूजर मुसलमान और कंजड़ आदि जातियां। न इनका वोट का राइट है और न बसने का कोई स्थान।

इसी तरह से एक बहुत बड़ी संख्या पहाड़ों पर भी ऐसे ही लोगों की रहती है, जो भैंस पालते हैं और गर्मियों में तिब्बत के बार्डर में चले जाते हैं। इनके रहने का स्थान नहीं है और वोट देने का अधिकार नहीं है। आज आप इन मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। आप केवल वही कर रहे हैं जिससे गरीब मजदूरों के वोट आपको मिल जायं। रुपया मिल मालिकों से मिलता रहे और वोट मजदूरों से, यही आपकी नीति है। आप चाणक्य की नीति, साम–दाम–दंड और भेद की नीति से चुन कर आये हैं। आप अकड़ते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। यहां लोग भूख से मर रहे हैं और आप इस तरह अकड़ रहे हैं।

मैं कलकत्ता से लौट रहा था तो मुझे मुगलसराय तक रोटी मुअस्सर नहीं हुई। इस देश और प्रदेश की आज हालत क्या है? हम और आप असेम्बली में बैठकर आज मग्न हो रहे हैं। सरकारें तो चलती ही रहेंगी, चाहे हम और आप यहां रहें या न रहें। जब आप यहां नहीं थे, तो गवर्नर सरकार को चला रहे थे। प्रश्न है आप इस प्रदेश को गरीब जनता और असहाय मजदूरों के लिए क्या करने जा रहे हैं? आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन उससे वह मजदूर जो ईंट बनाता है, या जो रिक्शा चलाता है, उसको कोई लाभ हो सका? गांव में बसने वाले मजदूरों को कुछ लाभ पहुंचाया आपने? आप कहते हैं कि मजदूर काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि आप खुद काम नहीं करते। इसलिए मजदूरों को कह रहे हैं कि वे काम नहीं करते। आप रेलवे स्टेशन पर जायं तो दिखाई पड़ेगा कि हमारे देश और प्रदेश में कितने भीख मांगने वाले हैं। क्या विदेशी यहां टूर नहीं करते और इन भिखारियों की फोटो नहीं लेते? आपको शर्म नहीं आती कि मुल्क की क्या हालत है, गरीब की क्या हालत है।

मैं सरकार से चाहूंगा कि आप सक्रिय योजनायें ले कर चलें जिससे मजदूरों का हित हो सके। टंडन जी दूध नहीं पीते थे। उनसे कहा गया कि कौन सी दवाई दी जाय अगर आप बीमार हो जायं? उन्होंने कहा कि मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो जाय तो मेरा आयुर्वेद में थोड़ा बहुत विश्वास है। उनसे कहा कि उसमें तो शहद की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि शहद मुझे न दीजिए क्योंकि शहद लेने के लिए मक्खियों को भगाया जाता है, उनसे उनका भोजन छीना जाता है। इसी से आप समझ लीजिये कि टंडन जी और आप में कितना अन्तर है? आपको अपनी कथनी व करनी में बड़ा अन्तर है, उस अन्तर को खत्म कीजिए और मजदूरों की सेवा कीजिए। अगर बातें बना कर अपना उल्लू सीधा करना है तो देर नहीं है जब यह देश जागेगा। अंग्रेज चले गये, राजा महाराजा चले गए, जमींदार व ताल्लुकेदार चले गए और उनकी तरह आप भी चले जायेंगे। हां, आप खुशी से नहीं जायेंगे। आप बातें बना कर लोगों

[श्री तेज सिंह]

को ठगना चाहते हैं इसे आप बन्द करिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय अपना दिल टटोल कर वह काम करेंगे जिससे मजदूरों का वर्ग उनके निकट आ सके।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने श्रम मन्त्री व मुख्य मन्त्री को आपके माध्यम से मुबारकबाद देती हूं। श्रम मन्त्री ने आज न्याय के लिए ऊपर आधारित, उनको ऊंचा उठाने के लिए जो जगमगाता हुआ और झिलमिलाता हुआ बजट पेश किया है मैं उसका पूरी तौर से समर्थन करती हूं। अभी गर्ग साहब ने कहा कि वह जमाना कब आयेगा जब मजदूरों की हुकूमत होगी। मैं गर्ग साहब को बतलाना चाहती हूं कि वह सो रहे हैं और शायद स्वप्न देख रहे हैं। मजदूरों की हुकूमत तो आ गयी है। मुख्य मन्त्री मजदूरों के ही नेता हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं। मुख्य मन्त्री ही नहीं विधान सभा म कितने ही सदस्य मजदूरों की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया है, त्याग व बलिदान किया है, तपस्या की है। यह मजदूरों की हुकूमत नहीं है तो क्या है?

(शोर गुल)

श्री अधिष्ठाता—

शान्त रहिए। बहुत गम्भीर वक्तृता हो रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विरोधी दल ने जो मांग की धनराशि में 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है वह इसलिए रखा गया है कि जो हमारी प्रगति की तरफ कदम उठाने के लिए योजनायें हैं उनमें सहयोग देने के लिए नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उनका केवल विरोध करने के लिए पेश किया गया है। यह विरोध प्रजातन्त्र का विनाश करने के लिए किया जा रहा है, समाजवाद की नीतियों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए है कि आप श्रमिकों के बड़े हितैषी हैं, बल्कि इसलिए यह विरोध किया जा रहा है कि चूंकि इस बजट में श्रमिकों के उत्थान की व्यवस्था है। इसम बिड़ला व टाटा को स्थान नहीं है, इसमें निक्सन के लिए कोई स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शांत रहें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अगर आप लोग श्रमिकों के बड़े हितैषी हैं तो पहले आप अपने नेता श्री चरण सिंह से पूछ लीजिये कि वे भारतवर्ष में श्रमिकों की हुकूमत चाहते हैं या हिटलर की डिक्टेटरशिप चाहते हैं—

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

आपको जानकारी होना चाहिए कि चौधरी साहब क्या चाहते हैं? आप मखोलबाजी की बात करती हैं....

श्री अधिष्ठाता—

बैठिये आप। कृपया शान्त रहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गंजी प्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, ये कटौती के प्रस्ताव में बोल रही हैं अथवा...
(सदन में बहुत शोर होने लगा।

श्री अधिष्ठाता---

यह फैसला आपको नहीं करना है।

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

जो प्रस्ताव उसी पर वे बोलें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

ये वही चरण सिंह हैं जिन्होंने कालागढ़ और मोदीनगर में मजदूरों के ऊपर गोली चलवाई थी...

एक सदस्य---

रेलवे मजदूरों पर गोली और लाठी चार्ज किसने करवाया था?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

बहुगुणा जी क्या करते हैं? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

वर्मा जी आप बैठें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

अब आज की औरतें पिंजड़े में बन्द नहीं हैं। वे पिंजड़े से बाहर आकर आकाश में उड़ रही हैं। उनके संगीत को आप कैसे बन्द कर सकते हैं। वह आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपसे और चौधरी चरण सिंह से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने महिला मंगल योजना के अन्तर्गत...

एक सदस्य---

बार-बार चरण सिंह का नाम क्यों ले रही हैं... (व्यवधान)
(विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्य खड़े हो गए और सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या महिला श्रमिकों की नौकरी लेना, जबकि वे अपनी रोजी की डिमांड करने जाती हैं तो उनके ऊपर लाठी का प्रहार किया जाता है, उनके हितैषी का काम है?

श्री अधिष्ठाता---

अब कुछ रचनात्मक सुझाव दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने समाजवाद की बात चलाई। हम इस बात को जानते हैं कि जब तक 70 घराने खत्म नहीं होंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है और न हमारा सपना पूरी तरह से साकार हो सकता है लेकिन जब-जब इन्दिरा गांधी जी की सरकार समाजवाद की ओर कदम बढ़ाती है और हम कोई नयी योजना चलाते हैं, जिससे

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

कि हम समाजवाद की झिलमिलाती मंजिलों की ओर कदम बढ़ाते हुए चले जायेंगे, उस में विरोधी दल वाले ही सबसे ज्यादा हाय-तोबा मचाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। जैसा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक समाजवादी काम हमने किया। हमारी चाहे समाजवाद की योजनायें हों, चाहे श्रमिकों को आजाद करने की योजनायें हों, चाहे हिन्दुस्तान को ऊंचा उठाने की योजनायें हों, उसमें सबसे ज्यादा विरोध विरोधी पार्टियों की ओर से होता है और हमें उन योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई और देरी होती है।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, आज श्रमिकों की जो प्राब्लम्स हैं, उनका एक सायक्लोजिकल पहलू भी है। यह सभी खुद दलों का कर्तव्य है कि वे मजदूरों की समस्याओं को साइक्लोजिकल प्वान्ट आफ व्यू से भी देखें। हमारे विभाग में स्वामी और सेवक, एम्प्लायर और इम्पलाई, शोषक और शोषित की कुभावना घर कर गई है भारत की स्वतन्त्रता के 27 वर्षों में भी वह दिमागों से नहीं हट पाई है। जब तक वह भाव नहीं हटेगा तबतक श्रमिकों के मन में हीन भावना हमेशा बनी रहेगी। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहती हूं हम लोग सब चाहे मन्त्री हों चाहे खेतिहर मजदूर हों और चाहे किसान हों, हम सभी श्रमिक हैं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले ही केवल श्रमिक नहीं हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि उनका परिवार छोटा नहीं है उसमें कारखानों में काम करने वाले मजदूर आप लोग और इन्दिरा गांधी भी शामिल हैं। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम लोगों को अपने श्रमिक समझना चाहिए। हम केवल एक वर्ग के लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं—जो दूसरों के पैसे और श्रम का शोषण करके अपनी जेबें भरते हैं। जब हम इस बात को समझेंगे तो सही अर्थों में देश में समाजवाद आ सकेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया, काफी समय हो गया है।

कई सदस्य—

इनको 5 मिनट का समय और दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदस्यों का आग्रह है कि माननीय सदस्या को 5 मिनट का समय और दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं पूछना चाहती हूं कि इन श्रमिकों की जमात में औरतें भी शामिल हैं या नहीं। मैं यह पूछकर रहूंगी। मैं जो यहां विधान सभा में आई हूं यहां यू0 पी0 की करोड़ों महिलाओं के आंसुओं की मोतियों के धेले लेकर आई हूं, मैं अपने लिये नहीं आई हूं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो अपनी आखों के डोरे से सूई के डोरे से नहीं और दिल के दर्द की सूई से कढ़ाई करती हैं जो दस्तकारी करती हैं, चिकन का काम करती हैं जिनके कुर्ते पहन कर खस का इत्र लगा कर शाम को घूमते हैं उन औरतों को श्रमिकों में सम्मिलित किया है या नहीं। मैं पूछती हूं कि जो जून की धूप में सड़कों के किनारे पत्थर तोड़ती हुई औरत हैं आपके श्रमिकों में शामिल हैं या नहीं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि घरों के अन्दर जो औरतें.... (व्यवधान) 20 घंटे काम करती हैं जिनको कोई टी0 ए0, डी0 ए0 महंगाई का भत्ता कोई छुट्टी नहीं दी

जाती वह घर की औरतें की औरतें जो दिन भर बर्तन मांजती हैं रसोई बनाती हैं बच्चों को पालती हैं साथ ही कपड़ों से मल धोया करती हैं उनकी जगह श्रमिकों की जमात में है या नहीं। उनके लिए जो घर के कैदखाने में बन्द हैं हर तरह से तकलीफ झेलती रहती हैं उन औरतों की उन्नति और सीक्योरिटी के लिए आप लोगों ने क्या किया ? मैं आपके माध्यम से श्रम मन्त्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये सब श्रमिक औरतें जो अच्छे परिवार से नहीं आतीं जो आया हैं जो बर्तन मांजने वाली ह या रसोई बनाने वाली हैं या जो औरतें मजदूर कारखाने में काम करती हैं उन सब को श्रमिकों की जमात में शामिल करके उनकी उन्नति के लिए आप लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

एक शेर तो सुन लीजिए ।

सितारों के आगे जहां और भी हैं
अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्रम मन्त्री ने अनुदान की मांगों को रखने से पहले 24 मई, 1974 के कांग्रेस के प्रस्ताव को पढ़ लिया होता तो शायद बहुत कुछ होता। कांग्रेस कार्य समिति ने आज सरकार को सुझाव दिया है––वेतन व आय नीति की वर्तमान असमानताओं को दूर करने के लिए अविलम्ब आवश्यक कदम उठाए जायं और संगठित क्षेत्र के वेतन ढांचे की त्रुटियों व भारी विषमताओं को दूर किया जाय। यह 24 मई, 1974 को कांग्रेस ने पास किया ।

मान्यवर, इस अनुदान के अन्दर श्रम मन्त्री ने इस प्रस्ताव को देखते हुए शायद कोई रचना नहीं की है। दो घंटे मजदूरों के लिए कुछ भी इस श्रम अनुदान में नहीं रखा गया। अगर आप इसको देखें तो वहां पर यह कहा गया है कि असमानतायें दूर की जायं उसमें आप देखें केन्द्र के और प्रान्त के, प्रान्त के और स्वायत्त शासन के कर्मचरियों के वेतन के अन्तर को। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम करन वाले चीनी और कपड़े की मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को देखें। इसके बाद एक ठला चलाने वाले दूकानों पर काम करने वाले कर्मचारी घर में काम करने वाले कर्मचारी सिनेमा में काम करने वाले कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में अन्तर क्या है, यह असमानता दूर हो रही है कांग्रेस में बैठे हुए सत्ताधारियों को सोचना होगा।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जो वेतनक्रम रखा गया है और जो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है उसका कड़ाई के साथ पालन नहीं होता है। 150 रुपए पर दस्तखत कराए जाते हैं और मुश्किल से उनको 100 रुपया दिया जाता है। यह श्रम विभाग की कमी है।

आज कहा जा रहा है कि टाटा बिड़ला की कितनी सम्पत्ति बढ़ गई है। क्या इस बात को सत्ताधारी 27 वर्षों से नहीं सोच रहे हैं कि कितनी उनकी पूंजी बढ़ गई है मजदूरों की उतनी मजदूरी बढ़ी है या नहीं ? श्रम मन्त्री ने इस आधार पर यह अनुदान रखा है या नहीं ? आज यहां बैठकर यह सोचते हैं। अभी हमारे साथी ओम प्रकाश जी न कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]
था कि हमारी नीति सरकारीकरण की नहीं है बल्कि समीकरण की है। जनसंघ ने कहा है कि "जनसंघ श्रमिक और मालिक के बीच बुनियादी संघर्ष के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। अपने श्रम में रूप में मजदूर भी पूंजी लगाता है। दोनों का समसहयोग उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है। जनसंघ दोनों में साझेदारी की स्वस्थ भावना पैदा करने का हामी है। जनसंघ मजदूरों को उद्योग के लाभ और प्रबन्ध दोनों में भागीदार बनाएगा।"

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मिल मालिक अपनी पूंजी लगाता है और मजदूर श्रम लगाकर अपनी पूंजी लगाता है तो इसको साझेदार बनाया जाय। (सदन में बिजली चले जाने के कारण न ठीक से सुनाई और न दिखाई ही दिया) माननीय गर्ग साहब ने कहा कि आप किस देश की पूंजी मानते हैं तो हम अपने देश की पूंजी मानते हैं और रूस तथा अमेरिका की नहीं मानते हैं। अभी केरल में कम्युनिस्टों ने बिड़ला टाटा से कारखाने लगाने के लिए कहा। लेनिन ने अमेरिका से कहा था कि हमारे यहां पूंजी लगाओ तभी हमारे देश का कल्याण होगा, विकास होगा। गैर-सरकारी और सरकारी उद्योगों में जो अन्तर है उसको मिटना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि आवश्यकता के अनसार मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित होना चाहिए। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए मूल्यांकन के अनुसार उनकी मजदूरी बढ़ाई जाये। देहात से जो काम करने के लिए यहां आते हैं उनको रहने के मकान नहीं मिलते हैं इसलिए उनके लिए रैन बसेरा बनाए जायं। यह जो बजट बनाया गया है पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए है और न इसमें श्रमिकों को प्रोत्साहन है और न मजदूरों को है और न मजदूरों के लिये कोई योजना है। आज इस बात पर विचार करें कि जो मजदूर को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। आपका मजदूर भूखा है आज उसके बदन पर कपड़ा नहीं है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्या आपने उनके रहने के लिये झोपड़ियां बनवायी हैं, नहीं बनवायी हैं। आपने बिड़ला का पैसा लिया है जैपुरिया का पैसा लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर मजदूर नंगा है और भूखा है। आप इस पर विचार करें। इस देश की पूंजी लुट रही है। बहुगुणा की सरकार है जो लूट सको लूट नहीं तो अन्त समय में प्राण जायेंगे टूट। आज देश के शासन को पंगु करके सारा पैसा खा रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर बिजली चली गयी है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मैं कहना चाहता हूं कि आज ये कम्युनिस्ट जो समाजवाद का नारा लगा रहे हैं और समाजवाद के नाम पर देश की जनता को लूट रहे हैं।

एक सदस्य—

बिजली नहीं है सदन 10 मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाये।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

अगर इसी तरह से करते रहे तो देश के अन्दर लाल क्रांति होगी। जिस तरह से गुजरात और बिहार में हुआ वही हालत उत्तर प्रदेश की भी होगी जिसकी सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। आज मजदूरों के पास पैसा नहीं है वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं और यहां तक कि उनका पेट नहीं भर सकते हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे

कह रहा था कि आप इन परिस्थितियों में यह श्रम बजट लाये हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट इस सदन के अन्दर पेश हुआ है मैं उसका जोरदार समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधान सभा के अन्दर, इस सदन के सामने जो यह बजट रखा गया है, ऐसा बजट कभी भी नहीं आया है । यह बजट केवल बजट ही नहीं है बल्कि यह सरकार का बुनियादी तरीका जो है वह मजदूर के लिये बदल चुका है । 25 वर्षों के अन्दर उत्तर प्रदेश का इतिहास इस बात को साबित करता है कि जब भी मजदूरों को कुछ मिला है तो उसमें मजबूरों को लड़ाई लड़की पड़ी थी परन्तु उसके बाद भी उनको कुछ नहीं दिया गया था । लेकिन इस उत्तर प्रदेश के अन्दर माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा की बनी हुई सरकार में मजदूरों ने जो मांग की उनकी मांग बिना किसी लड़ाई, हड़ताल किये हुये ही स्वीकार की गई थी । कानपुर के सूती मिल में जब हड़ताल हुई, तब सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार किया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं अपने उन साथियों को, जो इस बजट का विरोध कर रहे हैं, वे उस जमाने को याद करें जिस जमाने में चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और वह मजदूरों की समस्याओं की जांच करने के लिये गये थे, उस समय मजदूरों के बीच में नंगी नाच नाची गई थी। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, समाजवादी कहने के हकदार हैं ? वह अपने को समाजवादी कहने के कदापि हकदार नही हैं । जो हमारे विरोधी पक्ष के साथी इस बजट का विरोध कर रहे हैं, वे अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें और उस जमाने को सोचें कि जब चौधरी साहब की सरकार शासन में थी । उस जमाने में मजदूरों की क्या दशा थी । उस जमाने में मजदूरों पर बहुत ही अत्याचार किया गया । उनकी मांगों को बुरी तरह से कुचला गया और उन मजदूरों के साथ ज्यादतियां की गईं ।

(शोर) घोर शोर (व्यवधान) ।

श्री गंजी प्रसाद---

हड़ताल किस महीने में की गई थी, उसके बारे में आपका क्या हाथ था ? आप उसको भी जरा सा बता दीजिये । (व्यवधान) शोर ।

एक सदस्य---

आप बजट के सम्बन्ध में बोलें, बजट से बाहर न जायं ।

श्री मोहम्मद शकील अहमद---

हमारे विरोधी पक्ष के एक भाई समाजवाद की दोहाई देते हैं । उन्होंने क्या किया ? उन्होंने तो सीताराम जैपुरिया को अपना नेता चुन लिया । ये तो ऐसा लागता है कि हिटलर के जमाने के चेले हैं । (शोर व्यवधान)---

श्री ओवराय को भी जानता हूं । इस बजट के अन्दर उत्तर प्रदेश में पहली बार जूते बनाने वाले मजदूरों के लिये कारपोरेशन की बात की गयी है । रिक्शे मजदूरों के लिये कार्पोरेशन की बात की गयी है । इस प्रकार इस पूरे बजट को जब देखा जाय तो मालूम होगा कि जिन चीजों को पहले कभी मजदूरों के लिये नहीं किया गया था वे इसमें मौजूद हैं । इसके बाद भी हमारे कुछ साथी इसका विरोध करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विरोध किस लिये करते हैं, उसका कोई तर्क नही देते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, वह बात एक साथी की तहरीर से जाहिर हो गयी, हालांकि वे छुपाना चाहते थे । उनका कहना है कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाहते हैं, बिहार बनाना चाहते हैं । मैं अपने साथियों को और उन दलों के माननीय सदस्यों

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

से कहना चाहता हूं कि वे अपनी हैसियत को पहचानें । आपने अपनी हैसियत को चुनाव में देख लिया है, एक-एक खेत और एक-एक कारखाने में देख लिया है । जो लोग उत्तर प्रदेश को गुजरात या बिहार बनाना चाहते हैं, उनके मुह काले ही नहीं नीले कर के निकाले जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि ये हैसियत पहचनवा रहे हैं । या कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो-जो बातें मजदूरों के लिये इस बजट में रखी गयी हैं, और जिस प्रकार से इस सरकार ने मजदूरों की भलाई के लिये कदम उठाये हैं, वे इससे पहले कभी नहीं हुये । लखनऊ के अन्दर जो फ्लैश लाइट कम्पनी है, उसमें हड़ताल हुयी । इसमें जिन लोगों ने गोली चलाई, फौरन उन लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही हुयी और मैनेजमेंट के लोगों को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया । आज हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जिन लोगों को डाक्टर लोहिया में विश्वास है, उन्हें इसका समर्थन करना चाहिये था लेकिन आज वे चौधरी साहब का समर्थन करने लगे हैं । इसकी मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूं लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार की बेसिक एप्रोच मजदूरों के मामले में बिलकुल बदली हुयी है । इस बजट के पहले कभी भी इतनी चीजों को मजदूरों के लिये नहीं रखा गया है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस के अन्दर मजदूरों की किस्मत का फैसला हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वक्त बड़ी गरमागरम बहस मजदूरों के सिलसिले में सुनी । इससे पेश्तर कि मैं कुछ अर्ज करूं, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

"सुकूं नसीब किसे होगा आशियां के करीब,
लुटेरे बैठे हैं गुलशन के बागवां के करीब ।"

एक सदस्य—

आप किस कम्पनी से लौटकर आये हैं ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां तक मजदूर का सवाल है, मजदूर के सुधार का सवाल है, उसको ऊपर उठाने का सवाल है, आज सरमायेदार और मजदूर के दरमियान इतना बड़ा फासला है कि उसको पाटने के लिये भरपूर मेहनत और तमामतर कोशिशों की जरूरत है । आज तक मजदूरों के साथ जो कुछ नाइंसाफी की गयी है, इस कांग्रेस सरकार ने जो मजालिम किये हैं उसके पिछली तारीख के औराक शाहिद हैं । इससे पहले गर्ग साहब मजदूरों के मुताल्लिक फरमा रहे थे कि आज मजदरों को आगे बढ़ाने का मसला बहुत अहमियत का हामिल है, लकिन मैं बता दूं कि इस कम्युनिस्ट पार्टी का जहां तक ताल्लुक है इसका तार तो मास्को से मिलता है और जब मास्को से तार मिलता है तो उस पर ये काम करते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आपको निक्सन का तार मिला है या नहीं ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

जहां तक आप मजदरों की बात करते हैं, मुझे इनकार नहीं, में मजदरों की खुद भलाई चाहता हूं । आपने अभी-अभी चूंकि सदन के सामने यह चीज रखी थी इसलिये मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने इस वक्त जो बजट पेश किया है उसके सिलसिले में जो मजदूरों के लिये कटमोशन पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं . . (बिजली चली गयी) ।

अध्यक्ष महोदय, आज मजदूरों के साथ जो नाइन्साफी की जा रही है, चाहे वह कारखाने का मजदूर हो, किसी दूकान का मजदूर हो या किसी प्राइवेट आदमी के यहां काम करने वाला मजदूर हो, उसकी नौकरियों का जहां तक सवाल है उसका हमेशा गला काटा गया है और आज भी काटा जा रहा है । हमारी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि इस मजदर का भला किस तरह से होगा । आज हिन्दुस्तान के अन्दर इंदिरा जी ने 1971 मे नारा दिया था कि गरीबी हटाओं, लेकिन उस नारे का अंजाम यह है कि मजदूर और गरीब को ही मिटाया जा रहा है, गरीबी को नहीं हटाया जा रहा है । गरीबी नहीं हटी और मजदूर को मिटाने की बात की जा रही है । अगर हमारी प्रधान मंत्री वाकई हिन्दुस्तान के अन्दर से गरीबी हटाना चाहती हैं तो उनको सोचना चाहिये था कि आज हिन्दुस्तान का मजदूर जिस तरीके से पीसा जा रहा है, उसके साथ क्या नाइंसाफी हुई है ।

(सदन से बिजली पुनः चली गयी) ।

आज तक कोई भी काम उनकी भलाई का नहीं किया गया जिससे वह अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते । जहां तक चौधरी चरण सिंह पर आलोचना करने का ताल्लुक है, जब त्रिपाठी सरकार थी, उससे पहले गुप्ता जी की सरकार रही और आज हमारे बहुगुणा जी की सरकार है, मुझे बतायें कि क्या उनके खिलाफ वह चार्जेज नहीं हैं जो वह चौधरी चरण सिंह साहब पर लगाना चाहते हैं ? चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान और मजदूर की भलाई चाही है ।

(व्यवधान)

जब तक यहां के किसानों और मजदूरों की भलाई नहीं होगी यह देश तरक्की नहीं कर सकता । आप सरमायेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं । इस देश में 80 फीसदी गरीब और मजदूर बसते हैं । क्या आप इतनी बड़ी मेजारिटी के लिये नहीं सोच सकते, उनको तरक्की नहीं दे सकते, वह मजदूर और किसान जो अपना खून और पसीना एक करने के बाद आपको और आपके बच्चों को खाने के लिये देते हैं और शहरों में बसने वालों के लिये अनाज पैदा करते है उनके साथ इन्साफ नहीं किया जाता है, जबर्दस्ती उनसे गल्ला लिया जाता है । आज जिसके पास गल्ला भी नहीं है उसके घर पर आप छापा मार रहे हैं ।

आज वह गरीब और किसान हर एतबार से तबाह और बरबाद हो चुका है । बेरोजगारी और गरीबी का यह आलम है कि आज मजदूर रात को भूखा सोता है, फुटपाथ पर लेटता है, उसके पास रहने के लिये मकान नहीं हैं जबकि आप एयरकंडीशन्ड बिल्डिगों में रहते हैं। आपने कभी यह सोचा कि वह किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करता है ? आपने कभी यह सोचा कि उसके घर में दिया जलता है या नही, उसके घर में धुआं उठता या नहीं । जबतक आप गरीब, मजदूर, किसान और बेसहारा लोगों की तरक्की के लिये कोई रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे तबतक यह देश तरक्की नहीं कर सकता । जहां तक चौधरी चरण सिंह का ताल्लुक है, किसी पर कोई चार्ज लगा देना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं भी दूसरों पर चार्जेज लगा सकता हूं लकिन म इस बात को मुनासिब नहीं समझता हूं । उनके जमान म क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह से काम कर रहा था ।

(घोर व्यवधान)

आप तो टाटा और बिड़ला जैसे लोगों के चमचे हैं. . . (शोर) . . .

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

आप तो कभी इधर तो कभी उधर पंहुच जाते हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

सन् 47 से आज तक आप लोग पावर में रहे, आप बताइये कि आपने क्या किया ?

एक सदस्य—

जोर-जोर से बोलिये, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं क्या करूं, मैं तो जोर से बोल रहा हूं, पर इस सदन की बत्ती ही गायब है, बिजली मंत्री जी से कहिये वे इस्तीफा दें । तो मैं यह कह रहा था कि हुकूमत आपके हाथ में है, अब तक आपने क्या किया ? आप इस किस्म की हरकतें करते रहे जिससे कि आपकी कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरह से सत्ता में बनी रहे । आपने अपने दौरे हुकूमत में इस तरह के काम किये हैं जिनसे मजदूरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब यह सरकार बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । वह वक्त दूर नहीं है जब आप इधर आकर बैठेंगे और हम उधर जाकर बैठेंगे । हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क का भला चाहते हैं, मजदूरों का भला चाहते हैं, मगर आपने मजदूरों का गला काटा है, मुल्क को बरबाद किया । इस हाउस में बैठकर आपने बइन्साफी की है । (शोर)...आप लोग शोर न मचाइये । मैं क्या करूं, हाउस में बिजली ही नहीं है । इसके लिये तो आपकी बहुगुणा जी की सरकार ही जिम्मेदार है । इस सरकार के जमाने में अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है । आज हमको रोशनी की जरूरत है हम तो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर आ जायं और उस रास्ते पर गामजन हो जाय जो इन्सानियत के लिये एक रास्ता बेहतरी का है, जो सब इंसानों की भलाई चाहता है । अभी हमारे बी0 के0 डी0 के साथियों ने जो कुछ कहा जो सुझाव रखे मझे उनसे कोई एतराज नहीं है । मैं कोई अन-पालयामेंट्री बात आपके सामने नहीं करना चाहता हूं ।

(निरन्तर शोर होता रहा)

बहरहाल यह ऐसी जगह है जहां पर इन्सायिनयत के साथ गुपतगू करना मैं अपना फर्ज समझता हूं । (शोर) कटौती के प्रस्ताव के सिलसिले में अपने भाइयों का समर्थन करता हूं ।

(शोर)

श्री राम आधार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह बिजली की कटौती क्यों हुयी है, बिजली मंत्री इस पर बयान दें । बिजली क्यों नहीं आ रही है । सदन नहीं चल रहा है, आवाज नही सुनयी दे रही है । इस पर सरकार बयान दे । यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, आप सदन को स्थगित कर दीजिये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस दयनीय स्थिति में आप लोगो को शोर गुल करना शोभा नही दे रहा है । आप बैठें ।

श्री राम आधार—

बिजली मंत्री, श्रीमन् इस पर वक्तव्य दें ।

*श्री संत सिंह युसुफ---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ के साथियों का जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव पर बोला है, जो प्वाइन्ट मैंने उठाये थे करीब-करीब उन्हीं का समर्थन किया है । उनका मैं बहुत अभारी हूं । दो एक बातें छूट गयीं थीं उनके बारे में कहूंगा ।

एक बात जो छूट गयी वह यह है कि कई जगह जसे मिर्जापुर, कानपुर की तरफ कहा गया था । मिर्जापुर में दोनों सीमेंट की फैक्टरियों में यह सवाल उठा है कि जो टेक्निकल आदमी है वह तो बाहर के हो सकते हैं पर जो लेबर है वह वहीं के होने चाहिये । और यही सवाल हरिद्वार में भी उठा। मिर्जापुर की दोनों सीमेंट फैक्टरियों में आदिवासी लोगों को कार्य करने का मौका मिलना चाहिये ऐसी मेरी राय है ।

दूसरी चीज एसेन्शियल कमोडिटीज के बारे में है---कंट्रोल के बारे में है जिन पर सरकार का नियंत्रण है । प्रोडक्शन के ऊपर सरकार का नियंत्रण है । एसेन्शियल कमोडिटीज के जो कारखाने हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है उनमें सप्लाई करने का इन्तजाम सरकार यदि ठीक कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

लेबर मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे लेबर के मुकदमों के बारे में कुछ हस्तक्षेप करें जिससे कि जो केसेज कोर्ट में या अन्य स्तर पर जो पड़े रहते हैं उन पर शीघ्र कार्यवाही होसके। मेरे एक परिचित साहब हैं जो स्वदेशी काटन मिल में काम करते थे। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वह साहब मुख्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं कि शीघ्र कुछ सेटिलमेंट करा दें। इस प्रकार लेबर केसेज काफी दिनों तक कोर्ट में पड़े रहते हैं और इससे मजदूरों को लास होता है ।

दो बातें मैं माननीय मंत्री जी से दो मिलों के बारे में कहना चाहता हूं । एक तो यह कि लक्ष्मी रतन काटन मिल जिसको कि दो-तीन बार टेक ओवर करने की बात की गई। लेकिन सरकार के अन्दर मिनिस्टर की मदद से वह रुक गया । जिस समय श्रीमती सुचेता कृपलानी जी मुख्य मंत्री भी उस समय एक कमेटी बिठाई गई और उसने यह तय किया कि मिल को टेक ओवर कर दिया जाना चाहिये । परन्तु बनारसी दास जी की मदद से फिर उसका टेक ओवर होना रुकवा दिया गया । उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उनका सिद्धान्त था कि हम पैसा नहीं लगायेंगे । यदि केन्द्र सरकार पैसा लगाये तो हम टेक ओवर कर सकते हैं । इसलिये उनके समय में भी मिल का टेक ओवर होना रुक गया । तीसरी बार भी पं० कमलापति त्रिपाठी के राज्य में टेक ओवर करने पर श्री रामायनरायण जी ने अड़ंगा लगा दिया । अब मिल की हालत खराब है । सामान नहीं मिल रहा है । वर्कर बेकार हो रहे हैं । मजदूरों का पैसा जी० पी० फन्ड में नहीं जमा हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मिल पर ध्यान दें ।

दूसरी मिल अथरटन वेस्ट मिल है । उसमें भी कुछ एग्रीमेन्ट सरकार से हुये । उससमय सिन्डीकेट की सरकार थी । मिल के प्रबन्धकों से मिलकर कुछ एग्रीमेन्ट किये गये । लेबर के साथ मिलकर लेबर लाज बनाये गये और कहा गया कि जी० पी० फन्ड जमा करेंगे परन्तु प्रबन्धकों ने उसके मुताबिक कार्य नहीं किया । यदि किसी मजदूर को काफी चोट लग गई या उसके ऊपर छत गिर गई तो उसको ग्रेचुएटी का पैसा मिलना चाहिये परन्तु वह नहीं मिलता है । जी० पी० फन्ड का पैसा नहीं जमा होता है । मजदूरों का पैसा न जमा होने से उनको ब्याज की हानि होती है । इन चीजों के लिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इन पर ध्यान दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

मेरे एक जनसंघ के भाई ने कुछ बातें कही थीं उसके संबंध में मेरी राय है कि वह शायद अभी नये जनसंघ में आये हैं---ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। वे भूल गये कि जब कुछ बढ़े कदम---प्रोग्रेसिव कदम जब कांग्रेस ने उठाये थे तो उसका भी जनसंघ ने विरोध किया था जैसे नं० एक--बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। कौन गया था सुप्रीमकोर्ट में--हमारे जनसंघ के भाई गये थे।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

राष्ट्रीयकरण ही केवल प्रगति का रास्ता नहीं है। ऐसे सभी राष्ट्रीयकरण जो राजनैतिक आधार पर किये जायेंगे जनसंघ विरोधी है।

श्री संतसिंह युसूफ---

सुप्रीमकोर्ट में जाने का ज्यादा रुपया देना पड़ा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। प्रीवी-पर्सेज में भी अपील की। जितनी प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं उनका विरोध किया है। इसी प्रकार हमारे समाजवादी बन्धु किसी जमाने में हमारे दोस्त थे। अब उनकी हालत पर रहम आता है .....

श्री राम सेवक यादव---

अब आप इन्हीं से दोस्ती कीजिये....

श्री संतसिंह युसूफ---

श्री राम सेवक यादव जो खड़े होकर बहुत चिल्लाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका जनसंघ से किस बात पर एग्रीमेंट हुआ है सिवाय इसके कि राजनारायण जी को राज्य सभा में भेजना था। हमारे चौधरी चरण ने सोशलिज्म का विरोध किया था, उन्होंने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, उन्होंने सवा छः एकड़ का विरोध किया, उन्होंने ट्रेड यूनियन का विरोध किया, थोड़ी सी तनख्वाह क्या बढ़ाई, उसका उन्होंने विरोध किया, स्टूडेन्ट यूनियन का विरोध किया, कौन सी बात का समर्थन किया.....

एक सदस्य---

कटौती पर बोल रहे हैं या किसी और पर....

श्री संतसिंह युसूफ---

हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। जहां तक हमारा और कांग्रेस का सम्बन्ध है हमारी बहुत सी बातों में एकता है और बहुत सी बातों पर मतभेद। यह लोग किसानों के आन्दोलन में हमसे ज्यादा लड़े हैं, हड़ताल के सम्बन्ध में हमसे ज्यादा जेल गये हैं, इससे ज्यादा लाठी खाई है। बकवास नहीं करते हैं मैदान में आकर लड़ते हैं। आप भी समाजवादी की नीति लाइये और आइये मैदान में.....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

आप कांग्रेस की मदद से जीत कर आये हैं, वरना आपकी हैसियत ही क्या थी...

(व्यवधान--शोर)

एक सदस्य---

कांग्रेस के भोंपू, कांग्रेस के चमचो....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अपने भाषण में अपने चमचों को भी धन्यवाद दे दीजिये ।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस मौजूदा सरकार के आने के बाद औद्योगिक शांति उत्तर प्रदेश में जिस हद तक रही है इसके पहले कभी नहीं रही। यह भी मैंने अपनी समीक्षा में बतला दिया था कि मैन डेज लास और सालों के मुकाबले में बहुत कम रहा। हमने 29311 आवास की व्यवस्था की और बहुत से अलाटमेंट रेगुलराइज भी कर दिये। यह सही है कि कुछ ऐसे क्वार्टर्स हैं जिनमें लोग सात-आठ वर्ष पहले घुस आये और उनको निकालने की कोशिश की। लेकिन बाद में विरोधी दल के माननीय सदस्यों के दबाव के कारण या उनके कहने पर कि जो घुस चुके हैं उनको न निकाला जाय हमने यह नीति बरती कि पांच हजार या कुछ रुपया वे दें तो उनको रेगुलराइज कर देंगे। हमने इस तरह से श्रमिकों को, छोटे-छोटे अध्यापकों को या सरकारी सेवा में कम वेतन पाने वालों को भी रेगुलाराइज किया ।

ई0 एस0 आई0 की स्कीम कानपुर जैसे शहर में चलाई। एक अस्पताल की योजना वहां बनाई जिसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण पूरा होने को है और आशा है जल्दी ही वहां काम शुरू हो जायगा। लखनऊ में भी ई0 एस0 आई0 अस्पताल की नींव डालने वाले हैं। जमीन के एक्वीजीशन की बात थी। उसमें थोड़ी सी कानूनी दिक्कत है जो दूर हो जायगी। जहां तक लेबर कोर्ट्स की बात है तो जो पहले से थे उनके अलावा नये न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं और मेरठ में भी जहां के लिये लेबर कोर्ट की मांग की गयी है उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ समस्या यह है कि आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हम करना भी चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। इसके लिये मैंने माननीय सदस्यों से क्षमा मांगी और भविष्य में उनके सहयोग से कुछ करने के लिये सोचा और कहा भी ।

जितने लोकल प्रतिष्ठान है उनमें बाहर के तीन लोग आकर काम करते हैं और वहां लोकल लोगों को जगह नहीं मिलती तो इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह श्रेय इस सरकार को है कि 500 रुपये तक वेतन पाने वाले जो भी सरकारी या अर्द्ध सरकारी चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के सरकार के हैं वहां लोकल लोग रक्खे जायेंगे। हमने यह भी कोशिश की है कि जहां पर बड़े-बड़े प्रतिष्ठान या बड़ी-बड़ी अन्डरटेकिंग खोली जायं वहां पहले से ही लोगों को ट्रेनिंग दें और फिर उन्हीं लोगों को वहां काम दें ताकि उस इलाके की तरक्की हो सके ।

दो तीन बातें नीति के बारे में कही गयीं। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति हमेशा श्रमिकों के पक्ष में रही है और इस सरकार ने जो दिया है वह पहले कभी उनको नहीं मिला। यही कारण है कि यहां औद्योगिक शांति रही। बावजूद महंगाई और बिजली

[श्री राज मंगल पांडेय]

के कटौती के मजदूर खुश हैं। लाक आउटस, स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक की तादाद इतनी कम हो गयी है कि यह सरकार अवश्य यश और प्रतिष्ठा की भागी है चाहे विरोध पक्ष के लोग मानें या न मानें। वैसे तो सभी ने माना इस बजट में सभी सुविधाओं को देने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों ने हरियाणा के बीमे के बारे में कहा। कुछ ने नीति के बारे में कहा। कुछ लोगों ने कहा कि श्रमिकों को प्रतिष्ठानों में भागीदार बनाना चाहिये या नहीं। बात सही है? लेकिन जितने प्रतिष्ठान हैं, उनकी अलग-अलग कैपेसिटी हैं। उनके श्रमिकों की अलग-अलग स्ट्रेन्थ हैं। अलग-अलग एरियाज हैं। जहां पर लोकल सामान मिल जाता है, वहां तो ठीक है, जहां पर सामान नहीं मिलता वहां पर बाहर से लाना पड़ता है। अगर आपका सुझाव मान लें और वह कारगर न हो और फिर हम उसको बदल भी न सकें, तो एक विषम स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये यह फिलहाल व्यवहारिक नहीं है। एक बात यह कही गयी है कि श्रमिकों को मैनेजमेंट में स्थान मिलना चाहिये। मेरा ख्याल है कि अगर एक यूनियन हों तो यह सम्भव हो सकता है। लेकिन एक-एक प्रतिष्ठान में चार-चार पांच यूनियन हैं। यही नहीं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि नये मिल-मालिक के एजेन्ट हैं। एक यूनियन दूसरी की खिलाफत करती है। इस तरह के उनके रोजमर्रा के झगड़े हैं।

मान्यवर, जब तक हर प्रतिष्ठान में एक यूनियन नहीं होगी, तब तक कोई भी इस तरह की चीज अगर सरकार करना भी चाहेगी, तो वह सम्भव नहीं हो सकता। जब तक उनमें यह कन्सेंस न हो जाय, जब तक वह तय न कर लें कि एक यूनियन होनी चाहिये, तब तक यह अव्यवहारिक होगा। एक बात रजिस्ट्रेशन के बारे में कही गयी कि सीक्रेट बैलेट से करना चाहिये। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक ही श्रमिक का नाम 5 यूनियन में अलग-अलग है। पांच जगह उसका नाम है। कैसे वोटिंग करेंगे। हाथ उठाने में तो समझ लेते हैं।

श्री संतसिंह युसूफ—

इसको सीक्रेट बैलेट से कर दें?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने बता तो दिया कि एक आदमी कई यूनियन में है, उसके पांच जगह नाम हैं। कितना कम्बरसम प्रोसीजर है यह।

माननीय युसूफ साहब ने लक्ष्मीरतन काटन मिल और आथर्टन वेस्ट मिल के बारे में बात कही। मोतीलाल देहलवी उधर बैठे हैं। लक्ष्मीरतन काटन मिल के बारे में वह कई बार मुझ से चर्चा भी कर चुके हैं और प्रशंसा कर चुके हैं कि मैंने बोनस और फण्ड के पैसे के दबाये जाने के मामले को लेकर हथकड़ी लगाने का आदेश कर दिया था लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री चरण सिंह ने उसे रोक दिया था।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मेरा नाम आ गया है, इसलिये मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी जब राज्य मंत्री थे तो हमने मंत्री जी से निवेदन किया था और लिखकर भी दिया था कि लक्ष्मीरतन काटन मिल के मालिक वहां के मजदूरों के प्रावीडेंट फण्ड और बीमे का लाखों रुपया गबन किये हुये हैं। अगर कोई गरीब आदमी, कोई छोटा-सा बाबू 10 रुपया भी गबन कर जाता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। हमने माननीय मंत्री जी से कहा है कि देखिये वह ऐसे मिल मालिक जो अच्छे-अच्छे नेताओं को खरीद लेते हैं। माहवारी बंधा हुआ है। कानपुर के मजदूर के नेताओं को खरीदे हुये हैं। हर माह उनको रुपये देते हैं। मैंने कहा था मंत्री जी से कि अगर वह कुछ दिखाना चाहते हैं कुछ तो इस मिल मालिक को जेल भेजिये। (व्यवधान) मंत्री जी ने बुद्धता के साथ

आश्वासन दिया कि वह इस मिल मालिक को जेल भेज कर रहेंगे। लेबर कमिश्नर को बुलाया गया और कहा कि इसको जेल भेजना चाहिये। लेकिन जब जेल भेजने की नौबत आई तो मंत्री जी ने कहा क्या करूं मुख्य मंत्री चरण सिंह जी है, वह सहयोग नहीं दे रहे हैं, लिहाजा मजबूर हूं। (व्यवधान) लेकिन आज प्रदेश के मुख्य मंत्री जी बहुगुणा जी है, उनके दल के ही मुख्य मंत्री है और अब उनको मुख्य मंत्री का सहयोग प्राप्त है। मुझे खुशी होगी कि लक्ष्मी रतन काटन मिल के प्रोपराइटर को अब वह जेल भेज दें।

श्री राज मंगल पांडेय—

मुझे बड़ी खुशी है माननीय सदस्य ने इस बात को तसलीम किया कि हम जिसको जेल भेजना चाहते थे आज वह जिधर बैठे हैं उस समय के नेता उनको जेल नहीं भेजना चाहते थे। हमारी जो नीति है वह बदली नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इस सम्बन्ध में जो फाइल्स होंगी उनको दिखा दूंगा। उनसे पता चल जायगा कि सरकार का रुख श्रमिकों के माफिक है और पूंजीपतियों के खिलाफ है। हमने बहुत से होर्डर्स व ब्लैक मार्कटियर्स को जेल भेजा लेकिन उधर से उनकी जमानत के लिये न जाने कितनी कोशिश की गयी। यह सभी को मालूम है (शोरगुल)

एक सदस्य—

नाम बतलाइये किसने कोशिश की। आप झूठ बोल रहे हैं।

(शोरगुल के मध्य)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

चूंकि माननीय मंत्री ने श्रमिकों से संबंधित बुनियादी बातों पर कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिये मैं तथा मेरा दल वाक आउट करता है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,31,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मलिखान सिंह की है और उन्होंने जालौन कौंच में जलपूर्ति के संकट के बारे में कहा है। इस पर वे अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा श्री सत्य प्रकाश जी का है कि बरेली जिले में पुलिस कि ढिलाई एवं अकर्मण्यता से अशांति एवं अव्यव्यस्था उत्पन्न हो गई है। इस पर वे कल पुलिस विभाग के बजट में अपने बिचार व्यक्त कर सकते ह।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

वहां पर 48 घंटे में 6 हत्यायें और 20 डकैतियां हुई हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कर लें। एक श्री सत्य प्रकाश मालवीय का है। उन्होंने कहा है कि ऐशबाग, लखनऊ में बटाला इंजीनियरिंग वर्क्स में फ्लाई-व्हील का चक्का टूट जाने से मजदूरों की मृत्यु की जांच होनी चाहिये। तो यह विषय अल्प सूचित प्रश्न के लिये स्वीकार हो गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मालूम हुआ है कि वहां के मजदूर श्रम मंत्री से मिले थे। वहां काफी लोग घायल हो गये और कुछ लोग मर भी गये हैं। यह स्थानीय मामला है तथा कुछ मुआवजा देने का प्रश्न भी इसमें है। मंत्री जी इस विषय में वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को आप कल उठा सकते हैं। अभी तो अस्वीकार है।

(व्यवस्था के प्रश्न को लेकर कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)—

मान्यवर, नियम 51 इसीलिये होता है कि लोक महत्व की जितनी सूचनायें हों वे उसमें आ जायं और उस पर मंत्री जी का वक्तव्य हो जाया करे। कल भी आपने स्वीकार कोई नहीं किया और आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बजट में ये बातें बोल सकते हैं।

श्री रणधीर सिंह—

वहां पर लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है। पुलिस इन सत्याग्रहियों को जेल में नहीं भेज पाती है

श्री अध्यक्ष—

कल आप इस पर बोल सकते हैं.....

(व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह—

बजट तो अपनी जगह पर होता है। उस पर तो अलग से विचार होता है (व्यवधान) मैंने दो-दो चिट्ठियां मंत्री जी को लिखीं।

श्री अध्यक्ष—

इसे भी उसमें कह सकते हैं।

(अव्यवस्था—घोर व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष, आप पहले सदन में कुछ व्यवस्था तो कायम करायें फिर यह सदन चले। यह क्या कि कई-कई लोग बोल रहे हैं, और मंत्री जी वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

रणधीर सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, उसके बारे में सत्याग्रहियों के साथ हुई कथित ज्यादती के संबंध में उन्हें कल अपने विचार व्यक्त करने का अवसर है या वह अल्पसूचित प्रश्न भी इस पर कर सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

बजट में सबको बोलने का मौका कहां आप देते हैं.....

श्री अध्यक्ष---

यह आप अपने दल के नेता से कहें। यह आपके दल का आन्तरिक मामला है। उन से आप आज्ञा प्राप्त कर लीजिये मौका मिल जायगा। (व्यवधान) कल जब इस पर बोलने का अवसर है तो इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

कानपुर जिले में भोगनीपुर क्षेत्र में शोषित समाज द्वारा एक सत्याग्रह चलाया जा रहा है, और वहां के हजारों किसान इस आन्दोलन में हिस्सा ले रहे हैं। 600 से अधिक आदमी जेल में चले गये है, वहां पर जो लोग जेल चले गये हैं . . .

श्री अध्यक्ष---

श्री रणधीर सिंह ने इस पर कहा है। मैंने देखा है सत्याग्रह का मामला कोई वक्तव्य का विषय नहीं है और आप भी सहमत होंगे कि इसमें सरकार न पड़े। अब किसी के साथ ज्यादती हुई है तो पुलिस के बजट के अवसर पर कल अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

आप भी तो श्रीमन्, जेल गये हैं, आप इस पर गौर करें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, मैं गया लेकिन मैंने कभी इस प्रकार की बातों की अपेक्षा नहीं की। इसके लिये कभी नहीं कहा। सत्याग्रह तो अपनी आत्मशक्ति की जागृत करके समाज के परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। उसके बारे में आपको मुझे कहने की बहुत जरूरत नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी---

मैं सत्याग्रह के बारे में नहीं, जिस तरह से जेल में रखना चाहिये उसके बारे में जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष---

मोती लाल देहलवी जी अपना गला काट रहे हैं और विरोधी दलों का गला काट रहे हैं, यह कह कर कि सत्याग्रह को वक्तव्य का मुद्दा बनाया जाय और उस पर बहस हो . . . (व्यवधान)

ग्राम कासिमपुर झरहा, थाना नवाबगंज, इलाहाबाद में हुई डकैती की घटना में सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों के शामिल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महरानीदीन निवासी कासिमपुर झरहा जिला इलाहाबाद ने दिनांक 20-6-74 को थाना नवाबगंज पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक

[श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)]

19/20–6–74 की रात में कुछ बदमाशों ने उनके गांव के पांच लोगों के घरों को लूटा और मारपीट की तथा गोली चलाई । बदमाशों के वापस होते समय गांव के लोगों ने उनका पीछा किया और मारपीट कर दो बदमाशों को पकड़ लिया । पकड़े गये बदमाशों में से एक खाकी वर्दी पहने था तथा बंदूक लिये था । उसकी बन्दूक व कारतूस भी छीन ली गई । भागे हुए बदमाशों में भी एक खाकी वर्दी में था जिसे चोटें आई थी और वह बंदूक डालकर भाग गया । पकड़े गये दोनों बदमाश गांव में हैं । उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर धारा 395/397 भारतीय दंड विधान का एक मुकदमा कायम किया गया । क्षेत्रीय-धिकारी तुरन्त घटनास्थल पर गये । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (नगर) भी घटनास्थल पर गये और निरीक्षण किया ।

2—गांव वालों द्वारा पकड़े गये दोनों अभियुक्तों को जिनमें एक सशस्त्र पुलिस का सिपाही था, गिरफ्तार कर लिया गया । विवेचना से तीन अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये । उनमें भी एक सशस्त्र पुलिस का सिपाही था । वह सिपाही तथा एक अन्य अपराधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये हैं । घटना में शामिल दोनों पुलिस सिपाहियों को निलम्बित कर दिया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। विवेचना जारी है।

3—असामाजिक तत्वों, गंडों डकैतों तथा राहजनी करने वालों के विरुद्ध इलाहाबाद के नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी तथा कठोरता से कार्यवाही की जा रही है । असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अब भी अभियान जारी है । अपराध की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा रहा है ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

वैसे तो मैं समझता हूं कि सदन के वर्तमान वातावरण में मंत्री जी को वक्तव्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो पढ़ा वह हमें और किसी को भी सुनाई नहीं पड़ा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दो सिपाही पकड़े गये हैं डकैती डालते हुए, जिन्हें वहां के ग्रामीणों ने पकड़ा है, वे किस थाने के सिपाही हैं ? या जिस थाने में डकैती पड़ी है ये सिपाही वहीं के हैं ? दूसरे, क्या इस थाने की अपराध स्थिति और उस थाने में सिपाहियों में वहां के दरोगा और वहां के इंचार्ज निरन्तर बदलते रहे हैं, आपस में पार्टीबन्दी और दलबन्दी थी इस आशय को लेकर इस सदन के एक माननीय सदस्य ने स्वयं मुख्य मंत्री को लिखा, गृह मंत्री को लिखा, वहां पर दलबन्दी है और कोई दरोगा डकैती डलवाता है, सिपाहियों को भी इस्तेमाल करता है, इस तरह कोई आवेदन पत्र माननीय मुख्य मंत्री को मिला और मिला तो क्या कार्यवाही हुई और जो जो सिपाही पकड़े गये हैं वह किस थाने के हैं और उस समय के हैं, जिस दरोगा के खिलाफ शिकायत हुयी थी एक माननीय सदस्य द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, ये सिपाही पी0ए0सी0. इलाहाबाद के थे जिनको 15 दिन पहले उस थाने पर भेजा गया था ।

श्री राम सेवक यादव—

पूरा जवाब नहीं आया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । अगर इस सदन से कोई सदस्य जाना चाहे तो कोई सदस्य उससे आग्रह करके रोक सकता है? उधर एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्यों को जाने से रोक रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपको कोई रोके तो आप शिकायत करें ।

एक सदस्य—

कल बहुगुणा जी की दाल बहुत पतली हो गयी इसलिये बला कर लाये हैं ।

श्री राम सेवक यादव—

क्या कोई इस आशय का प्रार्थनापत्र भारत सरकार के गृह मंत्री को और माननीय मुख्य मंत्री को मिला कि उस थाने के एक दरोगा किसी डकैती में हिस्सा रखते हैं, बदमाशों से दोस्ती रखते हैं, और उस थाने में दलबन्दी चलती है इसी कारण चलती है कि यह सब चीजें होती हैं और जो दो सिपाही पकड़े गये हैं वे उसी थाने में रहते थे या किस थाने में रहते थे, उनकी ड्यूटी कहां लगती थी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं पहले कह चुका ये पी0ए0सी0, इलाहाबाद के कांस्टेबिल शांति व्यवस्था के लिये भेजे गये थे । इस किस्म की शिकायत नहीं आयी कि कोई थानेदार इस किस्म की हरकत कर रहा है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या उस थाने में अपराध की स्थिति चूंकि काबू से बाहर हो रही थी कि इसलिये वहां विशेष पुलिस दस्ता भेजा गया और उस अपराध स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो आर्म्ड फोर्स भेजा गया, जो दो सिपाही पकड़े गये, उसी आर्म्ड फोर्स के थे ? दूसरा प्रश्न यह है कि उस घटना का निरीक्षण वहां के एस0एस0पी0 ने कब किया और कितने लोग डकैती में घायल हुए ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह गलत है कि अपराध स्थिति ऐसी थी जो नियंत्रण के बाहर थी इसलिये आर्म्ड फोर्स भेजा गया । बल्कि शांति व्यवस्था के लिये एक हेड कांस्टेबिल और तीन कांस्टेबिल भेजे थे । दूसरे एस0एस0पी0 के बारे में खासतौर से जानकारी नहीं है, दूसरे जिन जो अधिकारी थे वह घटनास्थल पर पहुंच गये थे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बन्दूक बरामद हुई है वह किसकी है । दूसरे, चूंकि इस घटना का संबंध में पुलिस से है क्या मंत्री जी न्यायिक जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मान रहे हैं कि उनकी हैं । यह पुलिस के सिपाही हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बंदूक किसकी थी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, ये पी0ए0सी0 के सिपाही थे । उनके साथ बन्दूकें थी ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह बता दें कि कितने घरों में डकैती पड़ी और कितने आदमी घायल हुए ?

श्री राजमंगल पांडेय—

पांच घरों में डकैती पड़ी और 9 आदमी घायल हुए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस के सिपाही डकैती डाल रहे थे तो इनके पास असलाह कहां से आये ? क्या इसकी जी0डी0 में इंदराज था ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं माननीय नेगी जी का बहुत आदर करता हूं । ये पी0ए0सी0 के कांस्टेबिल थे और बन्दूक उनके साथ होती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे सूचना है कि अनेक जगहों पर पुलिस के सिपाहियों ने डकती डाली तो क्या मंत्री जी को सूचना है कि ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें पुलिस वालों ने डकैती डाली हो ?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां कौन-सी अशांति थी जिसकी वजह से ये भेजे गये और कितने दिनों से वहां थे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि शांति व्यवस्था वहां ऐसी कोई खराब नहीं थी बल्कि यह तो प्रीकाशनरी मेजर था । जहां टेंशन देखते ह वहां इन्तजाम करते हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

टेंशन किस जगह पर था ?

श्री राजमंगल पांडेय—

वहां कोई टेंशन नहीं था । लेकिन जब अधिकारियों को मालूम होता है कि कहीं ऐसी बात होती है तो पी0ए0सी0 भेजी जाती है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मंत्री जी मेरे सवाल को सूचना मानकर पता लगायेंगे कि वहां कोई अशांति नहीं थी और ये लोग खास तौर से गांव वालों को ही लूटने के लिये भेजे गये थे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मेरा ख्याल है कि यह सरकार कल्पना नहीं कर सकती है कि हम अपनी पुलिस को डकैती डालने के लिये भेजें। अगर माननीय सदस्य कह रहे ह तो वह अपनी इमज को प्रोजक्ट कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

पहला सवाल यह था कि वहां का दरोगा बदनाम था कि वह डकैती डलवाता था। उसके खिलाफ किसी माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री को एक एप्लीकेशन भी भेजी थी। इसका जवाब आया कि कोई एप्लीकेशन नहीं मिली। आपने कहा कि वहां अशांति थी इसके लिये ये सिपाही भेजे गये। हर थाने में नहीं भेजे जाते हैं। अशांति किसी गांव में नहीं थी। यदि अशांति नहीं थी तो क्या यह कांस्टेबिल इस दरोगा से जुड़े हुए हैं जिसने इनको भेजकर गांव वालों को लुटवाया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मेरी जानकारी में कोई ऐसा अभियोग इस दरोगा के खिलाफ नहीं था। थाने का एरिया करीब 200 गांवों का होता है। हम किसी गांव में सिपाही नहीं भेजते बल्कि थाने पर भेजते हैं। इसलिये भेजते हैं कि किसी खास गांव में कोई चीज है तो थानाध्यक्ष जहां मुनासिब समझें ड्यूटी लगा दें.....।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये दोनों सिपाही जो पकड़े गये हैं इनकी थाने से रवानगी किस समय हुई थी और क्या क्या काम करने के लिये हुई थी और जिन गांवों में डकैती डाली है उनकी गश्त में शामिल थे अथवा नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह चीज नहीं है कि कब भेजे गये थे लेकिन यह जरूर है कि एक हेड कानिस्टेबिल और कानिस्टेबिल थे। हेड कानिस्टेबिल छुट्टी पर था और एक बीमार पड़ गया था और 2 आर्म्ड के थे और 2 सिविल के थे। सिविल के सिपाही नहीं गये लेकिन आर्म्ड के 2 सिपाहियों ने डकैती डाली।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 3 महीनों में वहां से कितने थानाध्यक्षों को बदला गया और क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग सवाल है।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

पुलिस के सिपाही डकैती डालें यह स्थिति बहुत ही गंभीर है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि आइंदा ऐसी घटनायें न हों।

श्री राजमंगल पांडेय--

कार्यवाही यह हुई कि दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अगली कार्यवाही हो रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मेरी जानकारी है कि पिछले महीनों में 12 डकैतियां पड़ी और 50 घर लूटे गये। पुलिस के सशस्त्र सिपाही गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में इस मामले को अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपने की व्यवस्था करेंगे।

श्री राज मंगल पांडेय---

सी० आई० डी० से जांच कराने का एक प्रयोजन होता है इसमें तो सी० आई० डी० से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें मुलजिमान तो पकड़ लिये गये हैं । इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

मान्यवर, कल और आज भी एक नियम 51 के अन्तर्गत नोटिस मैंने दिया है । आप बतायें कि क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 नहीं है । अब आगे गये ।

श्री सत्यपाल मलिक---

मैं इस तरह से नहीं मान सकता ।

श्री अध्यक्ष---

जब आवे तो उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

(डाक्टर राजेंद्र कुमारी के पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, मैंने कल इस नियम 51 की सूचना दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यसूची पर है वही लिया जायगा ।

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं.... ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपकी भी इज्जत करता हूं । मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, मैं नहीं बैठने वाला हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें या न बैठें मैं आपके नेता से आग्रह करूंगा कि यह समय आपका नहीं है, नियम 51 के समय यह आपको कहना चाहिये था ।

(श्री सत्यपाल मलिक तथा अन्य कई सदस्य खड़े हो गये) (व्यवधान)

एक सदस्य---

यह हाउस नहीं चल सकता, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अगर आप इस तरह व्यवधान डालेंगे तो मैं इजाजत आपको बोलने के लिये नहीं दूंगा ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974†

खाद्य तथा रसद मंत्री (डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा संशोधन है जिसको मैं समझती हूं कि माननीय सदन के सदस्य इसके कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे। अभी तक ऐसा था इस नियम के अन्तर्गत कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खण्ड (ड०) के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को नियत प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के लिये सशक्त था। उस प्राविधान के अधीन कार्यपालिका मैजिस्ट्रेटों को नियत प्राधिकारी नियुक्त किया गया था। 1 अप्रैल, 1974 से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रारम्भ होने पर, कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट नहीं रहे हैं एतएव उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड०) के उपबन्धों में संशोधन किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी की शक्तियां किसी ऐसे अधिकारी को प्रदत्त की जा सकें जिसे मुंसिफ या प्रथमश्रेणी के मैजिस्ट्रेट या कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। उनको हम इसके अन्दर शामिल करते हैं और यह इसलिये बहुत आवश्यक होगया है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई है कि केवल मुंसिफ था जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि इसके लिये वह तुरन्त ही ऐसे व्यक्तियों को, नियुक्त कर सकें तो कार्य की सहूलियत के लिए और कार्य को आगे चलाने के लिए इस संशोधन को लाया जा रहा है। अब कार्यपालिका के जो मजिस्ट्रेट्स हैं यद्यपि उनके पास फर्स्ट क्लास की पावर्स नहीं है तो भी इसके लिए उपयुक्त समझा जायेगा और उन्हें अधिकृत किया जायगा। अभी तक जिलाधिकारी अधिकृत करते थे। अगर श्रीमन् यह संशोधन नहीं किया जाता है तो इसमें दिक्कत पड़ रही है। इसीलिए इसे सदन के समक्ष लाया गया है। यह एक छोटा-सा संशोधन है, और मुझे आशा है कि इसको स्वीकार करने की यह सदन कृपा करेगा।

***श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर दे दे।

मान्यवर, माननीया बाजपेयी जी ने इसे बड़ी ही इन्नोसेन्ट विधेयक बताया है और कहा है कि हम इसमें कुछ न करके कार्यापालिका के मैजिस्ट्रेटों की संख्या और बढ़ा रहे हैं। जिस वक्त यह विधेयक सदन के अन्दर सन् 1972 में आया था उस समय मांग की गयी थी कि मुन्सिफों को भी अधिकार दिया जाय। आज उन्होंने यह बात मान ली है, इसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन वे जिस संशोधन को ला रही हैं वह बिल्कुल बेकार-सा है। कहा जाता है कि हाई

---

†21 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह---]

कोर्ट ने कहा है कि उनके यहां इतने मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेटस नहीं है, जिनके द्वारा ये मुकदमे तय करा सकें। यह बात नहीं है। इन्होंने देखा है कि हमारे अधिकारियों से ये अधिकार चले जा रहे हैं। इस समय डी0 एम0 को सारे अधिकार हैं, वे नियुक्त करते है, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नहीं है, उनको अधिकार देने की बात है ताकि उनके अन्डर में रहें। इसलिये यह बात आ गयी है।

इससे सारे का सारा मूल विधेयक परिवर्तित कर दिया गया है, इससे साफ पता चलता है कि इसके मन में कुछ और है और इनकी भावना कुछ और है। अगर ऐसा न होता तो माननीया बाजपेयी जी पहले से ही पढ़ कर समझती कि कहां कहां पर उनको ऐमेंडमेंट लाने है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 34 (2) में दिया गया है कि: "जिला मैजिस्ट्रेट, नियत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई जांच अथवा किसी अपील की सुनवाई करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जायगा और उसके समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी। इतना ही नहीं अगर ये अमेंडमेंट लाना चाहते है तो धारा अब बिल्कुल बदल गयी है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है यही नहीं धारा 346 व 355 का एमेंडमेंट भी यहां पर आना चाहिये था। ऐसा मालूम पड़ता है कि इनका विभाग इनके अन्डर में नहीं है, इनके कन्ट्रोल से बाहर है। जैसे खाद्य के मामले में बुलन्दशहर और मेरठ में राशन नहीं है। तो यहां भी सब मामला हौच पौच हो गया है। दूसरा और है। धारा 31 के खंड (2) में लिखा है"—

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 32 में निहित किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने वाले प्रथम श्रेणी के मैजिट्रेट के लिये 5 हजार तक का अर्थ दंड देना वैध होगा।"

यह 32 नम्बर का जो क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का हवाला था वह अब 32 नहीं रह गयी है 29 हो गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसमें क्या कमी है कि प्रवर समिति में जाय और वहां जाकर के इसके बहुत से डिफेक्ट्स ठीक हो जायं ? यह भी पता चलता है कि जिस धारा के अन्तर्गत आप अमेंडमेंट करना चाहते है वहां तो कोई जरूरत थी ही नहीं अगर उसके कारणों को लें, लेकिन इसका हवाला दिया जाता है कि हमने आदेश दिया है या राय दी है कि मैजिस्ट्रेट नहीं है मुंसिफ नहीं है वह होना चाहिये। तो वह तो आपके अधिकार की चीज है कि मुंस्फि और जुडीशयल मैजिस्ट्रेट को बढ़ा दीजिये अगर आप सच्चा न्याय देना चाहते हैं। लेकिन उनकी नीयत में नही मालम पड़ता है वह तो मैजिस्ट्रेट को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं।

इसमें परिधि बढ़ाने की बात कहीं गयी है। इसमें किरायेदारों का भी प्रश्न है कि सब-टेनेंट बढ़ा लते है, 10 वर्ष में मकान बनने के बाद वह रेंट कंट्रोल में आना चाहिये या नहीं आना चाहिये मरम्मत वगैरह में कौनसी तरमीम आनी चाहिये या नहीं। तो ये सब मसल गड़बड़ में पड़ जायेंगे अगर परिधि नहीं बढ़ायी जायगी।

आप कहते है कि यह बड़ा इम्प्रोसेंट विधेयक है, एक अक्षर ही बढ़ा रहे हैं कि कार्यपालिका के मैजिस्ट्रेटों को रख रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। इस विधेयक को यदि आप ठीक से संशोधन करके लाना चाहते है तो परिधि बढ़ाने के लिए प्रवर समिति में ले जायं। उससे कोई बड़ा भारी पहाड़ नहीं टूट रहा है। एक महीने की अवधि के अन्दर यह सब ठीक हो जायगा। अगर सरकारी बेंचेज से संशोधन आया है कि इस तमाम को हटा कर नया रख दिया जाय। तो मालम पड़ता है मंत्री जी के विधेयक के अधिकारों में और सरकारी बेंचेज में कोई सामांजस्य नहीं है। इसलिए सब बातों के होते हुए और इसको संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो वहां से सब मामले तय हो जायंगे, ढंग से हो जायगा कि हमको क्या करना है। इन

शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेजने की अनुमति दे दें वरना सारे का सारा मामला अधूरा रह जायगा और यह विभाग के अंदर में नहीं है, इसको छोड़ कर दूसरा विभाग आप ले लें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, प्रस्ताव, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अगर आप मूल अधिनियम को देखें, तो यह जो 'प्रेस्क्राइब्ड अथारटी' है, जिसको आप एक एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देने रहे हैं, उनकी शक्तियां क्या है। उसकी वही शक्तियां है जो पुराने ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत जो मैजिस्ट्रेट अधिकृत थे वह अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को देने जा रहे हैं। जो पुराने कार्यकारी मैजिस्ट्रेट थे उनके जमाने में किस तरीके से रेट कंट्रोल ऐक्ट का दुरुपयोग किया गया, किस तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर के लोगों को बेदखल किया गया, लोगों के मकानों को बेदखल करने की इजाजत दी गयी—यह सर्वविदित है और उसका नतीजा हुआ कि कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों को जो इस तरह से अधिकार दिये गये और हाईकोर्ट में जाने पर जब हाईकोर्ट में फैसला दूसरे पक्ष में हुआ तो फिर आपने मूल अधिनियम में दोबारा संशोधन किया और जो रिवीजन का अधिकार था वह स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ में ले लिया। इस तरीके से जुडीशियरी के दखल को लगातार अलग करने की कोशिश की गयी पुराने ऐक्ट के गन्तर्गत। सी0आर0पी0सी0 बदल गया और नये सी0आर0पी0सी0 के अन्दर वही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रहे जो जडीशियल मेजिस्ट्रेट थे। अब आप दोबारा न्यायपालिका की परिधि से उन तमाम अधिकारों को छीन कर एसी एस0डी0एम0 और परगनाधीश को सौंपना चाहते हैं जो लगातार राजनीतिक दबाव में आकर केतरह तरह के फैसले करते है।

देहरादून की मिसाल देना चाहता हूं। कुछ अखबार वालों के दबाव में आकर के एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने जोकि पुराने ऐक्ट के मातहत काम कर रहा था, एक पेट्रोल पम्प को यह कह कर कि यह मकान है, यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, पेट्रोल पम्प को अलाट कर दिया (अन्दाजा लगाइये)। एक पूरा पेट्रोल पम्प इस आधार पर कि यह भी मकान है और यह खाली होने वाला है उसको दूसरी पार्टी को एलाट कर दिया एक अखबार वाले को। जब सारे देहरादून में एजिटेशन हुआ, डी0एम0 ने इंटरवीन किया तब उस आर्डर को कौंसिल कर दिया गया। इसी तरीके से अगर आज आप यह तमाम अधिकार उन्हीं मैजीस्ट्रेटो को देने जा रहे हैं जिनके ऊपर हाई कोर्ट का कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा बल्कि जोलगातार राजनीतिक दबाव में आरहे हैं मैं समझता हूं आपके ऐक्ट का दुरुपयोग होगा और ऐसा माननीय हिम्मत सिंह जी ने बतायाकि मूल अधिनियम में भी बहुत तरमीम करने की आवश्यकता है, मूल अधिनियम सरासर प्रो-लैंडलार्ड है, मकान मालिकों के हितों की रक्षा करता है, किरायेदारों के हितों की रक्षा नहीं करता अगर प्रवरसमिति में यह चला जाता है तो उसका भी परीक्षण होगा कि जो और खंड है क्या उनके अन्दर तरमीम होनी चाहिये या नहीं। माननीय मंत्रीजी तो कमजोर वर्ग की रक्षा करने के हिमायती हैं। हम समझते हैं कि किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिये और जो धांधलेबाजी बड़े बड़े मकानों के मालिक कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिये मूल अधिनियम में बहुत सी तरमीम करने की आवश्यकता है। इसलिये मेरा भी निवेदन है कि हिम्मत सिंह जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन खाद्य मंत्री जी ओर से प्रस्तुत किया गया है और जिसके सम्बन्ध मे माननीय हिम्मतसिंह जी ने यह सुझाव पेश किया है कि प्रवर समिति में भेजा जाय तो माननीय हिम्मतसिंह जी के सुझाव का मैं समर्थन करता हूं और उसका कारण यह है कि यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यप्रकाश मालवीय—]

ऐक्ट जो 1972 में लागू किया गया था इसमें इस बात का प्राविधान है कि जिस अधिकारी के पास मुकदमा होगा उसके आदेश के विरुद्ध अपील केवल जिला जज के न्यायालय में ही हो सकती है और वह स्वयं किसी अन्य न्यायालय में भेजता है तो वह सुन सकेगा । जिन मैजिस्ट्रेटों को प्रथम श्रेणी के अधिकार प्राप्त नहीं है वे नितान्त अनुभवहीन होते हैं । यह बहुत आवश्यक है कि ऐसे मुकदमों का निस्तारण ऐसे ही अधिकारों के द्वारा हो जिसे काफी मात्रा में मुकदमों का निस्तारण ऐसे ही अधिकारों द्वारा हो जिसे काफी मात्रा में मुकदमे करने का अनुभव हो । जो नये मैजिस्ट्रेट सेवा में आते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के अधिकारी प्राप्त होते हैं । यह सरकार हमेशा न्यायपालिका और कार्यपालिका के सेपरेशन की हामी रही है । तो अगर यह प्रवर समिति में जायेगा और वहां यह हो जायगा कि ऐसे मुकदमों का निस्तारण करनेका अधिकार केवल मुन्सिफ को ही प्राप्त रहे क्योंकि मुन्सिफ हाई कोर्ट के अधीन रहता है और मैजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के अधीन रहता है और राज्य सरकार और राजनीतज्ञ ऐसे मामलो में हस्तक्षेप किया करते हैं इसलिये यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय खाद्य मंत्री ने जो यह बिल पेश किया है मुझे बहुत दुःख है कि उन्होंने इस बात की कोशिश नहीं की इसको पेश करने के पहले उद्देश्य और कारण पढ़ लें । इसमें लिखा है कि धारा 3 के खंड (ङ) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को नियत प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के लिये सशक्त था । इसका अर्थ यह है कि धारा 3 के खंड (ङ) में ही हम परिवर्तन करने जा रहे हैं । अब जरा विधेयक को देखिये । उसमें आपने (ग) को भी ले लिया है । उसमें एक प्राविजो है इसमें जो प्रतिबंधात्मक खंड हैं उसको देखें । इसमें लिखा है विधेयक के खंड 2 में कि (1) खंड (ग) में उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय । जो उद्देश्य और कारण दिये है उसमें लिखा है कि धारा 3 के खंड (ङ) में अधीन यह रख दिया जाय । यह दोनों ठीक नहीं बैठते हैं । (ङ) के स्थान पर (ग) छाप गये । माननीय मंत्री जी ने अगर ध्यान से इस बिल को पढ़ लिया होता तो यह गलती न होती । इसीलिये हम इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं । मंत्री जी को यह भी पता नहीं है कि कौन सी धारा में संशोधन होने जा रहा है । आपने तो प्रवर समिति में भेजने के लिये नियम बना दिया है, अगर नहीं चाहते तो उसको नियमों में से ही निकाल दीजिये, उसकी जगह यह रख दीजिये कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो बिल लायेंगे उसे पास समझा जायेगा ।

मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न इसीलिये लाया जाता है ताकि विधेयक में जो खामियां हों वे दूर की जा सकें । पहले भी जब यह मूल विधेयक आया तो माननीय शम्भूनाथ जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था और बाद में उसे स्वीकार किया गया था और विधेयक जब प्रवर समिति में गया था तो वहां अच्छी तरह विचार भी हुआ था । उसमें मुख्य विचार इसी बात पर था कि यह सरकार सप्लाई आफिसर को एलाटमेंट आदि का अधिकार देने जा रही थी । सप्लाई आफिसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्डर में ही रहता है । वह मंत्री जी के अन्डर में रहता है । इसलिये उसका विरोध किया गया था और उसकी जगह मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया था । वह मैजिस्ट्रेट भी प्रथम श्रेणी का होगा । तीन साल कम से कम उसका अनुभव होगा । यह चीज रखी गयी थी । जब सी0आर0पी0सी0 में संशोधन हो गया तो अब प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की परिभाषा भी बदल गयी । इस लिये यह बिल लाया गया है । तो इस पर विचार करना आवश्यक है अगर विचार करने के लिये प्रवर समिति में जाना अवश्यक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कृपया पिछली कार्यवाही को देख लें कि इस सदन में सरकारी पक्ष की ओर से क्या कहा गया है । माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जो जो उस समय मंत्री थे, उन्होंने कहा है—"...इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डी0 एम0 को जो एलाटमेंट की पावर दी गयी है उसमें यह निर्देश होना चाहिये कि कितनी कीमत का मकान किस वेतन भोगी कर्मचारी को एलाट कर सकते है..." आगे कहा है—"...इसलिये स्माल काजेज कोर्ट को अधिकार न देकर मुंसिफ अदालत को ही यह अधिकार दिया जाना चाहिये । ...." यह मैं उनके शब्दों को ही यह अधिकार जो उन्होंने यहां सदन में कहे थे । सरकारी पक्ष के ही श्री मुस्तफा कामिल किदवाई ने भी कहा था"...उससे मालूम होता है कि कोई अधिकारी जिसको कम से कम 3 वर्ष का जुडिशियल एक्सपीरियन्स हो या डिप्टी कलेक्टर 'प्रस्काइब्ड अथारिटी' हो सकते है । मैं मिनिस्टर महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि जिले में एक इतने जूनियर आफिसर को प्रस्काइब्ड अथारिटी बनाकर जिले के लोगों पर बहुत नाइन्साफी होगी ।...." आगे कहते हैं "...इसमें आपने पावर दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वे फैसला करेंगे । अपील सुनेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन होगा वह फाइनल होगा । मैं समझता हूं कि राइट आफ अपील या राइट आफ रिवीजन को हायर कोर्टस को दी जाती है उसका सिर्फ मकसद यही नहीं होता है कि हम मुकदमे बाजी को बढ़ावें, बल्कि यह होता है कि ऐसे माहौल से जिसमें कुछ नाइन्साफी की उम्मीद है लोग निकाले जायं और ऐसे माहोल में पहुंचाये जायं जहां जहां पूरा इन्साफ हो सके....." यह सब मान्यवर, सरकारी पक्ष के लोगों की राय थी । इन्होंने मैजिस्ट्रेट को दरियाई घोड़ा बना रखा है । मान्यवर, जब यह दरियाई घोड़े पर सवार होते हैं तो जहां इच्छा होती है सफर करते है । उदाहरण पेश करना चाहता हूं ।

मान्यवर, पेश करूं, रायबरेली में जब विधान सभा का चुनाव हुआ तो सुनीता चौहान हार गयीं । पर वह हार कैसे सकती थीं । वह इंदिरा गांधी के क्षेत्र से संबंध रखती थीं । वह कैसे हार सकती थीं । और एक बार काऊंटिन्ग हुयी दुबारा हुयी, और 4 हजार रिकाऊंटिंग हुयी ।

मान्यवर, इस दरियाई घोड़े पर बठने वाली सरकार ने एक बार सी0बी0 गुप्ता का नाम बुनिया के अखबारों में छापा था ।

दूसरा उदाहरण श्रीमन् आपके मुख्यमंत्री जी को, मेयो हाल के बारे में । इसमें भी कमाल दिखाया गया है और बाद में कह दिया गया है कि सब कमिश्नर ने किया । श्रीमन्, यह दरियाई घोड़े पर सफर भी करते हैं और बाद में कहतें हैं कि हमको कुछ पता नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से । एलाटमेंट के सम्बन्ध में मैं उदाहरण देना चाहता हूं । एक व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी हमारे भतीजे हैं । कान खोल कर सुन लें । वह अयोध्या के मैनेजर थे । उनके मकान की बिक्री हो गयी । उनके खिलाफ मुकदमा चला वह मकान को खाली नहीं कर रहे थे । कोर्ट ने फैसला दिया कि 10 हजार रुपये जमा करो । उन्होंने 10 हजार रुपये जमा नहीं किए । वह लखनऊ आ गये । बहुगुणा जी के पास और मकान का एलाटमेंट हो गया ।

श्रीमन्, गोंडा जिले में 2 आफिस हैं, प्लांट प्रोटेक्शन और केन आफिस, श्रीमन् डोबिले साहब की विधवा का मकान है । उसके मकान के लिये दरख्वास्त आती है कि एलाटमट कर दीजिए । अधिकारी कहते हैं कि एलाटमेंट नहीं हो सकता है । मकान नहीं खाली हो सकता है । लेकिन लखनऊ को फोन हुआ और फोन करने से मकान खाली करवा लिया गया । हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम एक-एक भ्रष्ट अधिकारी से निपटेंगे ।

श्रीमन् देख लीजिए इस इतिहास में ऐसा नहीं हुआ । एक जगह मकान के लिये कहा गया कि मकान का एलाटमेंट होगा । अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश म , आप सुन

[श्री त्रिवेणी सहाय---]

लें, कि मकान के साथ जमीन का एलाटमेंट होगा। कहा गया है कि प्रार्थना-पत्र एलाटमेंट के लिए आया है। उसकी आवश्यकता सही है अतः सभी संपत्ति व मकान उनको एलाट किया जाता है। श्रीमन्, मकान के साथ संपत्ति का भी एलाटमेंट हो गया यह एक अनोखी बात है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है।

तो श्रीमन्, जिस मैजिस्ट्रेटों को आप इस तरह के पावर देना चाहते हैं मैं इसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि मेरी मूल प्रार्थना यह है आप ऐसे अधिकार किसी प्रेस्काइब्ड अथारिटी को दें। आपका मुंसिफ क्या कम है तो आप उसके अधिकारों को बढ़ाइये।

श्री श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि वह हर एक क्लाज को पहले पढ़ लें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें।

(शोर)

(कई सदस्यों के उठ खड़े होने पर)

बीन बजी और उठ खड़े हुए। कानून बनाने के पहले इसको पढ़िये। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं यहां घास खोदने नहीं आया हूं। आप लोग पढ़ें तब कुछ कहें इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज कहा गया कि जुडीशियरी को अलग किया जा रहा है। जुडीशियरी को अलग इसलिये किया जा रहा है कि जिससे मिनिस्टर लोग नाजायज फायदा उठा सकें। यहां भी मंत्रियों नाम मकान एलाट हुये हैं। यदि आप जानना चाहे तो मैं बतला सकता हूं जैसे कि श्री रामकृष्ण त्रिवेदी हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इन शब्दों को यह वापिस लें।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य को बेवकूफ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष---

किसी सदस्य के सन्दर्भ में तत्काल उसके भाषण के सिलसिले में बेवकूफ शब्द कहना असंसदीय तो छोड़ दीजिये, अशोभनीय है और रूचिकर भी नहीं है। इसको वापिस लें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, मैंने भाषण को कहा है और इस पर रूलिंग हो चुकी है। यदि आप अध्यक्षों की रूलिंग में जायं तो सबसे पहले भूतपूर्व अध्यक्ष श्री खेर साहब ने इस तरह की व्यवस्था दिया है कि हम किसी को सदस्य बेवकूफ नहीं कह सकते है लेकिन उनके भाषण को बेवकूफ कह सकते हैं।

[×××]श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर आपने बड़ी कृपा की और कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। यह अशोभनीय ही नहीं बल्कि रुचिकर भी नहीं है। वह इन शब्दों को वापिस लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह बेवकूफी का भाषण था। इस सदन में बहुत सी बातें शोभनीय या अशोभनीय हुआ करती हैं। मान्यवर आपको उस कुर्सी से व्यवस्था देनी होगी कि यह भाषण शोभनीय है या अशोभनीय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो शब्द कहे गये हैं वह इस प्रकार हैं कि "माननीय सदस्य अपनी बेवकूफी का इजहार करना चाहते हैं।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह गलत लिखा है। मैं माननीय सदस्य को बेवकूफ नहीं कह सकता। मैंने भाषण के लिये बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि अगर सम्भव हो तो बेवकूफी को संसदीय शब्द मान लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं तर्क संगत बात कहना चाहता हूं। ऐसा होता है कि एक जमाने की कोई भाषा रही और दूसरे जमाने की और। आज के जमाने की भाषा एक हद तक विरोध करने वाले के चरित्र को व्यक्त करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में जनता की जो स्थिति है हम लोग उस स्थिति की चर्चा यहां करते हैं। जिस तरह से हुकूमत चलाती है चाहें वह इस पार्टी के हुकूमत चलावें या दूसरी पार्टी के लोग हुकूमत चलावें, उसमें हम लोग जिम्मेवार के तौर पर यहां पर बैठे हुये हैं। कई तरह के आचरण यहां होते हैं वह सब शोभनीय नहीं हैं। तमाम बातें कही गई है जो अच्छी नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस्तेमाल करने वाले शब्दों में "बेवकूफ" और "बदतमीज" शब्दों को संसदीय मान लिया जाय ताकि विरोध करने वाले लोगों को आसानी हो जाय। मेरा निवेदन यह है कि अगर इन शब्दों को संसदीय मान्यता मिलेगी तो भाषा जीवन्त होगी और जानदार होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य सत्यपाल मलिक की राय से भी उग्र कह सकता हूं। मैंने एक बार कहा था कि बुरे जमाने की पहचान है कि बुरे को बुरा कहना बुरे जमाने में ज्यादा बुरा माना जाता है बनिस्बत बुरा काम करने के। लेकिन सवाल यहां यह है कि सदन का काम कैसे चले अगर एक दूसरे के भाषण के बारे में 'बेवकूफ' कहा जायेगा। मैं श्री सत्यपाल मलिक से इस बारे में सहमत हूं कि जमाना बदल रहा है शब्दों और शब्दावलियों को पुराने शब्दों के नये अर्थ और नये शब्दों के नवीनतम अर्थ से ओतप्रोत करने की हमारी जो चेष्टा है वह चलती रहे तो भाषा तथा व्यवहार सुधरता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, कि यहां ऐसे शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है। सदस्यों के लिये इस प्रकार की उक्ति "आपकी नालायकी का इजहार है" यह भी असंसदीय माना गया है। मेरी रूलिंग यह है कि "बेवकूफी" शब्द वाला अंश आज की कार्यवाही का अंग नहीं रहेगा।

एक सदस्य—

माननीय सदस्य ने कहा था कि घास खोदने आये हैं तो यह किसमें आता है।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई सदस्य कहे तो आपकी सचेतता और जागरुकता प्रज्वलित होनी चाहिये उसी समय। समय चूकने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं।

एक सदस्य—

उन्होंने अपने शब्द वापस लिये या नहीं। अगर वह वापस नहीं लेते तो उन शब्दों का प्रयोग इधर से भी होना चाहिये और आप फिर कार्यवाही से उसको निकाल देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह जब कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं और जब कोई सदस्य यह कहे कि मेरा यह मतलब नहीं है, तो समझ लीजिये....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अगर आपने उनसे वापस लेने का आग्रह न किया तो होगा क्या? होगा कल से यह कि बहुत से माननीय सदस्य उस शब्द का प्रयोग करेंगे और बाद में यह कह कर रफा कर देंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप बहुत नालायक थे। व्यवस्थित ढंग से हाउस चले और ऐसे शब्दों का प्रयोग न उधर से और न इधर से हो तो वे अपने शब्दों को वापस ले लें। खाली इससे संतोष नहीं होगा कि आप कह दें कि कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता जनसंघ और माननीय मलिक जी ने ठीक ही इस प्रश्न ऊपर रोशनी डाली है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी तरह से चले तो उससे व्यवस्था नहीं अव्यवस्था ही पैदा होगी। मैं आपकी रूलिंग के बाद कि यह कार्यवाही का भाग नहीं रहेगा समझ रहा था कि आपने इसको असंसदीय घोषित कर दिया चाहे बेवकूफी शब्द भाषण के लिये या व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हो। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय काशीनाथ ने उस शोर गुल में कहा कि वापस लेता हूं। मैं अपन तरफ से और अपने दल की तरफ से कहना चाहता हूं कि जो इतना वक्त इसमें लगा मुझेबहुत दुःख है। एक निवेदन और है कि माननीय त्रिवेणी सहाय जी धीरे धीरे बोले जिससे कि हम सुन पाये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेवकूफी को काशीनाथ जी ने वापस ले लिया।

श्री अध्यक्ष—

यानी आप भी स्वीकार करते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अब श्रीमन् उनके लिये स्वीकार करना ही पड़ेगा।

एक सदस्य—

इन्होंने अपने शब्दों को बेवकूफी का कहा है तो यह असंसदीय है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

हमेशा अपने को बेवकूफ समझना अच्छा होता है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मेरा और माननीय सदस्यों का यह मन्तव्य था कि इस मसले को जुडिशियरी को सुपुर्द कर दिया जाय। जब यह विधेयक लाया गया था तो इस पर विशेष रूप से विचार होना चाहिये था। जो मैजिस्ट्रेट तीन साल का अनुभव रखता हो उन्हें नियुक्त किया जाय या नहीं तो इस क्लाज को निकाल दिया जाय या नहीं तो विधिवत् रूप से क्या फर्क पड़ता है। इसलिये इसको प्रवर समिति को जाना चाहिये ताकि सुव्यवस्थित राय आ सके। हर जगह अलाटमेंट में सिफारिश आती है कि लोगों पर प्रेशर डालकर एलाटमेंट करते हैं। अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने अपने भाषण में मेरे नाम को भी स्मरण किया है। मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गोंडा या उत्तर प्रदेश के किसी भ-भाग में मैंने किसी भी व्यक्ति को अपने मख्य मंत्रित्वकाल में यह नहीं कहा कि इसको फलां मकान दे दें या फलां मकान फलां के लिये रहने दो। मान्यवर, मेरे पास रोज सुबह से लेकर एक हजार आते हैं। जितनी अर्जियां आती हैं, वे जिस विभाग से संबंधितहोती हैं, उनको वहां भेज दिया जाता है, सिवाय ऐसे केसेज के, जिसमें कि मुकदमा, परमिट, कोटा, बस-रूट, पब्लिक सर्विस कमीशन आदि की बात नहीं होती। मान्यवर, हमारा देश साधारण बुद्धि का है। सब लोग यही समझते हैं कि जितनी चीजें मुख्य मंत्री से कहेंगे, वह करेगा। मान्यवर, मैं माननीय त्रिवेणी सहाय जी से कहना चाहता हूं कि वह मेरे कक्ष में आते हैं। अगर वह मेरी भूल के बारे में बता देते तो मैं स्पष्टीकरण कर देता। और इस माननीय सदन का इतना समय न जाया होता। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर वह किसी प्रकार की ऐसी बात सिद्ध करना चाहें, तो मैं उनको दावत देता हूं,। वह अपनी बात मेरे पास भेज दें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, इस विषय में चिट्ठी मंगा ली जाय। मैं सदन में कोई भी बात गलत नहीं बोलता। पांच साल रहा हूं, परसाल भी यहां रहा हूं और इस साल भी यहां हूं। नागर साहब ने फोन किया। वहां की अथारिटीज ने बताया। बराबर प्रेसर हो रहा है। चिट्ठी लिखा कि यह नहीं होना चाहिये। मान्यवर, जो बात मुख्य मंत्री जी द्वारा कही जा रही ह, सरासर गलत है। इस तरह से कहकर निकल जाना ठीक नहीं। अभी बहुत से मामले सामने आयेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब यह बहस की बात नहीं रही। मुख्य मंत्री जी ने अपने बारे में स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, अभी माननीय त्रिवेणी सहाय ने 'सरासर गलत है' शब्दों का इस्तेमाल किया। मान्यवर, ये शब्द भी असंसदीय है। इस पर आपकी क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो गलत है ही। उन्हें यह नहीं कहना चाहिये था।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि किसी को भी इस विषय में अगर मैजिस्ट्रेट का अधिकार दे दिया गया तो यह इस सरकार की दूसरी तानाशाही होगी। आज इस राज्य के अन्दर जब जुडिशियरी निष्पक्ष नहीं है तो कैसे माना जाय कि इस तरह का मैजिस्ट्रेट निस्पक्ष होकर कोई भी फैसला दे सकेगा। किसी भी मंत्री के आदेश के विरुद्ध अगर कोई मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा तो वह मैजिस्ट्रेट अपनी जगह पर नहीं रह सकता। आज पूरे देश के अन्दर जुडीशियरी पर सरकार हावी है। अगर इनको मैजिस्ट्रेट के पावर्स दे दिये गये तो किसी का मकान किसी को चला जायेगा। टेलीफोन के ऊपर केवल कहने की बात होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सरकार का प्रेसर हो सकता है तो . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सुप्रीम कोर्ट की बात यहां कृपया न करें।

श्री राम अधार—

मैं नहीं समझता कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का टेलीफोन जाय और एक मैजिस्ट्रेट उसे न करें।

श्री अध्यक्ष—

आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं।

श्री राम अधार—

अध्यक्ष महोदय, आज एक मैजिस्ट्रेट जो जिलाधीश के अन्तर्गत रहता है वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। जिला मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेटों पर दबाव डाल कर अनुचित कार्य करवा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव में जहां कांग्रेस हार रही थी मुख्य मंत्री का जिलाधीश को तीन बार टेलीफोन गया कि यह चुनाव जीतना है। फतेहपुर में बिजली कटवा दी गयी। यह सरकार की तानाशाही का सबूत है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों ने शायद मेरे इस संशोधन विधेयक का अभिप्राय ठीक से समझा नहीं। यह इसका तात्पर्य नहीं है कि मुन्सिफ या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को नहीं रख रहे हैं। ये दोनों तो हैं ही। यह कहा कि एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिनको तीन वर्ष का अनुभव है उनको भी यह अधिकार दिया जायगा। नई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चूंकि कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास पावर ले ली गयी है इसलिये यह किया जा रहा है। मूल अधिनियम में यह स्पष्ट लिखा हुआ है:—

"3 (ग) 'जिला मैजिस्ट्रेट' के अन्तर्गत जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसको सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों के प्रयोग, सम्पादन और पालन करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी भी है, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अधिकारियों का तदर्थ प्राधिकृत किया जा सकता है और जिला मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी के पास से कोई मामला वापस मंगा सकता है और या तो उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे किसी अन्य ऐसे अधिकारी को निस्तारण करने के लिये अन्तरित कर सकता है।"

इसमें प्रतिबन्धात्मक क्लाज यह है:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की किसी बात से यह न समझा जायगा कि इससे जिला मैजिस्ट्रेट को खंड (ङ) के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट की प्राधिकृत करने की अपनी शक्ति अथवा धारा 33 के अधीन परिवाद करने, या उसे करने के लिये प्राधिकृत करने की, शक्ति को प्रतिनिहित करने की शक्ति प्राप्त है।" अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नया संशोधन करके मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास पावर नहीं दी गयी है लिहाजा अलग से कार्यपालिका के मजिस्ट्रेट को यह पावर देने के लिये इसे जारी किया गया है जिससे कार्य ठीक से सुचारु रुप से चल सके। इस संशोधन के द्वारा काम जल्दी हो सकेगा। सिद्धान्त रूप में सरकार इससे इंकार नहीं कर सकती कि मुंसिफ या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को यह पावर न दी जाय। समय-समय पर शासन की तरफ से जो अधिकारी नियत किये जायेंगे उसमें एक एनोमली पैदा हो गयी, इसको लेकर कानूनी अड़चन पैदा हो गयी और इस सम्बन्ध में रिट भी दायर कर दिया गया और आज यह शंका पैदा हो गयी कि जिला मैजिस्ट्रेट जो नियत प्राधिकारी नियुक्त करते हैं उनको यह अधिकार है या नहीं, इसलिये इस संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी। जैसा मैंने पहले बतलाया माननीय हाई कोर्ट की भी यह राय है कि इस समय इतनी अधिक संख्या में मुंसिफ या मैजिस्ट्रेट नहीं है इसलिये कार्यपालिका के मैजिस्ट्रेट की भी काम को जल्दी कराने की दृष्टि से हम यह पावर दे रहे है। मैं समझती हूं कि काम की जल्दी चलाने की दिशा में यह एक छोटा सा संशोधन है, इसलिये इसको प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इससे काम चलने में काफी डिफकल्टी पदा होगी इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने का सख्त विरोध करती हूं।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं संशोधन को वापस नहीं ले रहा हूं लेकिन मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि जिस अधिकारी को आप देना चाहते है वह डी0 एम0 के अधिकार में नहीं आता है। वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को नियत करता है लेकिन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या मुन्सिफ को नियत नहीं करता है। हम लोगों का यह कहना है कि इसको आप न रखें तो अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हाई कोर्ट से सुझाव आया ह कि यह रख दिया जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, कब लिखा है। उसे भी आने दिया जाय। सदन की प्रापर्टी हो जायेगी क्यों कि आप बार बार कहते ह कि आनरेबुल हाई कोर्ट ने ये ये सुझाव दिये हैं। इन शब्दों के साथ में अपन संशोधन को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1972 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,—

(1) खण्ड (ग) में उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की किसी बात से यह न समझा जायगा कि इससे जिला मजिस्ट्रेट को धारा 33 के अधीन परिवाद करने, उसे करने के लिये प्राधिकृत करने की अपनी शक्ति को को प्रतिनिहित करने की शक्ति प्राप्त है;"

(2) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ङ) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे मुंसिफ या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और जो इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के सभी या किन्हीं शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का प्रयोग सम्पादन तथा पालन करने के लिये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत हो, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अधिकारियों को इस प्रकार प्राधिकृत किया जा सकता है।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3

संक्रमण कालीन उपबन्ध

3—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन होने पर भी, मूल अधिनियम में यथा परिभाषित नियत प्राधिकारी, जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था, के समक्ष संस्थित या उसको अन्तरित, अथवा मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी से वापस मंगाया गया, और 1 अप्रैल, 1974 के ठीक पूर्व ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन, प्रत्येक आवेदन पत्र या कार्यवाही, यथास्थिति ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती रहेगी और निर्णीत की जायगी।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"3—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन होते हुये भी—

(क) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व किसी समय मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था) में यथा परिभाषित नियत प्राधिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

समक्ष संस्थित अथवा उसे अन्तरित हो या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन हो, तो यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सुना जायगा और उस पर निर्णय दिया जायगा ;

(ख) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व या उसके पश्चात् मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था) में यथा परिभाषित नियत प्राधिकारी के समक्ष संस्थित अथवा उसे अन्तरित किया गया हो या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास से वापस मंगाया गया हो, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा विधि मान्यता ग्रहण किया गया या वापस मंगाया गया और उस पर कार्यवाही की गयी समझी जायगी मानों ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट को ऐसा करने की अधिकारिता थी ;

(ग) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् किसी मुंसिफ या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित या उसे अन्तरित किया गया हो—

(1) और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उसके द्वारा निर्णीत किया गया हो, विधि मान्यतः उसे अन्तरित किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की गई समझी जायेगी मानों वह नियत प्राधिकारी के रूप में यथाविधि नियुक्त किया गया था ।

(2) और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उसके समक्ष विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगा और ऐसा नियत प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां कि उसे इस प्रकार अन्तरित किया गया था, आगे की कार्यवाही करेगा ।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, यह कांसीक्वेंशियल अमेंडमेंट है—

एक सदस्य—

मंत्री जी, इसे स्वीकार कर रही हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामायण राय—

यह जो संशोधन है, इसे मंत्री जी स्वीकार कर रही हैं, इसलिये इसकी उपयोगिता के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मंत्री जी इस उपयोगी संशोधन को स्वीकार कर रही हैं, इसलिये मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

यह संशोधन हमें स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"3—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन होते हुए भी—

(क) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व किसी समय मूल अधिनियम (जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था) में यथा परिभाषित नियत प्राधिकारी के समक्ष संस्थित अथवा उसे अन्तरित हो या जिला

[श्री अध्यक्ष]

मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास से वापस मंगाया गया हो, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन हो, तो यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सुना जायगा और उस पर निर्णय दिया जायगा:

(ख) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 के पूर्व या उसके पश्चात् मूल अधिनियम (जसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व था) में यथा-परिभाषित नियत प्राधिकारी के समक्ष संस्थित अथवा ऐसे अन्तरित हो या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्राधिकारी के पास से वापस मंगाया गया हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा विधिमान्यतः ग्रहण किया गया या वापस मंगाया गया और उस पर कार्यवाही की गयी समझी जायगी मानो ऐसे प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट को ऐसा करने की अधिकारिता थी,

(ग) प्रत्येक ऐसा मामला जो 1 अप्रैल, 1974 को या उसके पश्चात् किसी मुंसिफ या प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रट के समक्ष संस्तुति या उसे अन्तरित किया गया हो—

(1) और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उसके द्वारा निर्णीत किया गया हो, विधि मान्यतः उसे अन्तरित किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की गयी समझी जायेगी मानों वह नियत प्राधिकारी के रूप में यथाविधि नियुक्त किया गया था।

(2) और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उसके समक्ष विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधियिम की धारा 3 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त नियत प्राधिकारी को अन्तरित हो जायगा और ऐसा नियत प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां तक उसे इस प्रकार अन्तरित किया गया था आगे की कार्यवाही करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड (3) इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये—

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री रामायण राय—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 1 के वर्तमान उपखंड (2) के स्थान पर निम्नांकित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात्

"(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1 के वर्तमान उपखंड (2) के स्थान पर निम्नांकित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात्

"(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधन खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराय तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन), विधयक, 1974 जसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1974 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन को 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
26 जून, 1974।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं03 का उत्तर पीछे पृष्ठ 116 पर)

नकल गैरदस्तनदाजी थाना मोहम्मदपुर जिला बाराबंकी

संख्या 91 रिपोर्ट दिये जाने का दिनांक 25-5-74, 11 बजे

वादी--बहादीन पुत्र अर्जुन कौम यादव सा० बल्लोपुर, इलाका हाजा

अभियुक्त-1--कृष्ण नन्द पुत्र लालजी बा०, 2--राकेश पुत्र कृष्ण नन्द बा० सा० गोवा इमिलिया ।

धारा 352/506, भा० दं० वि०

घटना का स्थान व दिनांक 25-5-74 समय 8 बजे दिन पेश दरवाजा खुद

गवाहों का नाम--1-ईश्वरदीन पुत्र टिकई पुत्र लोनिया, 2-साहू पुत्र होली

घटना का संक्षिप्त विवरण--वादी मुजाहिर हुआ कि मुल्जिमान वाला बअसर आदमी है । हर समय बेगार से अपना कारबार कराना चाहते हैं ।

आज मुझसे बैलगाड़ी मांगी मैंने देने से इंकार किया आज इसी बिना पर मुझको लाठियां लकर मारने दौड़े और तमाम तरह की जानमाल की धमकी देते हैं । इत्तला को आया हूं ।

हस्ताक्षर बरमदीन सत्य नरायन

लेखक--सत्य नरायन, 25-5-74

अभिप्रमाणित

ह० अपठनीय

उप-पुलिस अधीक्षक,
बाराबंकी।

नकल चिक मुकदमा अपराध संख्या 81 धारा 147/148/307/342/504/149 भा० दं० वि० थाना मोहम्मदपुर, बाराबंकी।

एफ० आई० आर० नं० 75 तहरीरी वादी—

घटना-दिनांक 25-5-74 समय करीब 9 बजे दिन।

सूचना—25-5-74 समय 12-30।

घटनास्थल—ग्राम बल्लूपुर बफासला 6 मील उत्तर-पूरब।

वादी—श्री राजाराम पुत्र अर्जुन अहीर सा० बल्लूपुर थाना मोहम्मदपुर, बाराबंकी।

बनाम———कृष्णा नन्द, 2—राकेश, 3—कैलाश नाथ सा० विकला, 4—भगौती अहिर, 5—बैजनाथ सा० गोवा 10-12 नफर सूरत शिनाख्त।

विवेचक श्री राम अशीश त्रिपाठी स० इ०

नकल तहरीर हिन्दी वादी—

श्रीमान् थाना इंचार्ज महोदय थाना मोहम्मदपुर बाराबंकी—सेवा में निवेदन है कि गोवा गांव के कृष्णा नन्द महराज मुझसे हमेशा हरी बेगारी लिया करते थे जब मुझको या मेरे भाइयों को मौका होता था तो उनका काम कर दिया करते थे। आज करीब 8 बजे दिन कृष्णानन्द व उनका राकेश आये और मेरे भाई ब्रह्मादीन डनलप मांगें, मेरे भाई ने कहा कि आज तो नहीं मिल पायेगा और किसी दिन ले लेना इसी पर दोनों आदमी गुस्सा हो गये और मेरे भाई को मारने दौड़े और कहा कि देखेंगे अब कैसे गांव में रहते हो कहते हुये चले, ब्रह्मादीन थाने रिपोर्ट करने चला गया कि करीब एक घन्टा बाद कृष्णानन्द बन्दूक लिये, राकेश पिस्तौल लिये उनके साथ में कैलाश नाथ विकला बन्दूक लिये, भगौती व बैजनाथ अहिर गोवा कांता लिये व उनके साथ 10-12 आदमी और जिनका नाम पता नहीं मालूम है, सामने आने पर पहचाने जा सकते हैं कांता लाठी लिये हुये आये और मुझसे कहने लगे कि प्रधान का बच्चा ब्रह्मादीन कहां है मैंने कहा हमें नहीं मालूम है इस पर मुझे गाली देने लगे तब तक मेरा भाई काशी व नन्हे पिस्ती लालता व गांव के भगौती मुलहे अशरफी, जवाहिर अहिर व रमाशंकर ब्राह्मण भी आ गये और कहने लगे कि भइया गाली काहे देते हो तो इतने में कृष्णा नन्द ने कहा मारो सालों को और बन्दूक से फायर कर दिया। भगौती, बैजनाथ उनके साथी कांता से मारने लगे हम सब चिल्लाये तो गांव से और मोहन परागी शम्भू, श्रीराम, नन्हू अहिर व पुत्ती लाल व मुन्नी लाल गोड़िया आ गये इस पर राकेश ने पिस्तौल से कैलाश नाथ विकला ने बन्दूक से फायर कर दिया अशरफी, काशी चोट खाकर गिर गये हम सबके जानवरों को खोलकर हांक दिये और अशरफी व काशी को बांध कर लाठी में टांग के उत्तर पूरब की तरफ लेकर चले गये। मेरी रिपोर्ट लेकर कार्यवाही की जाय प्रार्थी राजाराम पुत्र अर्जुन अहिर निवासी अहिरन पुरवा मजरे बल्लूपुर थाना मोहम्मदपुर बाराबंकी 25-5-74 निशान अंगूठा राजाराम लेखक सुमेर दत्त तिवारी रामपुर, लेखक चिक सत्य नरायन हेड मोहर्रिर।

प्रमित्रमाणित
ह० अपठनीय
उप पुलिस अधीक्षक,
बाराबंकी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 131 पर)

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीयकरण समिति के सदस्यों की सूची

1—डा० रामजी लाल सहायक, शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) .. .. अध्यक्ष
2—शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार .. .. .. सदस्य
3—न्याय सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी ।* ,,
4—वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी ।* ,,
5—डा० श्याम नारायण मेहरोत्रा, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश ,,
6—श्री श्रीनिवास शर्मा, निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..
7—श्री प्रभा कान्त शुक्ल, उप सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
8—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश .. .. ,,
9—श्री महेश्वर पाण्डेय, सदस्य विधान परिषद .. .. ,,
10—श्री राम सिंह, सदस्य विधान परिषद् .. .. .. ,,
11—श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य विधान परिषद् .. .. ,,
12—श्री आर० एन० ठकुराई, सदस्य विधान परिषद् .. .. ,,
13—श्री ए० सी० आइस, सदस्य, विधान सभा .. .. ,,
14—श्री जगदीश शरण अग्रवाल .. .. .. ,,
15—श्री हरिहर पाण्डेय .. .. ,,
16—कुमारी कंचन लता सब्बरवाल .. .. .. ,,
17—श्रीमती इन्द्रा हृदयेश कुमार .. .. .. ,,
18—डा० सीता राम जायसवाल .. .. .. ,,
19—श्री सर्वजीत लाल वर्मा .. .. .. ,,
20—श्री ब्रह्म दत्त चोपड़ा .. .. ,,
21—श्री केदार नाथ गुप्त .. .. ,,
22—श्री मान्धाता सिंह .. .. ,,
23—श्री बी० एन० कर .. .. ,,
24—श्री प्रमोद चन्द्र चतुर्वेदी .. .. .. ,,
25—श्री मुहम्मद रियाजुद्दीन अहमद .. .. .. ,,
26—श्री रामाज्ञा प्रसाद ओझा .. .. .. ,,
27—उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । सदस्य एवं सचिव

---

*न्याय सचिव तथा वित्त सचिव द्वारा मनोनीत अधिकारी उप सचिव के पद से कम नहीं होंगे ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्र० सं० 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 138 पर)

जिला बुलन्दशहर में स्वीकृत कार्यों पर मार्च 74 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

आयोजनागत

क्रम संख्या	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	लम्बाई (कि०मी०)	मार्च 74 तक व्यय (लाख में)	मार्च 74 तक की कुल भौतिक उपलब्धि (कि०मी०)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मार्गों का सुधार						
1	शिकारपुर दिवाई सड़क	13.04	23.4	14.678	22.20	
2	झाझर रबूपुरा सड़क	4.30	6.5	4.49	5.0	
3	गुलाटी-सिकन्दराबाग सड़क	10.29	17.6	9.72	17.6	
4	जहांगीराबाद-औरंगाबाद सड़क	18.60	18.25	1.414	..	
5	कुचेसर-सिखेड़ा सड़क	1.67	2.42	1.49	..	
6	बुलन्दशहर हर झाझार मार्ग की सतह को ऊंचा करना ..	1.25	1.90	1.295	1.90	
नव निर्माण						
1	दादरी सूरजपुर छलेरा सड़क	8.70	6.72	3.742	4.0	
2	खुरजा से जी० टी० सड़क (शिकारपुर तक) ..	8.81	14.5	7.335	4.0	
3	सिमाना बुगरासी सड़क	4.74	7.65	5.04	7.65	कार्य मई 73 में पूर्ण।
4	ऊंचा गांव अमरपुर	3.96	7.0	2.99	1.0	
5	राजघाट-वर्णवास महर्षि दयानन्द स्मारक ..	4.99	5.6	1.802	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	लम्बाई (कि०मी०)	मार्च 74 तक व्यय (लाख में)	मार्च 74 तक की कुल भौतिक उपलब्धि (कि० मी०)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
6	गुलावटी औरंगाबाद सड़क	12.14	13.56	101	..	वित्तीय स्वीकृति प्राप्त
7	पहासू-छतारी अनूपशहर अलीगढ़ मार्ग	7.82	13.5	5.99	7.70	नहीं हुई है ।
8	बिसरख से कुलसेरा	3.30	5.0	..	..	संरक्षण तय नहीं हुआ
9	पहासू-शिकार पुर सड़क	13.03	13.70	2.00	..	..
10	अनूपशहर करवास सड़क	10.22	11.0	3.449	..	..
11	जहांगीराबाद से बिरैयाना सीखा होते हुये अनूपशहर दिवाई तक	15.40	19.0	2.28	..	..
12	बुगरासी दौलत पुर	9.50	11.20	0.50	..	..
13	बुलन्दशहर रबापुरा रोड पर गंगोरा से हरतौली होते हुये धीमरा ग्राम तक	2.06	..	..	..	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।
14	नरौरा बैराज से गंगावास होते हुये रामघाट ..	5.07	8.0	2.658	..	..
15	पिसौवा से खुरजा जेवर के मील 10 तक मार्ग का निर्माण	7.59	8.92	0.534	..	..
पुल						
1	दोराहा-डिवाई स्टेशन रोड पर मील नदी पर पुल ..	5.72	..	6.0	..	100 प्रतिशत
आयोजनेतर						
	उत्तर प्रदेश सड़क निधि पुनः निर्माण					
1	जी० टी० रोड का पुनः निर्माण	23.85	40.0	24.215	28.0	28.0
	नव निर्माण					
1	बुलन्दशहर शिकारपुर से जहांगीराबाद	14.16	15.80	6.19	7.0	..
2	झाझर से जेवर मार्ग को ऊंचा करना	19.00	11.73	6.795	6.0	..

3	काली नदी पुल के लिये बुलन्दशहर में लिंक मार्ग ..	3.17	3.0	2.95	3.0	..
4	मुरशेदपुर धरवरा वासना मार्ग	9.0	6.70	1.80	..	..
विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत						
1	दादरी रसुलपुर तासपुर एवं संस्कृति महाविद्यालय लिंग मार्ग	5.0	8.0	5.589	8.0	..

नोट :—उपरोक्त सूचना जिले के समस्त कार्यों के लिये दी गयी है जिनमें दानपुर तथा डिवाई ब्लाक के कार्य भी सम्मिलित हैं।

ह0 कृते मुख्य अभियन्ता
दिनांक 11/6

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस० यू०पी०—ए० पी० 91 वि० सभा—(1378)—1974—835.